



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273774
CG-DL-E-24062026-273774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 462]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

सा.का.नि. 513(अ).— दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 606 (अ), दिनांक 5 सितंबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनका प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 6 सितंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और, उक्त अवधि का 21 अक्तूबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था तथा उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न पणधारियों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (6) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "एक्सेस सेवा" से किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत है, और "वायरलाइन एक्सेस सेवाएँ" तथा "वायरलेस एक्सेस सेवाएँ" पदों का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;
- (ख) "एक्सेस सेवा प्राधिकार" से नियम 69 के उप-नियम (1) और (2) में संदर्भित दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (ग) "एक्सेस स्पेक्ट्रम" से बेस स्टेशन से उपयोगकर्ता टर्मिनल तक एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्पेक्ट्रम अभिप्रेत है;
- (घ) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
- (ङ) "प्राधिकार शुल्क", किसी प्राधिकार के संबंध में, ऐसी फीस अभिप्रेत है जो किसी नए प्राधिकृत इकाई द्वारा, ऐसे प्राधिकार के लिए लागू नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट दरों और अंतरालों पर संदेय है;
- (च) "प्राधिकृत अभिकरण" का वहीं अर्थ होगा जो (दूरसंचार संदेशों के विधिसम्मत अपरोधन हेतु प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 में उसका है
- (छ) "बेस स्टेशन" से वह रेडियो उपकरण अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क के एक या कई सेल स्थापित करने के लिए किया जाता है, ताकि मुख्य दूरसंचार नेटवर्क और उपयोगकर्ता टर्मिनलों के बीच दूरसंचार संभव हो सके;
- (ज) "धारक सेवा", दूरसंचार सेवा के संबंध में जिसके लिए प्राधिकार प्राप्त किया गया है, ऐसी दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस के बीच संदेशों का संचरण या प्राप्त करना अभिप्रेत है, और "धारक दूरसंचार ट्रैफिक" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (झ) "केबल लैंडिंग स्टेशन" से भारत में स्थित वह स्टेशन अभिप्रेत है जहां पर भारत के क्षेत्र के बाहर किसी दूरसंचार नेटवर्क या पनडुब्बी केबल से जुड़ने वाले स्थलीय केबल में सम्मिलित कुछ या सभी ऑप्टिकल फाइबर समाप्त हो जाते हैं और वह स्टेशन जहां पर ऐसे केबलों के शेष ऑप्टिकल फाइबर समाप्त हो जाते हैं उसे केबल लैंडिंग स्टेशन प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में जाना जाता है;
- (ञ) "कॉलिंग लाइन पहचान" से—
- दूरसंचार पहचानकर्ता जो नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी द्वारा किसी कॉलिंग उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवा प्रदान करते समय सौंपा गया है;
 - उपभोक्ता डेटा रिकॉर्ड में दर्ज उपयोगकर्ता का नाम;
 - पोर्टल पर निर्दिष्ट ऐसी अन्य पहचान

अभिप्रेत है;

- (ट) “कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क” से एक वायरलेस स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसे किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित किया गया हो—
- (i) अपने (कैप्टिव) उपयोग के लिए; या
- (ii) उपयोगकर्ता के कैप्टिव उपयोग के लिए, चाहे एक स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) दूरसंचार नेटवर्क के रूप में, या किसी सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क के हिस्से के रूप में;
- (ठ) “सेल”, दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर कोई रेडियो उपकरण, किसी उपयोगकर्ता टर्मिनल को संदेश प्रेषित करता है या उससे संदेश प्राप्त करता है;
- (ड) “सेल ब्रॉडकास्ट” किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक ही समय पर अनेक उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने की वह विधि अभिप्रेत है, जिसका विस्तार किसी बेस स्टेशन के एक अकेले सेल से लेकर पूरे दूरसंचार नेटवर्क तक हो सकता है; और “सेल ब्रॉडकास्ट सेवाएँ” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ढ) ‘केन्द्रीय सरकार का विभाग’ से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट कोई मंत्रालय, सचिवालय या कार्यालय अभिप्रेत है, और इसमें उसका कोई संबंध या अधीनस्थ कार्यालय सम्मिलित है
- (ण) “कंपनी” से वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (18 of 2013) में उसका है।
- स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि “कंपनी” पद में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित “एकल व्यक्ति कंपनी” सम्मिलित नहीं है;
- (त) “नियंत्रण”, किसी नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसी के संबंध में, वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उसका है;
- (थ) “सहकारी समिति” से किसी भी राज्य में सहकारी समितियों से संबंधित तत्-समय लागू किसी प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई समिति अभिप्रेत है;
- (द) प्रमुख दूरसंचार नेटवर्क” से दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में, दूरसंचार उपकरण का एक सिस्टम या सिस्टम की सीरीज़ जो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों के बीच मैसेज के फ्लो को रूट और प्रबंधन करता है और कनेक्टिविटी, रूटिंग, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, प्राधिकार, उपयोगकर्ता मैनेजमेंट, पॉलिसी मैनेजमेंट, दूरसंचार नेटवर्क के एक्सपोज़र का मैनेजमेंट और इसके एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की सर्विसिंग सहित कई ज़रूरी काम करता है, अभिप्रेत है;
- (ध) उपयोगकर्ता के संबंध में, “ग्राहक आवेदन फॉर्म” से, ऐसा फॉर्म अभिप्रेत है, जो कोई नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसी प्रदान करेगा। इसमें समर्थक दस्तावेज के साथ जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता के तौर पर एनरोल कर सके, ऐसी जानकारी अपडेट कर सके या उसे दी जाने वाली दूरसंचार सेवा को काट सके;
- (न) “अभिहित अभिकरण” से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने उस नियम जिसके अधीन उसे नामित किया गया है, के प्रयोजनों के लिए नामित किया गया है;
- (प) “डोमेस्टिक लीज़्ड सर्किट” से लीज़्ड सर्किट अभिप्रेत है, जो नेशनल सर्विस एरिया के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोकेशन को जोड़ता है;
- (फ) “डोमेस्टिक ट्रैफ़िक” से मैसेज अभिप्रेत है, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के सिग्नलिंग प्लेन और उपयोगकर्ता प्लेन में मैसेज सम्मिलित हैं, जो नेशनल सर्विस एरिया में शुरू और खत्म होते हैं;

- (ब) “गतिमान पृथ्वी स्टेशन” का से निश्चित उपग्रह सेवा का लाभ उठाने के लिए एक उपयोगकर्ता टर्मिनल अभिप्रेत है, जो भूमि, वायु या जल पर एक यान से जुड़ा होता है और जब ऐसा यान गति में होता है या आराम करता है तो उपग्रह से जुड़ा रहता है;
- (भ) किसी प्राधिकार के संबंध में, “प्रभावी दिनांक” से ऐसे प्राधिकार में निर्दिष्ट दिनांक अभिप्रेत है;
- (म) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के प्राधिकार के संबंध में, “प्रवेश फीस” ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस की अप्रतिदेय राशि अभिप्रेत है;
- (य) “अनन्य आर्थिक क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे ‘राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में निर्दिष्ट किया गया है;
- (क क) “स्थिर उपग्रह सेवा” से ऐसी दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी उपग्रह या उपग्रहों के समूह और गतिमान पृथ्वी स्टेशन या किसी लघु अपर्चर टर्मिनल के बीच संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है;
- (क ख) “विदेशी वाहक” कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के बाहर दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराता है;
- (क ग) “प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान” का वही अभिप्रेत है होगा जो विदेश मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन गैर-ऋण लिखितों के संबंध में बनाए गए नियमों उसका है।
- (क घ) “होम नेटवर्क” से, किसी ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में जिसके लिए किसी नई प्राधिकृत इकाई ने प्राधिकार प्राप्त किया है, उस दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसे उक्त नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकृत सेवा क्षेत्र में स्थापित किया गया है;
- (क ङ) “भारतीय बीमा कंपनी” का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में उसका अर्थ होगा।
- (क च) इंटरसंयोजन का वही अर्थ होगा जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन बनाए गए विनियमों में सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरसंयोजन के संबंध में उसका है;
- (क छ) “अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क” से एक ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जो किसी विदेशी वाहक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट होता है;
- (क ज) “अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं” से वे दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत है जिन्हें नियम 78 के उप-नियम (1) के खंड (ख) और उप-नियम (2) के खंड (ख) में इसी रूप में निर्दिष्ट किया गया है;
- (क झ) “अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा सर्किट” एक ऐसा पट्टा सर्किट अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में स्थित एक या अधिक स्थानों को, उस क्षेत्र के बाहर स्थित एक या अधिक लोकेशन से जोड़ता है;
- (क ञ) “अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक” से ऐसे संदेश अभिप्रेत है जो किसी एक देश के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और किसी दूसरे देश के क्षेत्र में समाप्त होते हैं, और जिनमें से एक देश भारत होता है;
- (क ट) “इंटरनेट” एक वैश्विक प्रणाली है जो—
- इंटरनेट प्रोटोकॉल या उसके बाद के सुधारों या उन्नयनों पर आधारित, विश्व स्तर पर अद्वितीय पते द्वारा तार्किक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी होती है; और
 - ट्रांसमिशन नियंत्रण प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट या उसके बाद के सुधारों या उन्नयनों, और इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ संगत अन्य सभी प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार का समर्थन करने में सक्षम होती है;
- (क ठ) “इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट” से दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिस पर इंटरनेट ट्रैफिक ले जाने वाले दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क ऐसे ट्रैफिक का आदान-प्रदान करने के लिए जुड़ते हैं;
- (क ड) “इंटरनेट लीड लाइन” से समर्पित क्षमता वाला एक लीड सर्किट अभिप्रेत है जो इंटरनेट सेवाओं के उपबंध के लिए एक नई प्राधिकृत इकाई के इंटरनेट नोड को उपयोगकर्ता टर्मिनल से जोड़ता है;

- (क ढ) “इंटरनेट सेवाएं” से वे दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत हैं जिनका प्रयोग इंटरनेट तक पहुँचने के लिए किया जाता है;
- (क ण) “इंटरनेट सेवा प्राधिकार” से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का वह प्राधिकार अभिप्रेत है जिसका उल्लेख नियम 74 के उप-नियम (1) और (2) में किया गया है;
- (क त) “इंटरनेट टेलीफोनी” इंटरनेट का उपयोग करके ध्वनि संदेशों का अंतरण है, और “इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क” तथा “इंटरनेट टेलीफोनी सेवा” तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;
- (क थ) “लीज्ड सर्किट” से ऐसा निजी समर्पित दूरसंचार सर्किट अभिप्रेत है जो भौतिक संयोजन, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, सर्किट स्विचड तकनीक, पैकेट स्विचड तकनीक या इनके किसी भी संयोजन का उपयोग करके दो या अधिक लोकेशन को जोड़ता है;
- (क द) “आशय पत्र” से नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन जारी किया गया पत्र अभिप्रेत है;
- (क ध) “लाइसेंस” से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन प्रदान किया गया लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाए, और “लाइसेंसधारी” तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;
- (क न) “सीमित देनदारी साझेदारी” का वही अर्थ होगा जो सीमित देनदारी साझेदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में है
- (क प) “लंबी दूरी की कॉल” से ऐसी कॉल अभिप्रेत है जो उस स्थानीय क्षेत्र जहां से वह शुरू हुई थी के इतर किसी अन्य क्षेत्र में समाप्त होती है;
- (क फ) “लंबी दूरी की सेवाएं” से राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं अभिप्रेत हैं;
- (क ब) “लंबी दूरी सेवा प्राधिकार” से लंबी दूरी सेवा प्रदान करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (क भ) “मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में उसका है;
- (क म) “राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क” से ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर धारक दूरसंचार ट्रैफिक को ले जाता है;
- (क य) “राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा” से ऐसी वे दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत हैं जिनका उल्लेख नियम 79 के उप-नियम (1) के धारा (क) और सब-नियम (2) के क्लॉज़ (क) में किया गया है;
- (ककक) “राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र” से ऐसा सेवा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत के क्षेत्र, भारत के राज्यक्षेत्रीय जल और भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है;
- (ककख) “नेटवर्क सेवा ऑपरेटर” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने नियम 9 के उप-नियम (1) में संदर्भित प्राधिकार प्राप्त किया है;
- (ककग) “निवल परिसंपत्ति” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उसका है;
- (ककघ) “नई प्राधिकृत इकाई” एक प्राधिकृत इकाई से अभिप्रेत है जिसने—
- (i) अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त किया है; या
 - (ii) अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (6) के अधीन प्राधिकार के निबंधन और शर्तों पर माइग्रेट किया है;
- (ककड) “नेटवर्क सेवा प्रचालक लाइसेंसी” से एक लाइसेंसी अभिप्रेत है जिसके पास निम्नलिखित में से कोई भी लाइसेंस है और जिसने अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (6) के अधीन संबंधित प्राधिकार के निबंधन और शर्तों पर माइग्रेट नहीं किया है, अर्थात्: —
- (i) यूनिफाइड लाइसेंस; या
 - (ii) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस; या

- (iii) इंटरनेट सर्विसेज़ देने के लिए लाइसेंस; या
- (iv) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए लाइसेंस; या
- (v) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए लाइसेंस।

स्पष्टीकरण—इस खंड में निर्दिष्ट लाइसेंसों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार और लाइसेंसी के बीच उसी के लिए लाइसेंस करार में संदर्भित है;

- (ककच) “ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार” से किसी आवेदक के पास मौजूद वह लाइसेंस या प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका दायरा और सेवा क्षेत्र, उस प्राधिकार के दायरे और सेवा क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से सम्मिलित होगा, जिसके संबंध में नियम 6 के अधीन आवेदन जमा किया गया है;
- (ककछ) “मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर” से वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के संबंध में तात्पर्य है ऐसा नेटवर्क सेवा ऑपरेटर या नेटवर्क सेवा ऑपरेटर लाइसेंसधारी अभिप्रेत है जिसके साथ ऐसे वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर ने उन दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए अनुबंध में है जिसके लिए वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर ने प्राधिकार प्राप्त किया है;
- (ककज) “साझेदारी” का वही अर्थ होगा, जो भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उसका है और “साझेदारी फर्म” पद का आशय तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;
- (ककझ) “पैसिव दूरसंचार अवसंरचना” से दूरसंचार नेटवर्क के ऐसे भाग अभिप्रेत है जो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के एक्टिव हिस्सों के काम-काज में सहायता करते हैं, जैसे कि डार्क फाइबर, बैटरी और पावर प्लांट सहित बिजली के उपकरण, डक्ट स्पेस, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, पोल, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और टावर;
- (ककञ) “पीयरिंग” से कमर्शियल और टेक्निकल इंटरजाम अभिप्रेत है जिनके अधीन दो या ज़्यादा नई प्राधिकृत इकाइयां या लाइसेंसधारी, या दोनों, अपने-अपने दूरसंचार नेटवर्क को सीधे या किसी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के ज़रिए इंटरनेट ट्रैफिक के लेन-देन के लिए आपस में जोड़ते हैं;
- (ककट) “लंबित देयताएँ” से किसी अनुज्ञप्ति, प्राधिकार या समनुदेशन के संबंध में उत्पन्न किसी भी दावे के विरुद्ध देय तथा अभी तक असंदत रकम अभिप्रेत है, चाहे ऐसी अनुज्ञप्ति, प्राधिकार अथवा समनुदेशन का निरसन, प्रत्याहरण अभ्यर्पण हो गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो, और जो देय भुगतान योग्य हो।
- (ककठ) “पॉइंट ऑफ़ इंटरसंयोजन” का वही अर्थ होगा जो भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन इंटरसंयोजन को शासित करने वाले नियमों में उसका है;
- (ककड) “पॉइंट-ऑफ़-प्रेजेंस” से किसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में, दूरसंचार उपकरणों का एक ऐसा सिस्टम अभिप्रेत है जिसकी क्षमता सही हो और जिसे उस नई प्राधिकृत इकाई ने उन दूरसंचार सेवाओं को देने के लिए बनाया हो जिनके लिए उसे अधिकार मिला हुआ है;
- (ककढ) “पोर्टल” से नियम 83 में उसका पोर्टल अभिप्रेत है;
- (ककण) “प्रमुख दूरसंचार सेवाएँ से ऐसी दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत हैं जो नियम 4 में बताए गए हर अधिकार के दायरे में आती हैं;
- (ककत) “सार्वजनिक वित्तीय संस्थान” का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उसका है;
- (ककथ) “पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क” से ऐसा वह पब्लिक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसे किसी नई प्राधिकृत इकाई ने एक्सेस सेवाएँ देने के लिए बनाया, चलाया, उसकी देख-रेख की या उसका विस्तार किया हो;
- (ककद) “पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क” से ऐसा वह स्विचड दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसे किसी नई प्राधिकृत इकाई ने उन उपयोगकर्ता को एक्सेस सेवाएँ देने के लिए बनाया, चलाया, उसकी देख-रेख की या उसका विस्तार किया हो, जो फिक्स्ड उपयोगकर्ता टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं;

- (ककध) “नातेदार” से किसी व्यक्ति के संबंध में, उसका पति, पत्नी, भाई या बहन, या उस व्यक्ति का कोई सीधा आरोही या अवरोही क्रम का वंशज अभिप्रेत है;
- (ककन) “रोमिंग” से किसी ऐसे उपयोगकर्ता के संबंध में जिसने किसी नई प्राधिकृत इकाई की दूरसंचार सेवाओं का सब्सक्रिप्शन लिया हो और जिसे ऐसी सेवाएँ देने का अधिकार हो, कि वह अपने होम नेटवर्क के अतिरिक्त किसी दूसरे नेटवर्क में भी उन सेवाओं का लाभ उठा सके अभिप्रेत है;
- (ककप) “सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे” से दूरसंचार उपकरणों का ज़मीन पर बनी एक सिस्टम या सिस्टम्स की एक सीरीज़ अभिप्रेत है जो ज़मीन पर मौजूद नेटवर्क और किसी सैटेलाइट या सैटेलाइट्स के समूह के बीच एक इंटरफ़ेस (जोड़ने वाली कड़ी) का काम करता है, और “सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रोवाइडर” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ककफ) “सैटेलाइट नेटवर्क” से ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसमें एक सैटेलाइट या सैटेलाइटों का समूह, उसके सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और उपयोगकर्ता टर्मिनल सम्मिलित होते हैं;
- (ककब) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ककभ) “अनुसूची वाणिज्यिक बैंक” से ऐसे कोई बैंक अभिप्रेत है जैसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस श्रेणी में रखा गया है;
- (ककम) “कार्यक्षेत्र” से किसी प्राधिकार के संबंध में, ऐसी दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत है जिनके लिए ऐसा प्राधिकार दिया गया है;
- (ककय) “सेवा क्षेत्र” में ऐसा वह भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके संबंध में दूरसंचार सेवाएं देने के लिए प्राधिकार दिया गया है, जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र या टेलीकॉम सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र हो सकता है;
- (कककक) “सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल से कोई मॉड्यूल अभिप्राय है चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हो, जिसका प्रयोग किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी उपयोगकर्ता को दिए गए एक खास दूरसंचार पहचानकर्ता और संबंधित ऑथेंटिकेशन कुंजियों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि दूरसंचार नेटवर्क पर ऐसे उपयोगकर्ता की अनन्य पहचान और ऑथेंटिकेशन किया जा सके, और इसमें प्लगैबल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (ई-सिम), इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (आईसिम), वर्चुअल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या कोई अन्य समकक्ष सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सम्मिलित है;
- (कककख) “सोसायटी” से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत सोसायटी अभिप्रेत है;
- (कककग) “राज्य सरकार का विभाग से कोई मंत्रालय, सचिवालय या कार्यालय अभिप्रेत है जो-
- (i) राज्य सरकार के आवंटन के संबंध में सविधान अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हो; और
 - (ii) संघ राज्य सरकार का कोई विभाग और इसमें उसका संबद्ध कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय सम्मिलित है;
- (कककघ) “सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड”, से नए प्राधिकृत इकाई के संबंध में, नियम 35 के उप-नियम (7), नियम 40 के उप-नियम (4) और नियम 41 के उप-नियम (2) के अधीन दी गई उपयोगकर्ता जानकारी का एक वृहद भंडार अभिप्रेत है;
- (कककड) “टैरिफ” का वही अभिप्राय होगा जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 के उप-धारा (2) के अधीन जारी आदेशों में उसका है;
- (कककच) “टेलीकॉम सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र” से अनुसूची ख में सूचीबद्ध सेवा क्षेत्र अभिप्रेत है;

- (कककछ) “स्थलीय नेटवर्क” से एक ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है जिसमें ज़मीन पर आधारित दूरसंचार उपकरण या अवसंरचना और उपयोगकर्ता टर्मिनल सम्मिलित होते हैं, और “वायरलेस स्थलीय नेटवर्क” और “वायरलाइन स्थलीय नेटवर्क” पदों को तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (कककज) “न्यास” से भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 (1982 का 2) या तत्समय लागू किसी भी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यास अभिप्रेत है;
- (कककझ) “एकीकृत सेवा प्राधिकार” से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का ऐसा प्राधिकार, जिसका उल्लेख नियम 65 के उप-नियम (1) और (2) में किया गया है;
- (कककञ) “उपयोगकर्ता टर्मिनल”, से किसी दूरसंचार सेवा के संबंध में, दूरसंचार उपकरण का एक ऐसा प्रकार है जिसका उपयोग किसी उपयोगकर्ता द्वारा ऐसी दूरसंचार सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है या किया जाना अभिप्रेत है;
- (कककट) “वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जिसने नियम 9 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकार प्राप्त कर लिया है;
- (कककठ) “वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंसधारी” से ऐसा लाइसेंसधारी अभिप्रेत जिसके पास एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) है और जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन संबंधित प्राधिकार के निबंधन और शर्तों पर माइग्रेट नहीं हुआ है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, “एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ)” पद से ऐसा लाइसेंस अभिप्रेत है जिसका उल्लेख उसी के लिए लाइसेंस करार में किया गया है;

- (कककड) “अति लघु अपचर टर्मिनल” से निश्चित उपग्रह सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त उपयोगकर्ता टर्मिनल अभिप्रेत है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर स्थापित होता है और दूरसंचार सेवा तक एक्सेस के लिए उपग्रह से जुड़ा होता है;
- (कककढ) “वाउचर” का वही अर्थ होना है जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन बनाए गए विनियमों में उसका है
- (कककण) “वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार” से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का वह प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका उल्लेख नियम 70 के उप-नियम (1) में किया गया है; और
- (कककत) “वर्ष” से प्रभावी दिनांक से प्रारंभ होने वाली बारह महीनों की निरंतर अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम या उक्त नियमों में हैं।

3. लागू होना— (1) ये इन नियमों में प्राधिकार के नियमों और शर्तों का उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार; और
- (ख) वह संबंधित प्राधिकार, जिसके निबंधन और शर्तों पर कोई नई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन माइग्रेट हुई है।

(2) उप नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के उपबंध और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में सत्त रूप से लागू रहेंगे

अध्याय II

प्रमुख दूरसंचार सेवाएँ और प्राधिकार का अनुदान

4. प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार—कोई भी व्यक्ति नियम 6 के अधीन केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है, ताकि नेटवर्क सेवा ऑपरेटर या वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर या दोनों के रूप में, एक या अधिक दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त कर सके; ये सेवाएँ नीचे निर्दिष्ट प्राधिकार के कार्यक्षेत्र और सेवा क्षेत्र के अधीन होनी चाहिए—

- (क) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए एकीकृत सेवा प्राधिकार;
- (ख) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकार;
- (ग) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार;
- (घ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र या अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकार; और
- (ङ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार:

परंतु, वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो ऐसी दूरसंचार सेवा को एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में प्रदान करने का इच्छुक हो।

5. पात्रता— खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो खंड (ख), (ग) और (घ) में दी गई शर्तों को भी पूरा करता हो, नियम 6 के अधीन प्राधिकार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा, अर्थात्:—

- (क) वह एक कंपनी हो—
 - (i) जिसकी न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी अनुसूची ग में निर्दिष्ट अनुसार हो;
 - (ii) जिसकी न्यूनतम निवल परिसंपत्ति अनुसूची ग में निर्दिष्ट अनुसार हो;
 - (iii) जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान (यदि कोई हो) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के संबंध में जारी की गई नीति और लागू विधि के अनुरूप हो; और
 - (iv) जिसका समान्य स्वरूप उत्तरदायी तरीके से दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या उनका विस्तार करने में इसके निरंतर पूर्व रिकार्ड के संदर्भ में सुदृढ़
- (ख) यदि उसके पास एक या अधिक प्राधिकार या लाइसेंस हैं, या वह एक या अधिक नए प्राधिकारों के लिए आवेदन करता है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:—
 - (i) उसके पास न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी हो, जो ऐसे प्रत्येक प्राधिकार या लाइसेंस के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी की आवश्यकताओं के योग के बराबर हो; और
 - (ii) उसके पास न्यूनतम निवल परिसंपत्ति हो, जो ऐसे प्रत्येक प्राधिकार या लाइसेंस के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल संपत्ति के योग के बराबर हो।
- (ग) यह नियम 12 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- (घ) इस पर कोई बकाया राशि नहीं हो:

परंतु कि केंद्रीय सरकार, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो इस नियम के अधीन किसी भी शर्त से छूट दे सकती है या उसमें ढील दे सकती है।

6. प्राधिकार के लिए आवेदन—(1) जो व्यक्ति इन नियमों के अधीन कोई प्राधिकार प्राप्त करना चाहता है, वह पोर्टल पर एक आवेदन जमा करेगा; यह आवेदन उस फॉर्म और तरीके से होगा, और इसके साथ वे दस्तावेज़ लगे होंगे। जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में पोर्टल पर निर्दिष्ट करे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिए गए हर आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होने चाहिए—

(क) अनुसूची क में निर्दिष्ट, एक ऐसी प्रोसेसिंग फ़ीस जो वापस नहीं की जाएगी और

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त उसके ऑडिटर द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र— जो उस प्ररूप में होगा जैसा पोर्टल पर निर्दिष्ट हो—जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह नियम 5 के अधीन निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

(3) यदि आवेदक के पास कोई ऐसा लाइसेंस या प्राधिकार है जो ओवरलैप करता है (यानी एक ही तरह का है), तो उसे इन नियमों के अनुसार, ऐसे मौजूदा ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार को छोड़ना होगा।

(4) यदि नियम 5 के खंड (घ) में उल्लिखित बकाया राशि (देयताएं) किसी ऐसी चल रही कानूनी कार्यवाही का विषय है, जिसमें बकाया राशि के भुगतान पर रोक लगाने वाला कोई न्यायिक आदेश जारी किया गया है, तो आवेदक को—

(क) उस आदेश में लगाई गई शर्तों का अनुकरण होगा; और

(ख) भुगतान करने का एक वचनबंध जमा करना होगा, जो उस कानूनी कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा, और अपने आवेदन के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने ऑडिटर द्वारा जारी प्रमाणपत्र जमा करना होगा—जो उस प्ररूप में होगा जैसा पोर्टल पर निर्दिष्ट हो—जिसमें इस उप-नियम के अनुपालन को प्रमाणित किया गया हो।

(5) लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई आवेदन या लाइसेंस प्रदान करने के लिए जारी किया गया कोई भी 'आशय पत्र'—जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले, भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन जारी किया गया हो—समाप्त हो जाएगा; परंतु उस आवेदन या 'आशय पत्र' के आधार पर, भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम, 1885 के अधीन लाइसेंस, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले जारी न किया गया हो।

(6) कोई आवेदक, जिसे उप-नियम (5) के अधीन जारी आशय पत्र समाप्त हो गया है, उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकार प्रदान किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसे आशय पत्र के अनुसरण में भुगतान की गई कोई भी अप्रतिदेय क्रियान्वयन फीस या प्रवेश फीस, या प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को, इन नियमों के अधीन किसी भी क्रियान्वयन फीस क्रियान्वयन फीस या प्रवेश फीस के भुगतान या गारंटी जमा करने की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में गिना जा सकता है; जैसा भी मामला हो, और पहले से भुगतान की गई या जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद, यदि कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी की सीमा तक फीस या गारंटी का भुगतान या उसे जमा किया जा सकता है।

7. प्राधिकार प्रदान करना—(1) नियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार आवेदक की पात्रता के संबंध में ऐसी जांच कर सकती है जिसे वह उचित समझे और इस उद्देश्य के लिए, आवेदक से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिसकी वह मांग करे।

(2) केंद्रीय सरकार —

(क) यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक पात्र है, तो ऐसे आवेदक को पोर्टल के माध्यम से एक आशय पत्र जारी कर सकती है, जिसमें प्राधिकार प्राप्त करने हेतु पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं निर्दिष्ट होंगी, जिनमें सम्मिलित हैं—

- (i) एंट्री फीस का भुगतान और शेड्यूल क में बताई गई राशि के लिए, या नियम 6 के उप-नियम (6) के अनुसार राशि के लिए, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्राधिकार के लिए बिना शर्त और रद्द न होने वाली गारंटी जमा करना; और
- (ii) एक बिना शर्त और रद्द न होने वाली वचनबद्धा यथा निर्दिष्ट पोर्टल पर रूप और तरीके से जमा करना, जिसमें प्राधिकार की प्रभावी तारीख से, यदि कोई हो, तो ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार को छोड़ दिया जाए; या

(ख) आवेदन को अस्वीकार कर देना।

(3) आशय पत्र में बताई गई अपेक्षाओं के आवेदक द्वारा पूरी किए जाने से संतुष्ट होने पर, केंद्रीय सरकार पोर्टल के माध्यम से प्राधिकार दे सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये विनिर्दिष्ट होगा—

- (क) इसका कार्यक्षेत्र;
- (ख) सेवा क्षेत्र और वह अवधि जिसके लिए प्राधिकार दिया गया है; और
- (ग) ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख।

(4) इन नियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक प्राधिकार गैर-विशिष्ट आधार पर होगा, और केंद्रीय सरकार उसी या अन्य सेवा क्षेत्रों में, नई प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर बिना किसी रोक के, उन्हीं प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्राधिकार दे सकती है।

(5) इन नियमों के अधीन प्राधिकार पाने वाली कोई नई प्राधिकृत इकाई, लागू विधि के अधीन स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है, बशर्ते वह उस विधि के अधीन ऐसे आवंटन के लिए ज़रूरी पात्रता शर्तों को पूरा करती हो।

स्पष्टीकरण—किसी भी शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन प्राधिकार देने का अभिप्राय यह नहीं समझा जाएगा कि इससे किसी नई प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम के आवंटन या उपयोग का कोई अधिकार मिल गया है।

8. ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई भी ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार रखने की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, उसी सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रमुख दूरसंचार सेवा के लिए, एक प्राधिकार नेटवर्क सेवा ऑपरेटर के तौर पर और एक प्राधिकार वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के तौर पर रख सकती है।

(2) किसी ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार का त्याग, यदि कोई हो, ऐसे लाइसेंस या प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जैसा भी मामला हो, और विशेष रूप से, यह निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात्—

- (क) रोल आउट दायित्व, और कोई अन्य सुसंगत दायित्व या देनदारियाँ, जिनमें वित्तीय बकाया, उल्लंघनों का निर्धारण और उन पर लगाए गए जुर्माने (यदि कोई हो) सम्मिलित हैं, जो ऐसे ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार से जुड़े हैं, त्याग के बाद भी, जैसा भी मामला हो, उसके निबंधन और शर्तों के अधीन लागू रहेंगे; और
- (ख) ऐसे ओवरलैपिंग लाइसेंस या प्राधिकार के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन और दी गई अनुमति, उन शर्तों के अनुसार लागू होती रहेगी जिनके आधार पर इसे प्राप्त किया गया था, जब तक कि केंद्रीय सरकार जनहित में अन्यथा निर्धारित न कर दे।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित है—

1. “संसाधन” से है—

- (क) पहले से ही आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ता;
- (ख) नई प्राधिकृत इकाई को आवंटित स्पेक्ट्रम;
- (ग) अतिव्यापी लाइसेंस या प्राधिकार के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध अनुपालन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

2. “अनुमति” में दायित्वों के अनुपालन के भाग के रूप में कवरेज परीक्षण प्रमाणपत्र, स्वीकृतियाँ, अनुमोदन, विदेशी नागरिकों की तैनाती के लिए नई प्राधिकृत इकाई को दी गई अनुमतियाँ, और अन्य अनुमतियाँ जिनमें रिमोट एक्सेस और गेटवे अनुमतियाँ सम्मिलित हैं।

अध्याय III

सामान्य शर्तें

9. नेटवर्क सेवा ऑपरेटर और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जो नियम 7 के अधीन एक नेटवर्क सेवा ऑपरेटर के रूप में प्राधिकार प्राप्त करती है, ऐसे प्राधिकार के दायरे का पालन करते हुए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित कर सकती है, अर्थात्:—

- (क) प्रमुख दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए; और
- (ख) एक अनुबंध के अधीन अपने प्रमुख दूरसंचार नेटवर्क को किसी वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर या वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जो नियम 7 के अधीन एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में प्राधिकार प्राप्त करती है, ऐसे प्राधिकार के दायरे का अनुपालन करते हुए, दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित कर सकती है—सिवाय उन प्रणालियों या दूरसंचार उपकरणों की श्रृंखलाओं के, जिनका उपयोग अन्य नेटवर्क सेवा ऑपरेटरों या नेटवर्क सेवा ऑपरेटर लाइसेंसधारियों के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरसंयोजन या पीयरिंग स्थापित करने के लिए किया जाता है—और प्रमुख दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक या अधिक मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटरों के साथ एक अनुबंध करेगी:

बशर्ते यह कि,—

- (क) वह क्षेत्र जिसमें वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर सकता है, वह ऐसा क्षेत्र होगा जिसके लिए उसे और उसके मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर, दोनों को प्राधिकार प्राप्त हो;
- (ख) ऐसे अनुबंध में, उसकी अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के स्वतः नवीनीकरण के उपबंध सम्मिलित होंगे—जब तक कि कोई भी पक्ष, अनुबंध का नवीनीकरण न करने की अपनी इरादे की कम से कम तीस दिन पहले सूचना न दे दे—और अनुबंध के प्रत्येक पक्ष के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह निम्नलिखित स्थितियों में दूसरे पक्ष को तत्काल सूचित करे :—
 - (i) अपने प्राधिकार के निलंबन, निरसन या कटौती के किसी आदेश, और उसके किसी भी पुनर्स्थापन के बारे में पता चलने पर;
 - (ii) अपने प्राधिकार के समर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, और ऐसे आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में केंद्रीय सरकार से कोई सूचना प्राप्त होने पर; या
 - (iii) अपने प्राधिकार के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में पता चलना; और

(ग) वायरलेस एक्सेस सेवाओं के मामले में, केवल एक ही मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर होगा जिसके साथ ऐसा अनुबंध किया जाएगा।

(3) हर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, जिसे अपने प्राधिकार के सस्पेंशन, प्रतिसंहरण या कटौती के किसी भी आदेश के बारे में पता चलता है, या जो इसे सरेंडर करने के लिए आवेदन करता है, वह—

(क) अपनी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के हर उपयोगकर्ता को, अपने पेरेंट नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर द्वारा दिए जाने वाले प्लान में से अपनी पसंद का टैरिफ प्लान चुनने का विकल्प देगा, और इस माइग्रेशन या सेवाओं को एक्टिवेट करने के लिए कोई फीस नहीं लेगा; और

(ख) अपने पेरेंट नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरह के माइग्रेशन को पूरा करने के लिए उचित उपबंध करेगा:

परंतु यह कि इस उप-नियम में कोई भी बात, मशीन-टू-मशीन सेवा को छोड़कर, किसी भी वायरलेस एक्सेस सेवा पर लागू नहीं होगी।

10. प्राधिकार की अवधि—नियम 7 के अधीन दिए गए प्रत्येक प्राधिकार की अवधि उतनी ही होगी जितनी उक्त नियम में बताई गई है, जो अधिकतम बीस वर्ष तक हो सकती है, और यह नियम 16, 17 और 81 के उपबंधों के अधीन होगी।

11. पात्रता शर्तों का लगातार पालन—हर नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की पूरी अवधि के दौरान, नियम 5 के अधीन दी गई शर्तों का पालन करेगी, सिवाय उसके खंड (क) के उप-खंड (ii) और खंड (ख) के उप-खंड (ii) में दी गई शर्तों के।

12. क्रॉस होल्लिंग्स पर सीमाएँ — (1) हर नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास उसे आवंटित एक्सेस स्पेक्ट्रम है, या जिसके पास कोई प्रमुख दूरसंचार सेवा देने, या ऐसी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क (या उसके किसी वर्ग) के लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, चलाने, रखरखाव करने या उसका विस्तार करने का प्राधिकार है—जैसा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए

(क) किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसि में कोई भी लाभकारी हित नहीं रखेगी, जिसके पास उसी सेवा क्षेत्र में ऐसी दूरसंचार सेवा देने, या ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित करने, चलाने, रखरखाव करने या उसका विस्तार करने के लिए उसे आवंटित एक्सेस स्पेक्ट्रम, प्राधिकार या लाइसेंस हो; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी भी मुख्य शेयरधारक के पास ऐसा कोई लाभकारी हित न हो:

परंतु यह कि इस नियम के अधीन दी गई सीमाएँ, निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगी—

(i) कोई वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर और उसका पेरेंट नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर; और

(ii) ऐसे वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर जिनका पेरेंट नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर एक ही हो; और

(iii) नई प्राधिकृत इकाई जिसके पास उसे आवंटित एक्सेस स्पेक्ट्रम हो, और एक अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी जिसके पास उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करके दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या लाइसेंस हो; इस शर्त के अधीन कि ऐसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के पास एक्सेस स्पेक्ट्रम का आवंटन न हो।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास एकीकृत सेवा प्राधिकार, एक्सेस सेवा प्राधिकार, वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार या लंबी दूरी की सेवा का प्राधिकार है, वो—

(क) किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी में कोई लाभकारी हित नहीं रखेगी, जिसके पास मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदान करने का प्राधिकार या लाइसेंस हो; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई भी मुख्य शेयरधारक ऐसा लाभकारी हित न रखता हो।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अभिप्राय होगा—

- (क) “लाभकारी हित” से किसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी में कोई शेयर रखना, या उस नई प्राधिकृत इकाई का ऐसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के मामलों पर नियंत्रण रखने या उसका प्रयोग करने का अधिकार होना, या वास्तव में नियंत्रण का प्रयोग करना अभिप्रेत है; और ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के किसी मुख्य शेयरधारक के संबंध में “लाभकारी हित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ख) “मुख्य शेयरधारक” से किसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में केंद्रीय सरकार और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित किसी वित्तीय संस्था के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस नई प्राधिकृत इकाई को नियंत्रित करता हो, या उसमें दस प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक इक्विटी (शेयर) रखता हो।

13. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण — (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई—

- (क) प्रत्येक वर्ष, ऐसी तारीख को, ऐसे प्ररूप और तरीके से, और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने ऑडिटर के प्रमाण पत्र के साथ—जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में पोर्टल पर निर्दिष्ट किया गया हो किए गए रूप में हो—केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगी: —

- (i) अपनी भारतीय और विदेशी इक्विटी का विवरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों;
- (ii) उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों का विवरण; और
- (iii) नियम 11 और 12 का अनुपालन:

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार उन नई प्राधिकृत इकाइयों को—जिनका कारोबार उस राशि से अधिक नहीं है जो केंद्रीय सरकार ने पोर्टल पर निर्दिष्ट की हो—इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरण — उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी का निर्धारण, विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति के अनुसार किया जाएगा;

(ख) केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के संबंध में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट, पोर्टल पर देना नामत: —

- (i) अधिग्रहण के कारण उसके शेयरधारकों में हुआ बदलाव, की रिपोर्ट ऐसे बदलाव की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर देनी होगी:

परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में, शेयरधारिता में केवल वही बदलाव रिपोर्ट करना ज़रूरी है, जिसका खुलासा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992) का 15 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों या सूचीकरण शर्तों के अधीन करना ज़रूरी है;

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जिस नाम के अधीन यह रजिस्ट्रीकृत है, उसमें परिवर्तन, ऐसे रजिस्ट्रीकृत के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के सहित, जिसकी सूचना ऐसे प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर दी जाएगी; और

(iii) विदेशी इक्विटी, नियंत्रण, पते और संपर्क विवरण के संबंध में इसके विवरण में परिवर्तन, और पहले प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई अन्य वास्तविक परिवर्तन, जिसकी सूचना ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर दी जाएगी; और

(ग) केंद्रीय सरकार को ऐसे दस्तावेज़, खाते, अनुमान, प्राक्कलन, विवरणी, रिपोर्ट या अन्य सूचना देनी होगी, जिसकी मांग केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से करे; यह सूचना उस अवधि के भीतर देनी होगी जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत में स्थित ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के नोडल व्यक्ति का विवरण, ऐसे प्ररूप और रीति जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जाए केंद्रीय सरकार और एजेंसी को पोर्टल पर नामित करेगी और सूचित करेगी, जो इन नियमों के अधीन अपेक्षित किसी भी रिपोर्ट या जानकारी प्रदान करने या सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यदि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन एक नई प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन की स्वीकृति है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई-

- (क) इस तरह के प्रवेश के अड़तालीस घंटे के भीतर, इस संबंध में केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचित करें; तथा
- (ख) ऐसे आवेदन को स्वीकार करने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश की एक प्रति तत्काल केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करें।

14. स्थानांतरण.-(1) कोई प्राधिकार केवल लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के अनुसरण में, ही सौंपा या स्थानांतरित किया जा सकेगा,

- (क) लागू विधि के अधीन विलयन, निर्विलयन, अधिग्रहण या पुनर्गठन का अन्य रूप; या
- (ख) अधिनियम की धारा 45 के उपबंधों के अधीन इस तरह के प्राधिकार रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई को ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति हित का प्रयोग करना।

(2) उप-नियम (1) के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय कोई नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) किसी भी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से, इसे प्रदत्त किए गए किसी भी प्राधिकार को सौंपना या स्थानांतरित नहीं करेगी;
- (ख) इस तरह के असाइनमेंट या स्थानांतरण के लिए किसी भी साझेदारी या समझौते में भागीदारी नहीं करेगी; या
- (ग) अधिनियम की धारा 45 के यथाउपबंधित के सिवाय किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में इस प्रकार का प्राधिकार कोई हित सृजित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा बिक्री के किसी भी स्तर पर ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को दिए गए प्राधिकार के समनुदेशन या अंतरण, या हित के सृजन के रूप में नहीं माना जाएगा।

15. नवीनीकरण-(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की समाप्ति से कम से कम बारह मास पूर्व पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी, जिसके साथ अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण फीस भी संलग्न होगी।

(2) किसी नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् आवेदन की अनुमति दे सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि के भीतर ऐसा आवेदन न करने का पर्याप्त

कारण था, जिसमें ऐसे विलंब फीस के भुगतान के अध्यक्षीन जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध के उत्तर में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, अपने विवेक से, (1) या उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय की जाने वाली ऐसी अवधि के लिए प्राधिकार का नवीनीकरण कर सकेगी, जो अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के अध्यक्षीन होगी।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकार का प्रत्येक नवीनीकरण ऐसे नवीनीकरण के समय लागू विधि के अधीन होगा।

(5) यदि प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो नई प्राधिकृत इकाई अपनी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने प्राधिकार की समाप्ति और ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों की कम से कम तीस दिन पहले सूचना देगी, जिसमें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी सम्मिलित है।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार की समाप्ति तक प्रमुख दूरसंचार सेवा और दूरसंचार नेटवर्क की गुणवत्ता बनाए रखेगा।

16. प्राधिकार का प्रतिसंहरण--(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, निम्नलिखित परिस्थितियों में एक नई प्राधिकृत इकाई के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकेगी, अर्थात्:-

- (क) यदि, किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्राधिकार के किसी भी आवेदन के साथ या उसके प्रसंस्करण के दौरान ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अभ्यावेदन, प्रस्तुतियाँ या दस्तावेज़ झूठे थे;
- (ख) यदि एक नई प्राधिकृत इकाई को परिसमापन में रखने के लिए निर्देशित किया जाता है या उसे बंद करने का आदेश दिया जाता है;
- (ग) यदि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अनुसार, प्राधिकरण को रद्द करने की सिफारिश करता है।

(2) उप-नियम (1) के (क) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट घटनाओं की घटना पर उप-नियम (1) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पहले, केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर देगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा और नई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर ऐसे निरस्तीकरण आदेश के प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी सार्वजनिक सूचना देगी, और नियम 81 के उप-नियमों (4) और (5) का पालन करेगी।

17. प्राधिकार को अभ्यर्पण करना --(1) प्राधिकार को अभ्यर्पण करने की मांग करने वाली नई प्राधिकृत इकाई, एक वचन पत्र और अन्य सूचना के साथ पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए गए प्ररूप और रीति से, जैसा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन प्रस्तुत करेगी,

(2) केंद्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकेगी, और यदि अनुमोदित किया जाता है, तो प्राधिकार जिसका अभ्यर्पण किया गया है, से संबंधित विवरण को पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन अपने प्राधिकार का अभ्यर्पण करने वाली नई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर विवरण प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर निम्न करेगी-

- (क) इस तरह अभ्यर्पण की सार्वजनिक सूचना देना;
- (ख) अपनी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के प्रत्येक उपयोगकर्ता को निम्नलिखित सूचना दें-

- (i) अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख, जो उपयोगकर्ता को इस तरह की सूचना की तारीख से इकतीसवीं दिन होगी; और
- (ii) ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्प, जिनमें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी सम्मिलित है; और
- (ग) खंड (ख) के अधीन प्रयोक्ताओं को इस तरह के अभ्यर्पण के बारे में सूचित करने की प्रभावी तारीख के बारे में केंद्रीय सरकार को सूचित करना।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक दूरसंचार नेटवर्क और प्रमुख दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार फीस के संबंध में उप-नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख तक केंद्रीय सरकार को देय और अन्य देय सभी रकमों का संदाय करेगी।

(6) इस नियम के अधीन अपने प्राधिकार का अभ्यर्पण करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसे प्राधिकार के संबंध में या उसके अधीन संदाय किसी भी फीस या प्रभार की वापसी का हकदार नहीं होगी।

18. प्राधिकार या अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति के अनुसरण में कार्रवाई.- (1) किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति पर-

(क) इस तरह के प्राधिकार के संबंध में सौंपा गया स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तारीख से वापस ले लिया जाएगा; तथा

(ख) ऐसी इकाई अपने रेडियो उपकरणों का प्रबंधन लागू विधि के अनुसार करेगी।

(2) एक नई प्राधिकृत इकाई जिसने किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के साथ इंटरसंयोजन या पीयरिंग के लिए दूरसंचार संसाधन प्रदान किए हैं या उसके पास कोई समझौता है, और यदि ऐसी अन्य इकाई या अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकार अनुज्ञप्ति पश्चात् रद्द कर दिया जाता है, या अभ्यर्पण कर दिया गया है या समाप्त हो गया है, तो नई प्राधिकृत इकाई जिसने संसाधन प्रदान किया है या एक समझौता किया है, अपने दूरसंचार संसाधनों को वापस ले लेगा, या इस तरह के यथा स्थिति इंटरकनेक्शन या पीयरिंग, अन्य इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकार या अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तारीख को काट देगा।

19. प्रवर्जन का परिणाम—(1) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (प्रवर्जन के लिए निबंधन और शर्तों) नियम, 2026 के अधीन प्रवर्जन के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई का कोई भी अतिव्यापी प्राधिकार ऐसे प्रवर्जन की प्रभावी तारीख पर त्याग दिया जाएगा।

(2) अतिव्यापी प्राधिकार का त्याग इस तरह के अतिव्यापी प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और देनदारियों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जो दूरसंचार (प्रवर्जन के लिए निबंधन और शर्तों) नियम, 2026 के अनुसार लागू रहेगा।

20. जानकारी मांगने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन से, किसी नई प्राधिकृत इकाई से ऐसी जानकारी देने के लिए कह सकेगी जो उसे अपेक्षित हो।

21. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार को ऐसा करना आवश्यक या उचित लगे, चाहे किसी नई प्राधिकृत इकाई के अनुरोध पर या अन्यथा, या किसी प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी घटना के होने पर जिसने, सरकार की राय में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या वैसी ही स्थिति वाली नई प्राधिकृत इकाइयों के समूह को इन नियमों के अधीन अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने से रोका हो, तो वह लिखित में दर्ज कारणों के साथ आदेश द्वारा, ऐसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन छूट दे सकेगी जिस पर निर्णय लिया गया हो।

22. आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन से, ऐसे आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो अधिनियम या इन नियमों के असंगत न हों; ये आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत हर नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होने वाली शर्तों और नियम भी होंगे।

अध्याय - 4

वित्तीय शर्तें

23. फीस और प्रभार.—(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-

(क) नई प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को उसके संचालन और गतिविधियों से प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व और किसी भी स्रोत से अर्जित सभी आय सम्मिलित होगी, जिसमें ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ और विविध आय सम्मिलित है, जिसमें व्यय की संबंधित मदों के लिए कोई सेट-ऑफ नहीं है;

(ख) "लागू सकल राजस्व" से ऐसा राजस्व अभिप्रेत है जो नीचे सूचीबद्ध मदों द्वारा घटाए गए नए प्राधिकृत इकाई के सकल राजस्व के बराबर होगा, -

- I. दूरसंचार गतिविधियों या संचालन के अतिरिक्त अन्य संचालन से राजस्व;
- II. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकार, अनुमति या रजिस्ट्रीकृत के अधीन गतिविधियों से राजस्व;
- III. डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; तथा
- IV. निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आने वाला राजस्व, अर्थात् -

- (क) लाभांश से आय;
- (ख) ब्याज से आय;
- (ग) अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;
- (घ) विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ;
- (ङ) संपत्ति के किराए से आय;
- (च) बीमा दावे;
- (छ) खराब ऋण वसूल हो गए; तथा
- (ज) अतिरिक्त उपबंध वापस लिखे गए:

परंतु केंद्रीय सरकार इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों और उनकी गणना की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(ग) "समायोजित सकल राजस्व", -

(i) किसी नेटवर्क सेवा प्रचालक के संबंध में, लागू सकल राजस्व में से निम्नलिखित के सिवाय गणना की जाएगी, अर्थात्: -

- (क) कॉल और शार्ट मेसेज सर्विस से संबंधित इंटरसंयोजन उपयोग फीस, अन्य नई प्राधिकृत संस्थाओं या अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किया जाता है।
- (ख) भारत के भीतर अन्य नई अधिकृत संस्थाओं या अनुज्ञप्तिधारियों और भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया गया रोमिंग राजस्व; और

- (ii) वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के संबंध में, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा अपने एक या एक से अधिक मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर को ऐसे बैंडविड्थ, लीज्ड सर्किट, कॉल मिनट और शार्ट मेसेज सर्विस के लिए एक अनुबंध के अधीन भुगतान किए गए फीस को लागू सकल राजस्व से बाहर करके गणना की जाएगी, जो वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के प्रयोगताओं को प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए आवश्यक हो, केंद्रीय सरकार को ऐसी फीस के संदाय का प्रमाण देने वाले दस्तावेज सहित ऐसी फीस को विनिर्दिष्ट करने वाले ऐसे अनुबंध की एक प्रति प्रस्तुत करने के अधीन है;
- (घ) "इंटरकनेक्शन उपयोग फीस" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन बनाए गए विनियमों या जारी निर्देशों में है;
- (ङ) "प्रकल्पित समायोजित सकल राजस्व" से वह रकम अभिप्रेत है जो एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार के लिए नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय रकम के पांच प्रतिशत के बराबर है और यदि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अलग-अलग समय पर एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करती है, तो अनुमानित समायोजित सकल राजस्व एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय ऐसी सभी रकम के संचयी योग का पांच प्रतिशत होगा;
- (च) प्राधिकार के संबंध में "समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम फीस" से स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट के संबंध में फीस या ऐसी फीस अभिप्रेत है, जिसकी गणना लागू विधि के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- (2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्रत्येक प्राधिकार के लिए ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तिथि से वार्षिक प्राधिकार शुल्क का भुगतान करेगी, जो उप-नियम (3) से उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट यथा लागू रकमों के अधीन समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत होगा।
- (3) प्राधिकार की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए, प्राधिकार फीस निम्न से अधिक होगी-
- (क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या
- (ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश फीस का तीस प्रतिशत।
- (4) किसी प्राधिकार के नवीनीकरण की स्थिति में, नवीनीकरण की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्न से अधिक होगी-
- (क) समायोजित सकल राजस्व की आठ प्रतिशत; या
- (ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश फीस का तीस प्रतिशत।
- (5) सुसंगत प्राधिकार के नियमों और शर्तों के लिए अनुज्ञप्ति के स्थानान्तरण की स्थिति में, प्रवर्जन की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्नलिखित से अधिक होगा-
- (क) समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या
- (ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश फीस का तीस प्रतिशत:
- परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख के बारह मास के भीतर स्थानान्तरित हो गया है, तो उप-नियम (5) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से बारह मास के पूरा होने तक शेष अवधि के लिए देय होगा।
- (6) यदि किसी नई प्राधिकृत इकाई को लागू विधि के अधीन असाइनमेंट के अनुसार एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार है, -
- (क) प्राधिकार की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्न में से अधिक होगी-
- I. अनुमानित समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

II. समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत;

(ख) प्राधिकार की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से प्राधिकार फीस निम्न से अधिक होगी-

I. अनुमानित समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

II. उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम:

परंतु यदि प्राधिकार फीस अनुमानित समायोजित सकल राजस्व के आठ प्रतिशत पर आधारित है, तो इसकी गणना एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने की तारीख या प्राधिकार की प्रभावी तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, से की जाएगी।

(7) प्राधिकार के नवीनीकरण या प्राधिकार के निबंधन और शर्तों के प्रति प्रवर्जन की स्थिति में, किसी नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में नवीनीकरण या प्रवर्जन की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस, जिसे लागू विधि के अधीन असाइनमेंट के अनुसार एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार है, निम्न से अधिक होगी-

(क) अनुमानित समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत; या

(ख) यथा स्थिति, उप-नियम (4) या उप-नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम,

परंतु यदि प्राधिकार फीस अनुमानित समायोजित सकल राजस्व के आठ प्रतिशत पर आधारित है, तो इसकी गणना एक्सेस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने की तारीख या नवीनीकरण या प्रवर्जन की प्रभावी तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, से की जाएगी।

(8) उप-नियम (2) से उप-नियम (7) के अधीन प्राधिकार फीस में डिजिटल भारत निधि के लिए देय रकम सम्मिलित होगी, जो ऐसे प्राधिकार फीस के पांचवें-आठवें हिस्से के बराबर होगी।

(9) उप-नियम (2) से उप नियम (8) में विनिर्दिष्ट डिजिटल भारत निधि के लिए प्राधिकार फीस या रकम की दर प्राधिकार की अवधि के भीतर इन नियमों में संशोधन के माध्यम से किसी भी समय भिन्न हो सकेगी।

(10) यदि कोई नेटवर्क सेवा प्रचालक प्राधिकार फीस के अतिरिक्त लागू विधि के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार, यदि कोई हो, नियम 24 के अनुसार देय होगा।

(11) कोई वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर अपने मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर के लिए लागू दरों पर नियम 24 के अनुसार समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करेगा।

24. संदाय की समय-सारिणी- (1) इन नियमों के अधीन अवधारित समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस या स्पेक्ट्रम प्रभार प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा पहली अप्रैल से आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किश्तों में देय होंगे, और प्राधिकार की किसी भी अवधि के लिए फीस की गणना सुसंगत तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों की तिमाही किश्तों का संदाय निम्नलिखित रीति से करेगी, अर्थात् -

(क) किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमासिक किस्त का संदाय संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का संदाय पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए संदाय किए गए समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम फीस के बराबर न्यूनतम रकम के अधीन होगी:

परंतु कि नई प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम संदाय और ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक रकम के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष में पंद्रह अप्रैल तक समायोजित करेगी और उसका संदाय करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार संदाय की गणना सुसंगत तिमाही के लिए राजस्व के साथ संभूति आधार पर की जाएगी, और साथ में ऐसे रूप में और रीति से जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, एक स्व-प्रमाण पत्र और नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्रत्येक प्राधिकार के लिए राजस्व के विवरण द्वारा, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए जाएं, जिन्हें बोर्ड के संकल्प और सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की जून की तीस तारीख को या उससे पहले-

(क) पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व का विवरण ऐसे रूप और रीति से प्रस्तुत करना जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और हस्ताक्षरित हो; तथा

(ख) उप-नियम (2) के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का अंतिम समायोजन करें।

(5) समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस या स्पेक्ट्रम प्रभारों या ऐसे संदाय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के बाद किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय किसी अन्य देय रकम के संदाय में किसी विलंब की स्थिति में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भी भारतीय स्टेट बैंक की निधियों की एक वर्ष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर की दर से परिकलित ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा कि सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विद्यमान है, अर्थात् अप्रैल का पहला भाग, जमा दो प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि:

परंतु कि ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए एक मास के किसी भी भाग को पूरे मास के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के अधीन राजस्व के प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों में दिखाई देने वाले आंकड़ों के बीच एक मिलान विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) के अधीन नियुक्त उसके लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और हस्ताक्षरित आंकड़ों के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से सात दिनों के भीतर या कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करने के अधीन उपबंधित प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर प्रकाशित वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति होगी। के जो भी पहले हो:

परंतु कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व का विवरण और सुलह विवरण ऐसे मानदंडों या आदेशों या निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) इन नियमों के अधीन देय और संदेय सभी धनराशियों का संदाय नई प्राधिकृत इकाई द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

25. प्राधिकार के लिए गारंटी अपेक्षाएं--(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित में से किसी प्रकार की ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट जाए, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रस्तुत करेगी, अर्थात्: -

(क) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ;

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया कोई निष्पादन बांड, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि सहित; या

(ग) केंद्रीय सरकार के पास बिना ब्याज वाली नकद जमा।

(2) उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट गारंटी का उद्देश्य प्राधिकार के सभी निबंधन और शर्तों के अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकार के अधीन प्राधिकार फीस के संदाय तक सीमित नहीं होकर, समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार, प्राधिकार के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए लगाया गया जुर्माना या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना और देय कोई अन्य देय रकम सम्मिलित है।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की अवधि के दौरान, या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देयों को चुकाया नहीं जाता है, जो भी पश्चात्कर्ती हो, एक वैध गारंटी बनाए रखेगी:

परंतु आशय पत्र के अनुसार प्रारंभिक गारंटी अनुसूची क में प्रत्येक सुसंगिक प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट रकम के लिए या नियम 6 के उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट रकम के लिए होगी, और प्राधिकार के प्रत्येक पश्चात्कर्ती वर्ष के लिए, गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित उच्च रकम के आधार पर होगी-

- (क) अनुसूची क में प्रत्येक सुसंगत प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक गारंटी की रकम; या
- (ख) संयुक्त अनुमानित रकम का बीस प्रतिशत, जिसकी गणना उस प्रक्रिया के अनुसार की जाती है पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए निम्नलिखित में से: -
 - I. दो तिमाहियों के लिए देय प्राधिकार फीस;
 - II. समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम फीस दो तिमाहियों के लिए देय हैं; तथा
 - III. कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इस नियम के अधीन प्रस्तुत गारंटी की वैधता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक मास पहले, केंद्रीय सरकार से बिना किसी मांग या सूचना के बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में विफलता, या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देयों को मंजूरी नहीं दी जाती है, जो भी पश्चात्कर्ती हो, केंद्रीय सरकार को बैंक गारंटी को नकदीकरण, निष्पादन बांड का दावा करने या नकद जमा को उपयुक्त बनाने का अधिकार देगा, नई प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना दिए बिना:

परंतु ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) यदि गारंटी को पूरी तरह या आंशिक रूप से नकदीकरण गया है, दावा किया गया है या विनियोजित किया गया है, तो नई प्राधिकृत इकाई इस तरह की नकदीकरण, दावा की गई या विनियोजित गारंटी को उसके तीस दिनों के भीतर पूरी रकम में बहाल करेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, लिखित रूप में दर्ज किए जा रहे कारणों के अध्यधीन, ऐसी बहाली के लिए एकबारगी विस्तार की अनुमति प्रदान करेगी जो दस दिनों से अधिक नहीं होगी।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत गारंटी को भुनाने, दावा करने या उसका विनियोग कर सकेगी, अर्थात् -

- (क) प्राधिकार फीस का संदाय न करना, समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम फीस, या प्राधिकार या असाइनमेंट के अधीन देय किसी भी अन्य बकाये का संदाय न करना;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगायी गई शास्ति से उत्पन्न होने वाले बकाया रकम का संदाय न करना; या
- (ग) प्राधिकार या असाइनमेंट के किसी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन:

परन्तु इस उप नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी कर सकेगी और इसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सकेगी।

(8) प्राधिकार के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, केंद्रीय सरकार उन सभी देयताओं की निकासी सुनिश्चित करने के बाद ही गारंटी जारी करेगी, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है:

परन्तु केंद्रीय सरकार को देय रकम का संदाय करने में विफलता के मामले में, बकाया रकम को केंद्रीय सरकार को देय रकम की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-नियम (7) में प्रदान की गई गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

26. समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का निर्धारण- (1) केंद्रीय सरकार इस संबंध में पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का निर्धारण कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" में पुनर्मूल्यांकन और पुनः गणना सम्मिलित होगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई समायोजित सकल राजस्व प्राप्त करने के लिए लागू सकल राजस्व से बाहर की गई रकम के समर्थन में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार संगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए या किसी भिन्न सेवा क्षेत्र में एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकार रखती है, तो वह ऐसे प्रत्येक प्राधिकार के लिए अलग-अलग खाते और प्राधिकार फीस की गणना का एक अलग विवरण तैयार करेगी, बनाए रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उसके प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में-

(क) लेखांकन रिकॉर्ड संकलित करना और बनाए रखना, जो प्राधिकार की अवधि के दौरान या ऐसी कम अवधि की प्रत्येक पूर्ण तिमाही के संबंध में अपने लेनदेन को दिखाने और समझाने के लिए पर्याप्त हैं, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिसमें पूंजीगत लागत, राजस्व और प्राधिकार के अधीन ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के कारबार की वित्तीय स्थिति सहित लागतों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राजस्व या किसी अन्य उद्देश्य की मात्रा के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई के कारबार के कारण नियोजित परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्यांकन सम्मिलित है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों या भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पारदर्शी रीति से किया जाए; तथा

(ग) भारत के बाहर अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ खातों के निपटान के लिए तंत्र का ब्यौरा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना है, जिसमें इंटरसंयोजन उपयोग प्रभार, नेटवर्क के उपयोग के लिए प्रभार और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए सुविधाएं और प्रभार के साथ-साथ वास्तविक निपटान का विवरण सम्मिलित है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित वार्षिक खातों के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्राधिकार के अधीन प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध से संबंधित बिलिंग रिकॉर्ड और अन्य लेखा अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप के साथ-साथ हार्ड कॉपी में बनाए रखेगा और संरक्षित करेगा:

परन्तु यदि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसे अभिलेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना और संरक्षित करना चाहती है, तो वह केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसा कर सकेगी, जिस पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकेगा और इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा, ऐसे रिकॉर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार बनाए रखा और संरक्षित किया जाएगा।

परंतु यदि प्राधिकार फीस, समायोजित सकल राजस्व से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार या किसी भी अवधि के लिए कोई अन्य बकाया विवाद के अधीन है, तो उक्त रिकॉर्ड तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि इस तरह के विवाद का समाधान नहीं हो जाता।

(6) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, नई प्राधिकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या वार्षिक लेखाओं की पुस्तकों का अभिगम प्रदान करने का निदेश दे सकेगी, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार की शर्तों के अधीन रखती है, और वह नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेश का तुरन्त पालन करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, किसी भी नए प्राधिकृत इकाई के रिकॉर्ड की ऐसी जांच कर सकेगी, जिसमें वह केंद्रीय सरकार को देय रकमों के स्वतंत्र सत्यापन को सुकर बनाने की दृष्टि से निर्धारित करे, जिसमें प्राधिकार फीस, समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध स्पेक्ट्रम प्रभार और कोई अन्य प्रभार सम्मिलित हैं।

(8) केंद्रीय सरकार, यह राय बनाने पर कि नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्राधिकार या वार्षिक लेखाओं के संबंध में राजस्व के विवरण गलत या भ्रामक हैं, या किसी अन्य कारण से, एक या अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करके, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश दे सकेगी, जिनके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी के लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त हैं और ऐसे प्रभारों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित कर सकेगी, वह उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होंगे।

(9) यदि किसी भी नए प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास के भीतर नियम 25 के उप नियम (4) और उप नियम (6) के अधीन वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों और सूचना और संबंधित सामग्रियों की समीक्षा करने के पश्चात्, समायोजित सकल राजस्व से जुड़े प्राधिकार फीस या स्पेक्ट्रम प्रभारों का मूल्यांकन कर सकेगी। सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर:

परंतु इस तरह के मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को एक नोटिस जारी करेगी जो इसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(10) उपनियम (11) के अधीन उपबंधित मूल्यांकन के सिवाय इस नियम के अधीन कोई मूल्यांकन ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा।

(11) केंद्रीय सरकार संबद्ध वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् और ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष तक मूल्यांकन कर सकेगी, यदि उसकी यह राय है कि वह रकम जो मूल्यांकन के अधीन नहीं है, ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के समतुल्य होने की संभावना है।

(12) उप-नियम (10) और उप-नियम (11) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी भी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसार इस तरह के मूल्यांकन की किसी भी अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(13) उप-नियम (10) और उप-नियम (11) में किसी बात के होते हुए भी, समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार फीस या स्पेक्ट्रम प्रभारों का निर्धारण सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी निष्कर्ष या निदेश के अनुसरण में किसी भी समय किया जा सकेगा।

(14) केंद्रीय सरकार, समायोजित सकल राजस्व से संबद्ध प्राधिकार फीस और स्पेक्ट्रम प्रभारों का उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के लेखाओं और लेखापरीक्षा के संबंध में किसी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई को निदेश जारी कर सकेगी और नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

27. सेट ऑफ-(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को उसके द्वारा देय किसी भी रकम के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय किसी भी रकम को समायोजित या निर्धारित कर सकेगी, चाहे ऐसी रकम वर्तमान में देय हो या भविष्य में किसी भी समय देय हो सकेगी, जिसमें नकदीकरण से उत्पन्न होने वाली कोई रकम, गारंटी का दावा या विनियोग भी सम्मिलित है।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई के पश्चात्, ऐसी व्यवस्था के बारे में नई प्राधिकृत इकाई को सूचित करेगी।

28. देयों की वसूली- वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय किसी भी रकम का यदि संदाय नहीं किया जाता है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

अध्याय 5

तकनीकी और प्रचालनात्मक शर्तें

29. दूरसंचार नेटवर्क— (1) इन नियमों के अधीन प्राधिकार रखने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, ऐसे प्राधिकार के दायरे के अनुरूप रहते हुए, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार कर सकेगी और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन पृथक प्राधिकार की अपेक्षा के बिना रेडियो उपकरण भी धारण कर सकेगी:

परंतु स्पेक्ट्रम के समनुदेशन और उपयोग के संबंध में, नियम 7 का उप-नियम (5) लागू होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने प्राधिकार के अनुसार प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार कर सकेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकर्ता और दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, और प्रदान की गई ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपाय के अनुरूप हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित कर सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार या नामित एजेंसी लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप होने का पता लगाने के लिए ऐसे दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार उपकरण या प्रमुख दूरसंचार सेवाओं पर निष्पादन परीक्षण कर सकेगी:

परंतु नई प्राधिकृत इकाई ऐसे उपकरणों, परीक्षण उपकरणों और अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति करेगी और प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार या नामित एजेंसी दूरसंचार नेटवर्क और प्रमुख दूरसंचार सेवाओं पर परीक्षण करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क प्रणाली क्लॉक को राष्ट्रीय क्लॉक के साथ केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार सिंक्रनाइज़ करेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाता है, और दूरसंचार नेटवर्क सिंक्रनाइज़ेशन के लिए मानकों के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिसूचित किया जाता है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे समय पर जारी किसी निर्देश के अपेक्षित अनुपालनार्थ या नामनिर्दिष्ट एजेंसी को विकसित की गई प्रौद्योगिकी सहित ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान की जा रही प्रमुख दूरसंचार सेवाओं और उपयोग किए जा रहे दूरसंचार नेटवर्क का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए मार्ग के अधिकार के संबंध में अपनी व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों की स्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार और आवश्यक अवसंरचना की कमीशनिंग, दूरसंचार उपकरण और प्रणाली और इसके दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलू के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

परंतु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क, निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना या दूरसंचार संसाधनों को एक सेवा के रूप में या पट्टे पर या किराए पर या साझा करने के आधार पर, लागू नियमों के अनुसार, अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर ले सकेगी।

(6) मार्ग के अधिकार की अनुपलब्धता या नई प्राधिकृत इकाई द्वारा मार्ग का अधिकार अनुमति प्राप्त करने में विलंब इन नियमों के अधीन रोल-आउट दायित्वों को पूरा न करने या किसी अन्य दायित्व का अनुपालन न करने का कारण या आधार नहीं होगा।

(7) यदि किसी नई प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार के लिए मार्ग के अधिकार की अपेक्षा है, तो वह सीधे या अपने सुविधा प्रदाता के माध्यम से, उस व्यक्ति के साथ इस तरह के मार्ग के अधिकार के अनुदान के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, जिसके पास उस मार्ग का अधिकार प्रदान करने का अधिकार है।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार के लिए किसी भी योजना, जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है, का पालन करेगी जिसमें राष्ट्रीय नंबरिंग योजना और राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना सम्मिलित है।

(9) किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा लिया गया दूरसंचार नेटवर्क -

(क) किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से एक सेवा के रूप में;

(ख) किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई, अनुज्ञप्तिधारी या ऐसी इकाई से पट्टे पर या किराए पर लेना जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्राधिकृत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड की क्षमता है, या इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य नामनिर्दिष्ट एजेंसी; या

(ग) लागू नियमों के अनुसार, किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से साझा करने के आधार पर,

प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध और प्राधिकार के नियमों और शर्तों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क के भाग के रूप में माना जाएगा।

(10) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करते समय, इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उद्घासन मानदंडों का पालन करेगी और ऐसे मानदंडों के अनुपालन की जांच करने के लिए प्रत्येक बेस स्टेशन का स्व-मूल्यांकन करेगी और ऐसे अनुपालन का स्व-प्रमाणन प्रदान करेगी, जैसा कि द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(11) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार द्वारा जारी या दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट पर प्रमुख दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता का भौगोलिक क्षेत्र-वार विवरण को प्रकाशित करेगी।

(12) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई लीड सर्किट को सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगी।

(13) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती;

(ख) स्वदेशी रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए प्राथमिकता बाजार अभिगम;

(ग) प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के वाणिज्यिक शुभारंभ से पहले परीक्षण उपयोगकर्ताओं का नामांकन और इसके दूरसंचार नेटवर्क का परीक्षण; और

(घ) रेडियो उपकरणों का निपटान।

30. दूरसंचार नेटवर्क प्रणालियों का अवस्थिति-(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की ऐसी सभी प्रणालियों का स्थान विवरण केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी, जैसा वह निदेश दे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना या विस्तार से पहले, इसके अनुमोदन के लिए पोर्टल पर केंद्रीय सरकार के पास आवेदन करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि-

(क) इसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी प्रणालियां,-

- I. स्वामित्व, या किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक से सेवा के रूप में लिया गया हो; या
- II. किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक से पट्टे, किराए पर या साझा करने के आधार पर;

प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकारों के अपने सेवा क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं :

परंतु ऐसे मामलों में जहां दूरसंचार नेटवर्क को लागू विधि के अधीन प्राधिकृत क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता या सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदाता से सेवा के रूप में लिया जाता है, ऐसे दूरसंचार नेटवर्क की प्रणालियां भारत में कहीं भी स्थित हो सकेगी; और

(ख) इसके दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े सभी डेटा, लॉग और जानकारी भारत के भीतर संग्रहित की जाएगी और इस तरह के डेटा, लॉग और सूचना की कोई भी प्रतियां भारत के बाहर रूट, साझा या उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राधिकार के सेवा क्षेत्र, यदि कोई हो, के सटीक परिसीमन के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए मैप का पालन करेगी।

31. दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना की साझेदारी-(1) कोई नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास विभिन्न प्राधिकार हैं, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन, अपने प्राधिकारों के दायरे में अनुमति प्राप्त प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपस्कर या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा कर सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नई प्राधिकृत इकाई, अपनी निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा करने के लिए किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के साथ आपसी समझौते कर सकेगी:

परंतु-

- I. कोर दूरसंचार नेटवर्क, वैध अवरोधन प्रणाली और वैध अवरोधन निगरानी सुविधाओं को साझा करने के लिए ऐसा कोई भी आपसी समझौता क्रमशः उप-नियम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा;
- II. ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, इस तरह के समझौते में प्रवेश करने से पहले, यह सुनिश्चित करेगी कि नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी जिसके साथ वह समझौता करना चाहती है, ऐसी निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण, या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को प्राप्त करने के लिए पात्र है; तथा
- III. इस तरह के किसी भी आपसी समझौते के बावजूद नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी को भी उनके संबंधित प्राधिकरणों के निबंधन और शर्तों का पालन होगा।

(3) एक नई प्राधिकृत इकाई ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अपने मुख्य दूरसंचार नेटवर्क तत्वों को साझा कर सकेगी, केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा लिखित रूप में प्राप्त किए गए आवेदन के अनुसरण में ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा लिखित रूप में साझा कर सकेगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर ऐसे प्ररूप और रीति से विनिर्दिष्ट किया गया है:

परन्तु केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तों के अधीन ऐसा अनुमोदन प्रदान कर सकेगी जो वह अन्य बातों के साथ-साथ पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करेगी कि इस तरह के अनुमोदन के परिणामस्वरूप किसी दिए गए सेवा क्षेत्र में प्रमुख दूरसंचार सेवा के लिए दो से कम प्रमुख दूरसंचार नेटवर्क नहीं होंगे:

परन्तु यह भी कि किसी अन्य प्रमुख दूरसंचार सेवा से संबंधित मुख्य दूरसंचार नेटवर्क तत्वों के साझाकरण के लिए, जो उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट नहीं है, केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) एक नई प्राधिकृत इकाई अपनी विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली और विधिसम्मत अवरोधन निगरानी सुविधाओं को अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद ही साझा कर सकेगी।

32. दूरसंचार नेटवर्क इंटरसंयोजन और नेटवर्क सेवा प्रचालकों के बीच पीयरिंग-(1) प्रत्येक नेटवर्क सेवा प्रचालक उप-नियम (2), (3) और (4) के अधीन रहते हुए किसी अन्य नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क के साथ अपने दूरसंचार नेटवर्क को आपस में इन्टरकनेक्ट कर सकेगी या पियर सकेगा।

(2) नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर किसी अन्य नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर लाइसेंसधारक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरसंयोजन करते समय या पीयरिंग करते समय यह सुनिश्चित करेगा -

(क) कि इंटरसंयोजन या पीयरिंग के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम मानकों और इंटरफ़ेस अपेक्षाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं;

(ख) अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार, इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित ट्रैफिक ले जाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरफ़ेस पर अपेक्षानुसार इंटरसंयोजन और पीयरिंग स्थापित किया गया है:

परन्तु नेटवर्क सेवा प्रचालक किसी अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक या नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क पर सर्किट स्विचड ट्रैफिक भेजने से पहले सर्किट स्विचड ट्रैफिक को इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित ट्रैफिक में बदल देगा;

(ग) अंतः संबंध के एक या अधिक बिंदुओं की स्थापना और रखरखाव और पर्याप्त क्षमता की बराबरी के लिए जो कि मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप संदेशों के प्रसारण और रिसेप्शन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित किया जाता है; और

(घ) वह अंतः संबंध और बराबरी तकनीकी रूप से संगत और प्रभावी है।

(3) नेटवर्क सेवा प्रचालक केंद्रीय सरकार को किसी अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक अथवा नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गए अंतः संबंध और बराबरी का ब्यौरा ऐसे प्रारूप और रीति से उपलब्ध कराएगा और अद्यतन करेगा, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है।

(4) वह नेटवर्क सेवा प्रचालक जिसके पास अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक या नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी, जिसका प्राधिकार या अनुज्ञप्ति, निरसन, सरेंडर या समाप्ति का विषय है, वह किसी भी ऐसे अंतः संबंध या बराबरी को काट देगा जहां निरसन, सरेंडर या समाप्ति की प्रभावी तारीख से उसने कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान किया है, ऐसे दूरसंचार संसाधनों को वापस ले लेगा।

33. प्रमुख दूरसंचार सेवाओं की निगरानी और निलंबन—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुप्रयोग के लिए अपने स्वयं के खर्च पर स्वचालित उपस्कर या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उपयुक्त तकनीकी उपायों को तैनात करेगी:

परन्तु एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र वाले सेवा क्षेत्र के मामले में, नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे उपाय प्रत्येक संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए अलग-अलग अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुपालन को सक्षम बनाते हैं।

(2) इन नियमों में निहित कोई बात अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि के अनुसरण में उपबंधित या रखी गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जिसे अभिगम सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे या सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने का प्राधिकार है, उन आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी कर सकती है, और अपनी लागत पर-

- (क) संदेशों या संदेशों के वर्ग के अवरोधन के संबंध में उपयुक्त वैध अवरोधन प्रणाली और वैध अवरोधन निगरानी सुविधाओं की स्थापना, संचालन, रखरखाव और विस्तार करना; तथा
- (ख) जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसी प्रणालियों के साथ और ऐसे तरीके से एकीकरण प्रदान कर सकती है।

परन्तु यह भी कि केंद्रीय सरकार, मामला-दर-मामला आधार पर, किसी नई प्राधिकृत इकाई के लिखित अनुरोध पर ऐसी इकाई को इस उप-नियम की आवश्यकता से छूट दे सकेगी, जहां-

- I. उस इकाई के उपयोगकर्ताओं की संख्या ऐसी संख्या से कम है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है,; या
- II. इंटरनेट गेटवे नोड पर अपस्ट्रीम बैंडविड्थ उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा केवल एक नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास अभिगम सेवाएं या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार है, या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे स्थापित करने की अनुमति है, वह एक साथ कॉलों की इतनी संख्या की निर्बाध निगरानी सुनिश्चित करेगी और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार दूरसंचार पहचानकर्ताओं की ऐसी न्यूनतम संख्या की निगरानी के लिए उपबंध करेगी।

34. उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध का उपबंध-(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर केंद्रीय सरकार को पूर्व सूचना प्रदान करने के पश्चात् अपने प्राधिकार के दायरे में अनुमति प्राप्त किसी प्रमुख दूरसंचार सेवा का उपबंध शुरू करेगी।

(2) नई प्राधिकृत इकाई, जिसने उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्रदान की है, वह केंद्रीय सरकार को ऐसे समय में प्रदर्शन करेगी जिसकी उससे अपेक्षा हो, जिसमें ऐसी सूचना प्रस्तुत करना भी शामिल है, जिसकी उससे अपेक्षा हो, और प्रमुख दूरसंचार सेवाएं उसके प्राधिकार के कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

(3) नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी प्रमुख दूरसंचार सेवा का उपबंध शुरू करने से पहले, नियम 33 के अधीन स्थापित प्रणालियों और सुविधाओं का परीक्षण कार्यक्रम और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार स्व-लेखा परीक्षा करें, जिसे केंद्रीय सरकार आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट कर सकती है, और उपबंध शुरू होने की प्रस्तावित तारीख सहित इन नियमों के अनुपालन का प्रमाण पत्र केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराये ;
- (ख) उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुख दूरसंचार सेवा का उपबंध शुरू होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर-
 - I. उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुख दूरसंचार सेवा का उपबंध शुरू करने की तारीख को केंद्रीय सरकार को सूचित करना; तथा
 - II. खंड (क) के अधीन स्व-लेखा परीक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय सरकार और प्राधिकृत अभिकरण को प्रदर्शन के लिए प्रस्ताव;

(ग) केंद्रीय सरकार से एक संचार प्राप्त होने पर कि वह खंड (ख) के अधीन परीक्षणों के अनुसार नियम 33 के अनुपालन को प्रदर्शित करने में विफल रही है, ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा के उपबंध को उस समय तक निलंबित कर दिया जाए जब तक कि कमियों को दूर नहीं किया जाता है और खंड (क) में विनिर्दिष्ट परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया के अनुपालन में प्रदर्शित नहीं किया जाता है; तथा

(घ) खंड (ग) या (घ) के अधीन सफल प्रदर्शन के बाद, यदि केंद्रीय सरकार इस तरह की वैध अवरोधन प्रणाली और वैध अवरोधन निगरानी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कार्यात्मक आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करती है, तो नई प्राधिकृत इकाई विनिर्दिष्ट समय अवधि में ऐसी प्रणालियों और सुविधाओं को अद्यतन करेगी और केंद्रीय सरकार और प्राधिकृत अभिकरण को प्रदर्शन के लिए पेशकश करेगी:

परंतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी गेटवे या सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध को शुरू करने से पहले, नई प्राधिकृत इकाई खंड (क) में विनिर्दिष्ट परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार वैध अवरोधन प्रणाली और वैध अवरोधन निगरानी सुविधाओं का प्रदर्शन करेगी।

35. प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का उपबंध-(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का उपबंध शुरू करने से पहले, अपनी वेबसाइट पर प्रक्रिया और प्रक्रिया के विवरण को सूचित और प्रचारित करें, जिसके अनुसार कोई भी उपयोगकर्ता ऐसी दूरसंचार सेवाओं के लिए मांग दर्ज कर सकता है या अनुरोध कर सकता है;
- (ख) बिना किसी भेदभाव के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाओं की मांग को सेवा क्षेत्र में किसी भी उपयोगकर्ता से रजिस्ट्रीकृत करें और जहां तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, ऐसे उपयोगकर्ता को ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करें, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए;
- (ग) ऐसी दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए वाणिज्यिक सिद्धांतों के संबंध में खंड (ख) के अधीन अपनी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करना;
- (घ) उपयोगकर्ताओं की एक पारदर्शी और निरीक्षण प्रतीक्षा सूची बनाए रखना जिसका प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए अनुरोध लंबित है;
- (ङ) मांग के पंजीकरण और उपयोगकर्ता के नामांकन के समय, उपयोगकर्ता के लिए प्रत्येक प्रमुख दूरसंचार सेवा के दायरे को परिभाषित करना;
- (च) सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्ता टर्मिनल अपने प्राधिकार के विनियमों और शर्तों के अनुसार संचालित किया जाता है;
- (छ) अपने नाम से बिलों, चालानों या वाउचरों को, चाहे उन्हें जो भी नाम दिया गया हो, जारी करे या जारी करवाए, तथा प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपयोग के लिए अपने उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाए। ऐसे बिलों, चालानों या वाउचरों की वास्तविकता के बारे में पर्याप्त विवरण भी प्रदान करे।
- (ज) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों मदवार उपयोग के आवश्यक अभिलेखों को बनाए रखना;
- (झ) अपने उपयोगकर्ताओं को खंड (ज) में बनाए गए अनुसार, मदवार उपयोग विवरण की पेशकश करना;
- (ञ) उपयोगकर्ताओं को मरम्मत, दोष सुधार, मुआवजे या धनवापसी के संबंध में सभी नीतियां और व्यवस्थाएं लिखित में सूचित करना; और

(ट) केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप प्रमुख दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(2) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर भारत के क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा या किसी अन्य क्षेत्र के पास आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध या उपयोग पर प्रतिबंध विनिर्दिष्ट कर सकती है:

परंतु ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं को ऐसी दूरसंचार सेवाओं के उपबंध या उपयोग की अनुमति दे सकती है और नई प्राधिकृत इकाई इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इसकी सुविधा प्रदान करेगी।

(3) नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ता टर्मिनलों की बिक्री, किराए पर लेना, खरीद, पट्टा या किराए पर दे सकती है, और उपयोगकर्ताओं को खुले बाजार से उपयोगकर्ता टर्मिनल खरीदने का विकल्प दिया जाएगा।

(4) नई प्राधिकृत इकाई, अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए, अपने दूरसंचार नेटवर्क के अतिरिक्त, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) के अधीन रजिस्ट्रीकृत केबल ऑपरेटर के केबल नेटवर्क का उपयोग कर सकेगी।

(5) उप-नियम (7) और नियम 16, 17 और 81 में दिए गए अनुसार, नई प्राधिकृत इकाई अपने उपयोगकर्ताओं को प्रमुख दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

(6) यदि नई प्राधिकृत इकाई अपने उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक, प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का, लेकिन सभी सेवाओं का नहीं, उपबंध बंद करना चाहती है, तो निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्:

- (क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा के उपबंध को बंद करने की इच्छित तारीख से कम से कम साठ दिन पहले, केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ ऐसे इच्छित बंद करने के कारण भी होंगे
- (ख) केंद्रीय सरकार ऐसे आवेदन को मंजूर कर सकती है या लोकहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर सकती है
- (ग) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई खंड (ख) के अधीन अनुमोदन के अनुसार, ऐसी दूरसंचार सेवा के उपयोगकर्ताओं को उस प्रमुख दूरसंचार सेवा के बंद होने की सूचना बंद होने की इच्छित तारीख से कम से कम तीस दिन पहले जारी करेगी, बंद होने की प्रभावी तारीख और ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को बताएगी, जिसमें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी शामिल है, जहां भी लागू हो; और
- (घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ता को उस नई प्राधिकृत इकाई के साथ उपलब्ध शेष राशि, जिसमें सुरक्षा जमा भी शामिल है, को ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा के उपबंध को बंद करने की प्रभावी तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर वापस कर देगी:

परंतु अधिनियम के उप-नियम (7) या नियम 16, 17 और 81 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी दूरसंचार सेवाओं के प्रतिसंहरण या निलंबन के अनुसरण में प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के किसी भी विच्छेदन के लिए लागू नहीं होगा।

(7) यदि नई प्राधिकृत इकाई को उपयोगकर्ता से उसकी अभिदाय की गई प्रमुख दूरसंचार सेवाओं को विच्छेद करने के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो वह नियम 40 के उप-नियम (2) या (3) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, जैसा भी मामला हो, उस उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही विच्छेदन की कार्रवाई करेगी, और इस विच्छेदन की जानकारी को यह वास्तविक समय में, संबंधित डाटा बेस में, जिसमें अभिदाता डाटा रिकॉर्ड भी शामिल है, वास्तविक समय में अद्यतन करेगी।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, लागू विधि के अनुसार, आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित करेगी और उनका प्रचार करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन व्यवस्था भी शामिल है, ताकि उपयोगकर्ता अपनी अभिदाय की गई प्रमुख दूरसंचार सेवा से जुड़ी किसी भी शिकायत को रजिस्ट्रीकृत कर सकें और ऐसी शिकायतों का निवारण करवा सकें।

(9) प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के संबंध में कोई भी विवाद केवल एक उपयोगकर्ता और नई प्राधिकृत इकाई के बीच होगा और ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को ऐसी दूरसंचार सेवाओं के उपबंध से पहले उपयोगकर्ता को विधिवत सूचित करना होगा, और केंद्रीय सरकार इस मामले में कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं लेगी।

(10) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी भी कारण से उपयोगकर्ताओं से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, शुल्कों या नुकसानों के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति देगी।

(11) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई को लागू विधि के अनुसार प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान करते समय, स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी इकाई ऐसी दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने के लिए योग्य है।

(12) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई को लागू विधि के अनुसार प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त इकाई से दूरसंचार संसाधन प्राप्त करते समय या अनुज्ञप्तिधारी के इस बात से स्वयं को संतुष्ट होने पर कि ऐसा नई प्राधिकृत इकाई ऐसी दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के लिए योग्य है।

36. निरीक्षण करने और आकलन करने का अधिकार— (1) केंद्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनों के लिए, इस संबंध में नई प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करने के बाद, -

(क) उन साइटों तक पहुंचें और निरीक्षण करें जहां दूरसंचार उपस्कर और दूरसंचार नेटवर्क प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए स्थापित किए गए हैं, जिसमें उपयोगकर्ता के परिसर के भीतर भी शामिल है

(ख) ऐसे नई प्राधिकृत इकाई द्वारा इन नियमों के अनुपालन के लिए स्थापित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं या प्रणालियाँ:

परंतु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा यदि केंद्रीय सरकार का मानना है कि सार्वजनिक हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार इन नियमों के अनुपालन के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों का लेखापरीक्षा करने के लिए एक अभिहीत अभिकरण नियुक्त कर सकेगी, ऐसे प्रभारों पर जो केंद्रीय सरकार निर्धारित कर सकती है, जो उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होंगे:

परंतु यह भी कि ऐसी अभिहीत अभिकरण किसी भी ऐसी जानकारी का संग्रह या प्रकटीकरण की मांग नहीं करेगी, जिसका प्रकटीकरण किसी उपयोगकर्ता या नई प्राधिकृत इकाई की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कोई भी गोपनीय डाटा, कारबार रूप से मूल्य संवेदनशील डाटा, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा, या उस नई प्राधिकृत इकाई या उपयोगकर्ता के दूरसंचार नेटवर्क या परिसर से विश्वासपात्र संबंध से कवर की गई जानकारी शामिल है:

परंतु यह भी कि यदि केंद्रीय सरकार को लगता है कि तीसरे परंतुक के अधीन आने वाली नई प्राधिकृत इकाई की सूचना का संग्रह लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आवश्यक है, तो वह अभिहीत अभिकरण को ऐसा डाटा एकत्र करने का निर्देश दे सकती है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अधीन आवश्यक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगी।

37. जानकारी की गोपनीयता—(1) केंद्रीय सरकार कोडीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी दूरसंचार उपस्कर का मूल्यांकन कर सकती है, जो एक नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा है और ऐसी कोई भी प्राधिकृत इकाई ऐसे किसी भी उपस्कर को हटा देगी यदि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन, किसी उपयोगकर्ता और उसके कारबार की निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसे वह प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है या जिससे उसने दूरसंचार सेवा के उपबंध के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त की है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि-

- (क) ऐसी कोई नई प्राधिकृत इकाई या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी नहीं मांगता है जो कि प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध या उपयोगकर्ता द्वारा ऐसी दूरसंचार सेवाओं के वास्तविक उपयोग की जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ख) ऐसी कोई भी नई प्राधिकृत इकाई या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के क्रम में आवश्यक होने के अतिरिक्त ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा या उपयोग नहीं करता है:

परंतु उप-नियम (2) वहां लागू नहीं होगा जहां-

- (i) जानकारी एक विशिष्ट उपयोगकर्ता से संबंधित है और ऐसे उपयोगकर्ता ने ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण या उपयोग के लिए लिखित में सहमति दी है, और ऐसी जानकारी ऐसी सहमति की शर्तों के अनुसार प्रकट या उपयोग की जाती है; या
- (ii) जानकारी पहले से ही जनता के लिए सुलभ है और अन्यथा ज्ञात है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध की शुरुआत से पहले, केंद्रीय सरकार को लिखित में पुष्टि करनी चाहिए कि उसने उपयोगकर्ता की किसी भी जानकारी की डाटा निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसमें उसके कर्मचारियों और सलाहकारों द्वारा ऐसा अनुपालन भी शामिल है।

(4) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, नई प्राधिकृत इकाई, लोकहित में केन्द्रीय सरकार से निर्देश प्राप्त करने पर दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार को लागू विधि के अनुसार किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक डाटा तक पहुंचने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना साझा नहीं करेगी:

परंतु दूरसंचार नेटवर्क के ऐसे विवरण जो उसके दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं या निर्माताओं द्वारा आवश्यक हो प्रदान करने के लिए ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।

38. सार्वजनिक आपातकाल के दौरान सेवाएं, और सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए- (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन परिभाषित आपातकाल या आपदा के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी ऐसे निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जिसके पास अभिगम सेवा प्राधिकार है

- (क) लघु संदेश सेवा, सेल प्रसारण या किसी अन्य माध्यम से अलर्ट संदेशों के प्रसार की सुविधा प्रदान करना जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है; और
- (ख) केंद्रीय सरकार या अभिहीत अभिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार रोमिंग को लागू करना।

अध्याय 6

सुरक्षा शर्तें

भाग क

सामान्य सुरक्षा शर्तें

39. नई प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी, अर्थात्:

- (क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।
- (ख) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी मुख्य अधिकारी, सुरक्षा, मुख्य दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी अधिकारी और सिस्टम प्रशासक निवासी भारतीय नागरिक होंगे; और
- (ग) दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 के अधीन ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकृत नोडल अधिकारी, और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के अधीन ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा अभिहित, साथ ही इन नियमों के विषय से निपटने वाली उस नई प्राधिकृत इकाई का कोई अन्य नोडल अधिकारी, निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विदेशी नागरिक की सुरक्षा जांच भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा की जाए—

- (क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी के पदों पर ऐसे विदेशी नागरिक की नियुक्ति से पहले, ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर ऐसी सुरक्षा जांच की जाएगी; और
- (ख) अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए ऐसे विदेशी नागरिक की तैनाती से पहले।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) में दिए गए सुरक्षा जांच के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करेगी और इस संबंध में गृह मंत्रालय का निर्णय ऐसी नई प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

40. उपयोगकर्ताओं का नामांकन, प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का सक्रियण और उपयोगकर्ता जानकारी का अद्यतन (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई लागू विधि के अनुसार अपनी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करेगी।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन अधिसूचित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के संबंध में, सुसंगत नई प्राधिकृत इकाई लागू विधि के अनुसार, उपयोगकर्ता की पहचान करेगी

- (क) ऐसे उपयोगकर्ता की प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के नामांकन और सक्रियण से पहले
- (ख) उपयोगकर्ता की जानकारी को अद्यतन करते समय, और
- (ग) ऐसे उपयोगकर्ता के अनुरोध पर प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के असंयोजन के समय।

(3) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के संबंध में, सुसंगत नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों या निर्देशों या दिशानिर्देशों के अधीन, किसी भी विधि के माध्यम से उपयोगकर्ता की पहचान करने का कार्य करेगी, जैसा कि नई प्राधिकृत इकाई उचित समझे

- (क) ऐसे उपयोगकर्ता की प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के नामांकन और सक्रियण से पहले;
- (ख) निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोगकर्ता की जानकारी को अद्यतन करते समय, अर्थात्:

- (i) यदि वह अपना नाम, लिंग या जन्म की तारीख बदलना चाहता है; और
- (ii) यदि उप-नियम (7) के अधीन उपयोगकर्ता में परिवर्तन होता है; और
- (ग) यदि केंद्रीय सरकार को, दूरसंचार सेवा के उचित और वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आदेशों, निर्देशों या पोर्टल पर निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से इसकी आवश्यकता है।
- (4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपयोगकर्ता के नामांकन के समय, प्रत्येक प्रमुख दूरसंचार सेवा के लिए ग्राहक आवेदन पत्र और ग्राहक डाटा रिकॉर्ड सहित अपने डाटा बेस में ऐसे उपयोगकर्ता की जानकारी का विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार एकत्र करेगी और बनाए रखेगी और अपने उपयोगकर्ताओं का एक अद्यतन डाटा बेस बनाए रखेगी।
- (5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि-
- (क) पॉइंट ऑफ सेल द्वारा एकत्र की गई उपयोगकर्ता जानकारी को प्राधिकृत इकाई की संबंधित प्रणालियों में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा, और ऐसी कोई भी जानकारी पॉइंट ऑफ सेल द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत नहीं की जाएगी; और
- (ख) अभिदाता डाटा रिकॉर्ड और अन्य डाटा बेस को डाटा संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विधियों सहित, समय-समय पर लागू विधियों के अनुपालन में संचालित और अनुरक्षित किया जाता है।
- (6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपयोगकर्ता के संबंध में प्रमुख दूरसंचार सेवा को सक्रिय करने से पहले, ऐसे आदेशों या निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (7) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन अधिसूचित किए गए प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपयोगकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विद्यमान उपयोगकर्ता" कहा गया है) में किसी भी परिवर्तन के अतिरिक्त विद्यमान उपयोगकर्ता या नई उपयोगकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर, निम्नलिखित के अधीन, ऐसे उपयोगकर्ता के रिश्तेदारों या विधिक उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नई उपयोगकर्ता" कहा गया है), अर्थात्:
- (क) नई उपयोगकर्ता को ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा का उपबंध एक नई दूरसंचार सेवा संयोजन के रूप में माना जा रहा है; और
- (ख) निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति, अर्थात्:-
- (i) उप-नियम (3) के अनुसार विद्यमान उपयोगकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना और दोनों उपयोगकर्ताओं, अर्थात् विद्यमान उपयोगकर्ता और नई उपयोगकर्ता की पहचान करना:
- परंतु यदि विद्यमान उपयोगकर्ता अक्षमता के कारण इस खंड के अधीन किसी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, तो ऐसी आवश्यकता के बदले एक चिकित्सा प्रमाण पत्र ऐसी अक्षमता के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ii) यदि विद्यमान उपयोगकर्ता की मृत्यु हो गई है, तो उप-नियम (3) के अनुसार उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रस्तुति और नई उपयोगकर्ता की पहचान; और
- (iii) ऐसी अन्य शर्तें जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती हैं।
- (8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत अभिकरण या अभिहित अभिकरण को उप-नियम (4) के अधीन बनाए गए डाटा बेस तक, और उपयोगकर्ता की पता लगाने योग्य पहचान के लिए पहुंच प्रदान करेगी:

परंतु विदेशी उपयोगकर्ताओं को रोमिंग सेवाएं प्रदान करने के मामले में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भारत के बाहर संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता से अपने रोमिंग समझौते के एक भाग के रूप में ऐसे उपयोगकर्ताओं की पता लगाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

41. प्राधिकृत इकाईयों की अतिरिक्त बाध्यताएं (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ताओं को, अपनी पहचान स्थापित करते समय, प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए नामांकन करते समय, उपयोगकर्ता जानकारी को अद्यतन करते समय या प्रमुख दूरसंचार सेवाओं को असंयोजित करते समय एक साफ और स्पष्ट तरीके से सही जानकारी प्रदान करने के लिए अपने कर्तव्यों और दायित्वों की व्याख्या करेगी, और गैर-अनुपालन के परिणाम, जिसमें संबंध में शामिल हैं

(क) धोखाधड़ी, छल या प्रतिरूपण के माध्यम से उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ता प्राप्त करना;

(ख) उसकी पहचान स्थापित करने के दौरान झूठी, गलत या जाली जानकारी या दस्तावेज प्रदान करना, किसी भी भौतिक जानकारी को दबाना, या प्रतिरूपण; और

(ग) किसी अन्य उपयोगकर्ता को उसकी दूरसंचार सेवा संयोजन का पुनर्विक्रय या हस्तांतरण या पट्टा:

परंतु यह खंड नियम 40 के उप-नियम (7), नियम 42 के उप-नियम (6) के अधीन उपयोगकर्ता के परिवर्तन को प्रतिबंधित नहीं करेगा या जैसा कि लागू विधि के अधीन प्रदान किया गया है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ताओं को उनके दायित्वों के बारे में भी साफ और स्पष्ट तरीके से बताएगी

(क) प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करना, और लागू विधियों के अनुसार ऐसी दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग के परिणाम;

(ख) ऐसे उपयोगकर्ता के पते में किसी भी परिवर्तन की जानकारी नई पते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के साथ नई प्राधिकृत इकाई को तत्काल प्रदान करें; और

(ग) किसी भी नई प्राधिकृत इकाई को उसकी उपयोगकर्ता जानकारी में किसी भी परिवर्तन की जानकारी तत्काल प्रदान करें, ताकि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के डाटा बेस में जानकारी, जिसमें ग्राहक डाटा रिकॉर्ड भी शामिल है, की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके,:

परंतु नई प्राधिकृत इकाई खंड (ख) और (ग) के अधीन उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी को समय मुहर के साथ पुरानी और नई जानकारी को बनाए रखते हुए ग्राहक डाटा रिकॉर्ड में विधिवत अद्यतन करेगी।

(3) यदि नई प्राधिकृत इकाई के ध्यान में आता है कि झूठी, गलत या जाली जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे या उपयोग किए गए थे, या कोई भी भौतिक जानकारी दबा दी गई थी या उपयोगकर्ता की पहचान, नामांकन, असंयोजन या उपयोगकर्ता की जानकारी को अद्यतन करने के लिए प्रतिरूपण किया गया था, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई-

(क) पुलिस के साथ शिकायत दर्ज करें या अपेक्षित विवरण के साथ संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरण के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें, जिसमें झूठी, गलत या जाली जानकारी या दस्तावेजों, या दबाई गई भौतिक जानकारी या प्रतिरूपण का विवरण शामिल है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार को पोर्टल पर खंड (क) के अनुसरण में उठाए गए कदमों की सूचना दें।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आता है कि नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी कार्रवाई को करने में विफल रही है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को पुलिस के साथ शिकायत शुरू करने या संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरण के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन उस नई प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे सकती है।

42. कारबार उपयोगकर्ताओं के लिए नामांकन और प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के सक्रियण के लिए अतिरिक्त शर्तें (1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

- (क) "कारबार संयोजन" से एक या अधिक दूरसंचार सेवा संयोजन या ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, अभिप्रेत है, जो किसी कारबार उपयोगकर्ता को उसके वास्तविक उपयोग के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- (ख) "कारबार उपयोगकर्ता" से एक उपयोगकर्ता अभिप्रेत है जो-
 - (i) लागू विधि के अधीन गठित एक विधिक व्यक्ति है, और इसमें कंपनी, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, ट्रस्ट, सहकारी समिति, सोसायटी, केंद्रीय सरकार विभाग और राज्य सरकार विभाग शामिल हैं; या
 - (ii) लागू विधि के अधीन किसी भी नाम से जारी व्यापार या कारबार अनुज्ञप्ति या परमिट रखता है।
- (ग) किसी कारबार संयोजन का "अंतिम उपयोगकर्ता" उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो संबंधित कारबार उपयोगकर्ता द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए, ऐसे कारबार उपयोगकर्ता को प्रदान किए गए उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल का उपयोग करता है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, नियम 40 और 41 के अधीन दायित्वों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, अर्थात्:

- (क) उचित जांच-पडताल करें और कारबार उपयोगकर्ता द्वारा कारबार संयोजन मांगने के लिए दिए गए कारणों और ऐसे कारबार संयोजन के अंतिम उपयोगकर्ताओं, यदि कोई हो, के विवरण को लिखित में अभिलिखित करें;
- (ख) किसी भी कारबार संयोजन के उपबंध से पहले,
 - (i) नियम 40 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त, ऐसी जानकारियों को सत्यापित करें और ऐसे दस्तावेज एकत्र करें जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं
 - (ii) उन परिसरों का निरीक्षण करें जहां ऐसा कारबार उपयोगकर्ता और कारबार संयोजन स्थित है;
 - (iii) नियम 40 के उप-नियम (2) या (3) के अनुसार कारबार उपयोगकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान करना और प्रत्येक अंतिम उपयोगकर्ता, यदि कोई हो, की पहचान करना, जैसा भी मामला हो; और
 - (iv) कारबार उपयोगकर्ता को सूचित करें कि प्रदान किया जा रहा कारबार संयोजन प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा दूरसंचार सेवा संयोजन या उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल के उचित और वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करने के अधीन होगा;
- (ग) एक कारबार संयोजन के सक्रिय होने पर,
 - (i) कारबार संयोजनों के वास्तविक उपयोग को सत्यापित करने के लिए कम से कम छह महीने की प्रत्येक अवधि में एक बार निरीक्षण करना और कारबार उपयोगकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उन परिसरों का निरीक्षण करना जहां ऐसे कारबार संयोजन स्थित हैं और केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा सत्यापन के लिए ऐसे निरीक्षण का रिकॉर्ड, कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखना और संरक्षित करना; और

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार कारबार उपयोगकर्ताओं का एक अद्यतन डाटा बेस बनाए रखें, और केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत अभिकरण और अभिहित अभिकरण को ऐसे डाटा बेस तक पहुंच प्रदान करें।

(घ) यदि ऐसा कारबार उपयोगकर्ता इकाई में नहीं रहता है, तो ऐसे उपयोगकर्ता के प्रत्येक कारबार संयोजन को असंयोजित करें और लागू नियमों, साथ ही ऐसे आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं, के अनुसार संबंधित डाटा बेस में इसे अद्यतन करें,:

परंतु केंद्रीय सरकार अंतिम उपयोगकर्ता या अंतिम उपयोगकर्ताओं के किसी वर्ग के संबंध में इस उप-नियम में निर्धारित किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता से नई प्राधिकृत इकाई को छूट दे सकती है।

(3) यदि किसी कारबार संयोजन में दूरसंचार सेवा संयोजन जैसे कि पट्टे सर्किट, इंटरनेट पट्टे लाइन, सत्र आरंभ प्रोटोकॉल ट्रंक, प्राथमिक दर इंटरफेस लाइन या लघु संदेश सेवा गेटवे लिंक शामिल हैं किसी कारबार उपयोगकर्ता के परिसर में है तो नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के उपबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित का भी पालन करेगा, अर्थात्: -

(क) इस तरह के संयोजनों को सक्रिय करने से पहले, यह सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क, लोक भूमि मोबाइल नेटवर्क, अन्य इंटरनेट लीड लाइनों के साथ जुड़े सभी दूरसंचार सेवा संयोजनों के विवरण के साथ ही अन्य प्रकार के दूरसंचार सेवा संयोजन जो ऐसे कारबार उपयोगकर्ता द्वारा अपने परिसर में उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसे संयोजनों के लिए कारबार उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ आकलन करेगा और अभिलिखित करेगा;

(ख) ग्राहक आवेदन पत्र में उन गतिविधियों को सूचित करें और निर्दिष्ट करें जो ऐसे कारबार उपयोगकर्ता के लिए निषिद्ध हैं;

(ग) ऐसे दूरसंचार सेवा संयोजन के साथ इंटरनेट लीड लाइन के दुरुपयोग या संयोजन की जांच करने के लिए सक्रियण के पंद्रह दिनों के भीतर परिसर का निरीक्षण करें जहां कारबार संयोजन स्थित है; और

(घ) सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कारबार उपयोगकर्ता के परिसर में दूरसंचार लिंक के विवरण के साथ दूरसंचार नेटवर्क का एक आरेख ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के पास उपलब्ध है, और केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा आवश्यक निरीक्षण के लिए इसे प्रदान करें।

(4) यदि नई प्राधिकृत इकाई को भौतिक निरीक्षण के दौरान या अन्यथा किसी भी कारबार संयोजन के दुरुपयोग का पता लगता है, तो वह ऐसे कारबार संयोजन को तत्काल असंयोजित कर देगा, और ऐसे कारबार उपयोगकर्ता के विरुद्ध लागू विधि के अधीन उचित कार्यवाही शुरू करेगा, और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पता चलने के चौबीस घंटों के भीतर लिखित में केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा।

(5) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (4) के अधीन संचार प्राप्त होने पर, -

(क) कारबार उपयोगकर्ता द्वारा कारबार संयोजन के दुरुपयोग के बारे में जानकारी, अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ साझा करें; और

(ख) ऐसे कारबार उपयोगकर्ता को जारी किए गए सभी या कुछ कारबार संयोजनों का सीधा प्रत्याहरण।

(6) निम्नलिखित शर्तें संबंधित कारबार उपयोगकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कारबार संयोजन के अंतिम उपयोगकर्ता में किए गए किसी भी परिवर्तन के संबंध में लागू होंगी, अर्थात्:

(क) नई प्राधिकृत इकाई ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि को ऐसी अवधि के भीतर जिसे पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन के बारे में नई प्राधिकृत इकाई को सूचित करने के अपने दायित्व की व्याख्या करेगी; और

- (ख) नई प्राधिकृत इकाई नियम 40 के उप-नियम (2) या (3) के अनुसार, जैसा भी मामला हो, ऐसे परिवर्तन की सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि को साफ और स्पष्ट तरीके से अपनी बाध्यता की व्याख्या करेगी कि नई अंतिम उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित की जाए, ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसी नई प्राधिकृत इकाई कारबार संबंध को असंयोजित कर देगी:

परंतु इस उप-नियम में कुछ भी उप-नियम (2) के परंतुक के अधीन छूट प्राप्त अंतिम उपयोगकर्ता या अंतिम उपयोगकर्ताओं के वर्ग के संबंध में लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, एक कारबार उपयोगकर्ता के संबंध में "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है -

1. शासी निकाय के पूर्णकालिक सदस्य, जिन्हें ऐसे उपयोगकर्ता के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है;
2. ऐसे उपयोगकर्ता का मुख्य कार्यकारी, जिसे उस उपयोगकर्ता के पूरे मामलों के संबंध में प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियों का भरोसा किया जाता है; और
3. इस संबंध में ऐसी शासी निकाय या मुख्य कार्यकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

43. प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए नामांकन और प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के सक्रियण के लिए अतिरिक्त शर्तें (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से निर्दिष्ट प्रकार की प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ, एक उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवा संयोजन या उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल प्रदान नहीं करेगी जो एक प्राकृतिक व्यक्ति है, ऐसी संख्या से अधिक जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:

परंतु केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकार की प्रमुख दूरसंचार सेवाओं और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग संख्या निर्दिष्ट कर सकती है:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर ऐसे उपयोगकर्ता को प्रदान किए गए संयोजनों या उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल की संख्या को सत्यापित करने और निरीक्षण करने के लिए एक तंत्र निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपयोगकर्ता को कोई दूरसंचार सेवा संयोजन या उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल प्रदान करने से पहले, यह वचन लेंगी कि ऐसा उपयोगकर्ता उप-नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संख्या से अधिक संयोजन या उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल नहीं रखता है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, यदि उप-नियम (2) में प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया वचन गलत या झूठा है, तो अन्य किसी भी कार्रवाई के अतिरिक्त, प्रमुख दूरसंचार सेवाओं को असंयोजित कर देगा।

(4) यदि कोई प्राकृतिक व्यक्ति लीज सर्किट, इंटरनेट लीज लाइन, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल ट्रंक, प्राइमरी रेट इंटरफेस लाइन या शॉर्ट मैसेज सर्विस गेटवे लिंक चाहता है, तो नियम 42 के उप-नियम (2), (3), (4) और (5) के उपबंधों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किया जाएगा।

44. डाटा का भारत में होना - कोई भी नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित जानकारी को भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति या स्थान पर स्थानांतरित नहीं करेगी, अर्थात्:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग और बिलिंग से संबंधित जानकारी को छोड़कर, उपयोगकर्ता से संबंधित लेखांकन जानकारी:

परंतु इस नियम में कुछ भी किसी भी वित्तीय प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करेगा जो इन नियमों के अधीन या लागू विधि के अधीन आवश्यक हो सकता है;

- (ख) अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज सर्किट उपयोगकर्ताओं और विदेशी उपयोगकर्ताओं के संबंध में जानकारी को छोड़कर, जो ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं।

45. रिकॉर्ड का रखरखाव— (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई-

- (क) सुनिश्चित करें कि दूरसंचार उपस्कर और प्रणालियों के सॉफ्टवेयर विवरण सहित सभी दस्तावेज़, दूरसंचार उपस्कर और प्रणालियों के निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से अंग्रेजी भाषा में प्राप्त किए गए हैं और ऐसे दस्तावेज़ों को संरक्षित किया गया है;
- (ख) सभी सॉफ्टवेयर अद्यतन और परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाए रखें, और ऐसे सॉफ्टवेयर अद्यतन और परिवर्तनों की श्रेणी का विवरण केंद्रीय सरकार को प्रदान करें, जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर निर्णय ले सकती है
- परंतु यह खंड दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के अधीन महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में एक नई प्राधिकृत इकाई के दायित्वों के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।
- (ग) दूरसंचार उपस्कर और प्रणालियों के निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से खरीद के समय दूरसंचार उपस्कर और प्रणालियों की आपूर्ति श्रृंखला का विवरण प्राप्त करें, और इसका एक रिकॉर्ड रखें;
- (घ) मैनुअल के रूप में संचालन और रखरखाव प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखें;
- (ङ) सभी प्रचालनों और कमांड लॉग, जिसमें निष्पादन प्राधिकारी, तारीख, समय और स्थान के विवरण के साथ दिए गए कमांड का विवरण शामिल होगा, इस तरह से रिकॉर्ड बनाए रखें और संग्रहीत करें कि केंद्रीय सरकार या अभिहीत अभिकरण तक पहुंच सक्षम हो सके

(i) वास्तविक समय के आधार पर, कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए; और

(ii) अगले चौबीस महीनों के लिए डिजिटल मोड में गैर-वास्तविक समय के आधार पर।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड, ग्राहक डाटा रिकॉर्ड, कॉल डाटा रिकॉर्ड या कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड या इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा रिकॉर्ड और अन्य समान रिकॉर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार दो साल की अवधि के लिए बनाए रखेगी जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए:

परंतु केंद्रीय सरकार यह निर्देश दे सकती है कि कोई नई प्राधिकृत निकाय किसी उपयोगकर्ता के संबंध में इस उप-नियम में निर्दिष्ट अभिलेखों को दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बनाए रखे।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अधीन रखे गए रिकॉर्ड का विवरण केंद्रीय सरकार या अभिहीत अभिकरण को प्रदान करेगी।

46. घरेलू यातायात को भारत के बाहर नहीं भेजा जाना है - प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू यातायात, या उसका कोई भी हिस्सा, भारत के बाहर किसी भी स्थान के माध्यम से नहीं खींचा या रूट किया जाता है:

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश से होकर गुज़रे बिना घरेलू यातायात के प्रसारण और प्राप्ति के लिए उपग्रहों और घरेलू पनडुब्बी केबलों के उपयोग को भारत के बाहर घरेलू यातायात की दुलाई या रूटिंग के रूप में नहीं माना जाएगा।

47. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से लेन-देन की गई जानकारी को सुरक्षित करना - (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय करेगी कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि संदेशों का अनधिकृत अवरोधन न हो:

परंतु इस उप-नियम में कुछ भी नई प्राधिकृत इकाई को लागू विधि के अधीन शक्तियों के प्रयोग में निर्देश प्राप्त होने पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क से संदेशों और अन्य डाटा के रिकॉर्ड केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत अभिकरण को प्रदान करने से नहीं रोकेगा।

(3) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के अधीन दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ता या पॉइंट ऑफ सेल के किसी भी असामान्य व्यवहार, दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग, किसी भी गुप्त या अवैध दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, दूरसंचार साइबर सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीकों, जिसमें बिग डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अन्य उपयुक्त तंत्र शामिल हैं, का उपयोग करके उचित धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली को लागू करेगी। सेवाएं धोखाधड़ी से प्राप्त करते हैं, और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के विरुद्ध पुलिस शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने सहित कार्रवाई करेगा।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के अधीन कार्यान्वित धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली के माध्यम से पता लगाए गए सभी उपयोगकर्ताओं और दूरसंचार पहचानकर्ताओं का विवरण भी पोर्टल पर केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को प्रदान करेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर, उपयोगकर्ता या पॉइंट ऑफ सेल के किसी भी असामान्य व्यवहार, दूरसंचार सेवाओं का दुरुपयोग, किसी भी गुप्त या अवैध दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, दूरसंचार साइबर सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के लिए कोई खतरा जो धोखाधड़ी से प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाते हैं, का पता लगाने के लिए किसी भी जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करेगी।

48. कॉलिंग लाइन पहचान— (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई एक कॉल किए गए उपयोगकर्ता को कॉलिंग लाइन पहचान की प्रस्तुति सुनिश्चित करेगी

(क) इस तरह से जो छेड़छाड़ से सुरक्षित है; और

(ख) ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में झूठी, छेड़छाड़ या नकली कॉलिंग लाइन पहचान के साथ कॉल प्रयासों की पहचान करने और ऐसी कॉलिंग लाइन पहचान का उपयोग करके कॉल को रोकने के लिए स्वचालित उपकरणों या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित तकनीकी उपायों को अभिनियोजित करेगी।

49. अप्राधिकृत या विधि विरुद्ध कार्यकलापों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग का निवारण -प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल उन वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए जिनके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, न कि किसी भी ऐसी कार्यकलाप को करने या किसी भी कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए जो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अपराध का गठन करती है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों को प्रतिषेध करने वाली विधि भी शामिल हैं।

50. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद - (1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिहित प्राधिकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपस्कर की उन प्रवर्गों का अवधारण करेगा जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों से संबंधित सुरक्षा अपेक्षाएं लागू होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर उसी को विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) अभिहित प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपस्कर के श्रेणियों के लिए संबंधित विश्वसनीय उत्पादों के साथ विश्वसनीय स्रोतों की सूची यथा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) अभिहित प्राधिकारी उप नियम (2) में निर्दिष्ट विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपस्कर को शामिल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

- (4) अभिहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों की एक सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनसे दूरसंचार उपस्कर की कोई खरीद नहीं की जा सकेगी।
- (5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार उपस्कर के खरीद के लिए अपनी वेबसाइट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल विश्वसनीय उत्पादों को स्थापित, प्रचालित, बनाए रखेगी और विस्तारित करेगी।
- (6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा और दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपस्कर से संबंधित सुसंगत ब्यौरे प्रदान करना होगा जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।
- (7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार उपस्कर या उनके श्रेणियों की खरीद से पहले, अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना या उसके किसी भी उन्नयन या विस्तार के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्:

- (क) यदि अभिहित प्राधिकारी ने पहले ही उप नियम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपस्कर को विश्वसनीय उत्पादों और उनके संबंधित विश्वसनीय स्रोतों के रूप में अवधारित कर दिया है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अभिहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
- (i) दूरसंचार उपस्कर की सूची और वे स्रोत जिनसे वह इसे खरीदने की योजना बना रहा है; और
- (ii) दूरसंचार उपस्कर की खरीद और उनके स्रोतों की आवधिक रिपोर्ट, और उसी की तैनाती के स्थान;
- (ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार उपस्कर और उनके स्रोतों के ब्यौरे अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी, जहां से वह उप नियम (3) के अधीन इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उन्हें प्राप्त करने का आशय रखती है;
- (ग) यदि अभिहित प्राधिकारी दूरसंचार उपस्कर और उनके स्रोतों को अनुमोदित करता है जैसा कि ऊपर खंड (ख) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उसी को खरीदने और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी; और
- (घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकार द्वारा जारी दूरसंचार नेटवर्क के उन्नत पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन सहित ऐसे निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क में तैनात या तैनात किए जा रहे दूरसंचार उपस्कर से संबंधित सुसंगत तकनीकी, संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा संबंधी जानकारी, इस संबंध में केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रदान करेगी।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को इस नियम के अधीन अनुपालन रिपोर्ट, पोर्टल के माध्यम से, केंद्रीय सरकार या अभिहित अधिकरण को उस तारीख तक जमा करनी होगी जो उसमें बताई गई हो।

(10) ये नियम अधिनियम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले किसी अन्य उपाय के लिए प्रतिकूल नहीं होंगे, जो नई प्राधिकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा।

51. सुरक्षा उपबंधों का उल्लंघन - (1) किसी नई प्राधिकृत इकाई पर सुरक्षा उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित कोई भी सिविल शास्ति लागू कानून के अधीन किसी अन्य दायित्व और दांडिक कार्यवाही के बिना होगा।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे विनिर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को भारत में व्यापार करने से काली सूची कर सकेगी है जिसने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सहित दूरसंचार उपस्कर की आपूर्ति की है, जिससे इन नियमों के अधीन सुरक्षा उपबंधों का भंग हुआ है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई में विनिर्माताओं, विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित करार में उपनियम (2) को प्रभावी करने का उपबंध सम्मिलित होगा।

52. कतिपय कार्यकलापों का प्रतिषेध - (1) इन नियमों के अधीन स्थापित एक नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग प्रसारण के लिए नहीं किया जाएगा-

(क) संदेश जो लागू कानून के अनुसार अवैध या अप्राधिकृत हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन बनाए गए नियम सम्मिलित हैं; या

(ख) किसी भी रूप में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का अतिलंघन करने वाले संदेश।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार से ऐसे निदेश या न्यायालय के आदेश की प्राप्ति पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क में उपनियम (1) के उल्लंघन में संदेश के प्रसारण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जहां तक केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा अपेक्षित है, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए या अपराधों का पता लगाने के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किसी भी संदेश, जिसमें आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत, उपद्रव, घृणित या दुर्भावनापूर्ण कॉल या संदेश सम्मिलित हैं, का पता लगाने में बिना देरी के सुविधा प्रदान करेगी:

परंतु इस संबंध में ऐसी नई प्राधिकृत इकाई की असफलता के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान का भुगतान उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा किया जाएगा।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी, विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, सलाहकार या कोई अन्य सुसंगत व्यक्ति, जिनकी दूरसंचार नेटवर्क या प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध से संबंधित किसी भी जानकारी तक पहुंच है, प्राधिकार के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को दी गई या उसके पास उपलब्ध किसी भी गोपनीय जानकारी की निजता और गोपनीयता बनाए रखें।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए परिसंकट न बने और किसी भी लागू कानून का उल्लंघन न करे।

53. दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ अभिगम प्रदान करना - (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को भारत के बाहर के स्थान से अपने दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी और ऐसी अनुज्ञा लेने के लिए उसे निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करना होगा, अर्थात्: -

(क) ऐसी दूरस्थ पहुंच का प्रयोजन और अवधि और उस व्यक्ति के ब्यौरे जो इसके दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच करेगा; और

(ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटवर्क के विशिष्ट स्थान के ब्यौरे जिसके लिए भारत के बाहर विशिष्ट स्थान से दूरस्थ पहुंच मांगी जाती है।

(2) एक नई प्राधिकृत इकाई, उपनियम (1) के अधीन प्राप्त अनुज्ञा के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अपने दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच प्रदान कर सकेगी, अर्थात्:

(क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भारत के बाहर अनुमोदित स्थानों से भारत के भीतर अनुमोदित स्थानों के माध्यम से केवल रिमोट अभिगम प्रदान करेगी और ऐसी अनुज्ञा के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित होगी:

(ख) दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच ग्राहक डाटा रिकॉर्ड, विधिमान्य अवरोधन प्रणाली और विधिमान्य अवरोधन निगरानी सुविधाओं, कॉल डिटेल् रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल् रिकॉर्ड, संदेशों की कॉल सामग्री और ऐसी किसी भी अन्य संवेदनशील डाटा तक पहुंच को सक्षम नहीं करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार

द्वारा आदेशों, निदेशों या मार्ग दर्शक सिद्धांतों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए जो वह इस संबंध में जारी कर सकेगी;

- (ग) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसी उपयुक्त तकनीकी प्रणालियाँ प्रदान करेगी जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, भारत में अनुमोदित स्थान पर, जो भारत के बाहर अनुमोदित स्थान से जुड़ा हुआ है, ताकि केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को भारत के बाहर अनुमोदित स्थान पर उपलब्ध जानकारी की दर्पण छवि तक पहुंचने और निगरानी करने में सक्षम बनाया जा सके, जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में निदेश जारी कर सकेगी; और
- (घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर छह मास की अवधि के लिए दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित दूरस्थ पहुंच कार्यकलापों का पूरा ऑडिट ट्रेल बनाएगी और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों या मार्ग सिद्धांतों के अनुसार ऐसी जानकारी केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को प्रदान करेगी।

(3) यह नियम दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के अधीन महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई के बाध्यताओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा।

54. सामान्य सुरक्षा शर्तें - (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे उपाय करेगी जो दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो;
- (ख) जासूसी, विध्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य विधिविरुद्ध गतिविधि की किसी भी स्थिति का प्रति उत्तर देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें;
- (ग) ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध को निलंबित करने की क्षमता सुनिश्चित करना और ऐसी सटीकता के अधीन होना जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा के संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि इसके सभी विनिर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित ऐसे निदेशों का पालन करते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाए, जिसमें ऐसे नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को किसी भी समय सुरक्षा जांच और जोखिम निर्धारण करने के परियोजन से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, विकास, विनिर्माण सुविधा और ऐसे विनिर्माताओं, विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति श्रृंखला का निरीक्षण करने के लिए पहुंच प्रदान करना सम्मिलित है; और
- (ङ) केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर किसी भी उपयोक्ता का किसी दिए गए समय पर भौगोलिक स्थान प्रदान करें

परंतु स्थलीय मोबाइल सेवाओं की दशा में, स्थान ब्यौरे के साथ, बेस स्टेशन का अक्षांश और देशांतर भी प्रदान किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इन नियमों के उपबंधों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों और उचित सुरक्षा उपायों को लागू करेगी।

(3) यह नियम अधिनियम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए किसी अन्य उपाय के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा।

भाग ख: विक्रय के बिंदु के विनियमन के संबंध में सुरक्षा शर्तें

55. अध्याय 6 के भाग ख का लागू होना- यह भाग ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं पर लागू होगा जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

56. विक्रय का स्थान - इस भाग के प्रयोजन के लिए,

- (क) "विक्रय बिंदु" से विक्रय बिंदु सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और जो है, -
- (i) एक नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी;
 - (ii) एक नई प्राधिकृत इकाई का अभिकृता, विशेषाधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी का विवरण जो एक कंपनी, भागीदारी फर्म, एकमात्र स्वामित्व या व्यापार या व्यवसाय अनुज्ञप्ति या परमिट या पंजीकरण लागू कानून के अधीन जारी किया गया हो, रखने वाला व्यक्ति होगा, चाहे जो भी नाम दिया गया हो; और
 - (iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति में नियोजित या संलग्न कोई भी व्यक्ति भी हो सकेगा।

स्पष्टीकरण-यदि विक्रय बिंदु उपखंड (iii) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट एक कर्मचारी है, तो ऐसे कर्मचारी को एक अलग विक्रय बिंदु माना जाएगा;

(ख) "विक्रय बिंदु सेवाएं" से संबंधित सेवाएं-

- (i) प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक उपयोक्ता की पहचान
- (ii) प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक उपयोक्ता का नामांकन;
- (iii) उपयोक्ता की जानकारी को अद्यतन करना;
- (iv) ग्राहक पहचान मॉड्यूल या उपयोक्ता टर्मिनलों का वितरण;
- (v) प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के संबंध में रिचार्ज और अन्य बिलिंग कार्यक्लाप; या
- (vi) उपयोक्ता की प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का विच्छेद से अभिप्रेत है।

57. विक्रय बिंदु के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई की बाध्यताएं— (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, इस नियम के अनुसार, सुसंगत विक्रय बिंदु सेवाओं के उपबंध के लिए प्रत्येक विक्रय बिंदु के साथ पंजीकरण और करार करेगी

परंतु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए ऐसे उपयोक्ता के नामांकन से पहले उपयोक्ता के पर्याप्त सत्यापन सहित इन नियमों के अधीन उपवर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, के साथ करार में प्रवेश करने से पहले,

- (क) अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों और अनुज्ञप्तिधारियों के साथ संयुक्त सहयोग में वास्तविक समय में अद्वितीय विक्रय बिंदु पहचान, जिसमें ऐसी कोई विद्यमान पहचान भी सम्मिलित है, के उत्पादन और साझाकरण के लिए एक तंत्र विकसित करना:

परंतु ऐसा तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विक्रय बिंदु को केवल एक अद्वितीय विक्रय बिंदु पहचान सौंपी जाएगी, जो सभी नई प्राधिकृत इकाइयों और अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में सामान्य होगी, जिन्होंने ऐसे विक्रय बिंदु के साथ करार किए हैं;

(ख) निम्नलिखित रीति में विक्रय बिंदु को रजिस्ट्रीकृत करें, अर्थात्:

- (i) दस्तावेजों का उपयोग करके ऐसे विक्रय बिंदु की पहचान करें जो पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

- (ii) ऐसे विक्रय बिंदु की पहचान को, पहचान आधारित बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणित करें;
- (iii) निवास के पते यदि लागू हो तो और ऐसे विक्रय बिंदु द्वारा घोषित व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन करें और ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान जब भी ऐसी जानकारी उस विक्रय बिंदु द्वारा अद्यतन की जाती है, ऐसे पते के स्थान निर्देशांक को रिकॉर्ड करे;
- (iv) ऐसे विक्रय बिंदु को एक अद्वितीय विक्रय बिंदु पहचान सौंपे: और
- (v) यदि केंद्रीय सरकार द्वारा निदेशित किया जाता है, तो ऐसे विक्रय बिंदु के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को और ऐसे सेवा क्षेत्र के संबंध में जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) विक्रय बिंदु के ब्यौरे को बनाए रखें और ऐसे विक्रय बिंदु को संपर्क या कोई अन्य जानकारी को ऐसे ब्यौरे में किसी भी परिवर्तन से सात दिन के भीतर अद्यतन कर सके; और
- (ख) खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे वाले डाटा बेस को वास्तविक समय के आधार पर केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत अभिकरण या अभिहित अभिकरण के साथ साझा करें।

(4) उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट चरणों को पूरा करने पर, नई प्राधिकृत इकाई विक्रय बिंदु के साथ करार में प्रवेश करेगी, जिसमें विक्रय बिंदु सेवाओं की निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा

- (क) ऐसे विक्रय बिंदु के विस्तार और कर्तव्य;
- (ख) लागू नियमों के अनुरूप, उपयोक्ता की पहचान, नामांकन, असंबंधीकरण और अद्यतन करने की प्रक्रिया, साथ ही निदेश, प्रक्रियाएं या अनुदेश जो केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे जिसमें इस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का विनिर्देश भी सम्मिलित है;
- (ग) ऐसे विक्रय बिंदु के संचालन का क्षेत्र, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के प्राधिकार के सेवा क्षेत्र तक सीमित होगा:

परंतु यदि उस नई प्राधिकृत इकाई का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र है, तो उस विक्रय बिंदु का संचालन क्षेत्र दूरसंचार सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के अनुरूप एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होगा, जैसा कि अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट है:

परंतु यह और कि यदि किसी व्यावसायिक उपयोक्ता को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो वह विक्रय बिंदु उस सेवा क्षेत्र का होगा जहां ऐसे व्यावसायिक उपयोक्ता का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या निगमित कार्यालय है, और ऐसे विक्रय बिंदु का संचालन क्षेत्र जो ऐसे व्यावसायिक उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकृत या निगमित कार्यालय को सेवा प्रदान कर रहा है, अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित होगा जहां ऐसे व्यावसायिक उपयोक्ता को सेवाओं की अपेक्षा हो या उनका उपयोग करना हो।

- (घ) ऐसे विक्रय बिंदु का किसी अन्य विक्रय बिंदु के साथ अंतर-संबंध, यदि कोई हो;
- (ङ) ऐसे करार के किसी भी अंतरण या समुदेशन पर प्रतिषेध
- (च) ऐसे करार के कर्तव्यों और बाध्यताओं के किसी भी प्रत्यायोजन का प्रतिषेध
- (छ) करार की किसी भी निबंधन या शर्त के उल्लंघन के परिणाम, जिसमें परिसमाप्त नुकसान और ऐसे करार की समाप्ति सम्मिलित है;

- (ज) सौंपे गए विक्रय बिंदु पहचान के ब्यौरे प्रदान करें; और
- (झ) नई प्राधिकृत इकाई और एक विक्रय बिंदु के बीच किसी भी विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं होगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपनियम (4) के अधीन एक करार में प्रवेश करने के अनुसार, -

- (क) वास्तविक समय में, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी अन्य प्रकार की नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों को एक अद्वितीय विक्रय बिंदु पहचान संसूचित करें; और
- (ख) वास्तविक समय के आधार पर ग्राहक पहचान मॉड्यूल और विनिर्दिष्ट प्रकार के उपयोक्ता टर्मिनलों की एक ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना, साथ ही प्राधिकृत इकाई से उपयोक्ताओं तक ऐसे अभिदाता आईडेंटिटी मॉड्यूल और उपयोक्ता टर्मिनलों की आवाजाही के ब्यौरे, सीधे या विक्रय बिंदु के माध्यम से, और केंद्रीय सरकार, प्राधिकृत अभिकरण या अभिहित अभिकरण द्वारा जब अपेक्षित हो ऐसे ब्यौरे प्रदान करना।

(6) रिचार्ज और अन्य बिलिंग कार्यकलापों तक सीमित विक्रय बिंदु सेवाएं प्रदान करने वाले विक्रय बिंदु के संबंध में, उपनियम (2), उपनियम (4), उपनियम (5) और उपनियम (3) के खंड (ख) अनिवार्य नहीं होंगे।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर का उपयोग करेगी जो विक्रय बिंदु या उपयोक्ता के भाग पर किसी भी असामान्य या संदिग्ध कार्यकलापों का पता लगाने और रोकने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो विक्रय बिंदु के पंजीकरण के दौरान, या विक्रय बिंदु द्वारा विक्रय बिंदु सेवाओं के संपादन के दौरान हो सकते हैं, और केंद्रीय सरकार को ऐसे विक्रय बिंदु या उपयोक्ता को ब्यौरे, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सूचित करें।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति के घटित होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित सभी प्राधिकारों में ऐसे विक्रय बिंदु के साथ करार को समाप्त कर देगी और ऐसे विक्रय बिंदु की विशिष्ट विक्रय बिंदु पहचान को ब्लॉक कर देगी, अर्थात्: -

- (क) यदि उस नई प्राधिकृत इकाई को पता चलता है कि पंजीकरण या करार में प्रवेश करने की प्रक्रिया के दौरान विक्रय बिंदु द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज मिथ्या या कूटरचित है; या
- (ख) यदि वह नई प्राधिकृत इकाई उपनियम (7) के अनुसार किसी भी असामान्य या संदिग्ध कार्यकलापों का पता लगाती है; या
- (ग) केंद्रीय सरकार से पर्यवसान के लिए कोई निदेश प्राप्त होने पर।

(9) नई प्राधिकृत इकाई जो उपनियम (8) के अधीन एक अद्वितीय विक्रय बिंदु पहचान को ब्लॉक करती है-

- (क) सभी सेवा क्षेत्रों में अन्य सभी नई प्राधिकृत इकाइयों को वास्तविक समय में ऐसी जानकारी संसूचित करें, और ऐसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई भी ऐसी जानकारी प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसे विक्रय बिंदु के साथ अपने संबंधित करारों को समाप्त कर देगी; तथा
- (ख) सुनिश्चित करें कि ऐसे विक्रय बिंदु कोई भी विक्रय बिंदु सेवा शुरू करने में सक्षम नहीं होंगे।

(10) उपनियम (8) और उपनियम (9) के अधीन समाप्ति के संबंध में प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें पर्यवसान के संबंध में की गई सभी कार्रवाइयों के ब्यौरे हो, ऐसे पर्यवसान के तीन दिन के भीतर; तथा
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकार के सभी सेवा क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे विक्रय बिंदु की नियुक्ति के लिए कोई करार नहीं किया गया है।

(11) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निश्चित तीन मास की अवधि के दौरान, उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट विक्रय बिंदु द्वारा पहले से नामांकित सभी उपयोक्ताओं को तत्काल पुनः सत्यापित करेगी, इससे पहले की वह अद्वितीय विक्रय बिंदु पहचान को ब्लॉक करें।

(12) केंद्रीय सरकार, उपनियम (8) के अधीन विनिर्दिष्ट अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी अन्य विक्रय बिंदु की कार्रवाइयों के कारण इन नियमों के किसी अन्य उल्लंघन की घटना होने पर, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट करार के अनुसार, विक्रय बिंदु के विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई करने के लिए नई प्राधिकृत इकाई को निदेश दे सकेगी।

(13) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उपनियम (12) के अधीन जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन करेगी और इस संबंध में सभी दायित्वों को वहन करेगी।

(14) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इस नियम को आगे बढ़ाने में उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, प्रभारों या क्षतियों के संबंध में केंद्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति करेगी।

(15) प्राधिकृत इकाई और विक्रय बिंदु के बीच करार केंद्रीय सरकार से स्वतंत्र है, और एक नई प्राधिकृत इकाई और एक विक्रय बिंदु के बीच किसी भी विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

अध्याय 7

उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करते हुए प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें

58. अध्याय 7 की प्रयोज्यता- यह अध्याय उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करके प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदान करने या प्रदान करने के आशयित प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा, और ऐसी सभी नई प्राधिकृत इकाई इस अध्याय में विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ-साथ इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए ऐसे प्राधिकार के अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगी।

59. उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का उपबंध-(1) उपग्रह नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने या उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करके प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदान करने का आशयित प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के लिए निम्नलिखित सूचना के साथ ऐसे प्ररूप और रीति से आवेदन करेगी जो केन्द्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे, -

- (क) उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट सुसंगत जानकारी सहित उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता का ब्यौरे;
- (ख) सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का इसके स्थान ब्यौरे के साथ ब्यौरे; तथा
- (ग) कोई अन्य जानकारी जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित की जा सके।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिहित अभिकरण द्वारा प्राधिकृत सुसंगत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता का स्वामित्व होगा; या
- (ख) किसी ऐसे इकाई के साथ एक करार करेगी जिसके पास भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कोई अन्य अभिहित अभिकरण द्वारा प्राधिकृत सुसंगत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता है, जिसमें उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट लागू करने योग्य दायित्व शामिल हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार, आवेदन के अपने निर्धारण के अध्याधीन, नई प्राधिकृत इकाई को, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट कर सके, जिसमें ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भी शामिल है-

- (क) एक या एक से अधिक अनुमत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता का उपयोग कर सकता है, इस शर्त के अनुपालन के अधीन कि ऐसे प्रत्येक उपग्रह या अंतरिक्ष खंड की क्षमता के लिए उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे भारत में स्थित है;

(ख) उपग्रह नेटवर्क या फ्रीक्वेंसी बैंड में ऐसा परिवर्तन करने से पहले, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश और निदेश या मार्ग दर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट कर सकती है, ऐसे प्ररूप और रीति से आवेदन करेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर लिखित रूप में अनुमोदन के लिए विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(4) प्रत्येक नईनई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित घटनाओं की सूचना केंद्रीय सरकार को देगी और ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी कर सके, अर्थात्: -

(क) अप्राधिकृत उपग्रह संकेत कि यह भारत के भीतर उत्पन्न या समाप्त होने का पता लगा सकता है; तथा

(ख) भारत से किसी भी उपग्रह की अप्राधिकृत पहुंच जो उसके नियंत्रण या संचालन के अधीन हो सकती है जिसका उपयोग भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

(5) यदि कोई नईनई प्राधिकृत इकाई उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन एक करार में प्रवेश करती है, तो वह उपनियम (4) के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए, यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के करार में उस इकाई पर एक दायित्व प्रदान किया गया है, जिसके साथ ऐसी नईनई प्राधिकृत इकाई ने करार किया है, तो उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट किसी भी घटना को नईनई प्राधिकृत इकाई को तुरंत सूचित करने के लिए है।

(6) एक नईनई प्राधिकृत इकाई जिसे उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञा दी गई है, लागू विधि के अधीन स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है, परंतु इस तरह के विधि के अधीन इस तरह के समनुदेशन के लिए किसी अन्य पात्रता शर्तों को पूरा किया जाए।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी नईनई प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम के समनुदेशन या उपयोग के लिए कोई अधिकार प्रदान करता है।

60. तकनीकी और संचालन शर्तें- (1) नियम 60 के अधीन उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करने की अनुज्ञा प्राप्त एक नईनई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तकनीकी और संचालन शर्तों का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) यह सुनिश्चित करें कि भारत में स्थित उपयोक्ता टर्मिनलों से शुरू होने वाले या उन पर समाप्त होने वाले उपग्रह नेटवर्क पर सभी टैफिक ऐसे नईनई प्राधिकृत इकाई के भारत में स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे से होकर गुजरेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करें कि भारत में स्थित किसी उपयोक्ता टर्मिनल से उत्पन्न होने वाले या उस पर समाप्त होने वाले किसी भी टैफिक को भारत के बाहर स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से सीधे या अंतर-उपग्रह संचार लिंक के माध्यम से रूट नहीं किया जाता है, जिसमें भारत में स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की विफलता के दौरान या दूरसंचार नेटवर्क अनुकूलन के हिस्से के रूप में शामिल है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि दूरसंचार टैफिक अंतर-उपग्रह संचार लिंक या किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर स्थित किसी भी उपग्रह नेटवर्क या दूरसंचार नेटवर्क पर प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा;

(घ) उपरोक्त खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय टैफिक मॉनिटरी सुविधा प्रदान करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि एक या एक से अधिक उपग्रहों के माध्यम से दो या दो से अधिक उपयोक्ता टर्मिनलों के बीच कोई सीधा संचार नहीं होगा, उपग्रह पृथ्वी स्टेशन गेटवे के माध्यम से दूरसंचार टैफिक को रूट किए बिना;

(च) हस्तक्षेप मॉनिटरी के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करना और परीक्षण करना, और इसे कम करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित आवश्यक कदम उठाना; तथा

(छ) वेरी स्मॉल एपरचर टर्मिनल या कोई अन्य नियत सैटेलाइट सेवा उपयोक्ता टर्मिनल जिसका उपयोग बेस स्टेशन के लिए बैकहॉल लिंक या इंटरनेट नोड या किसी अन्य दूरसंचार उपस्कर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के सेवा क्षेत्र में स्थित होगा जिसमें ऐसे बेस स्टेशन या इंटरनेट नोड या कोई अन्य दूरसंचार उपस्कर हो:

परंतु संबंधित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे भारत में कहीं भी स्थित हो और ऐसे बैकहॉल लिंक या कनेक्टिविटी का उपयोग करते हुए ऐसे सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे से उस नई प्राधिकृत इकाई के कोर दूरसंचार नेटवर्क तक कनेक्टिंग ट्रांसमिशन लिंक लागू नियमों के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे और नई प्राधिकृत इकाई के संगत कोर दूरसंचार नेटवर्क के बीच बैकहॉल लिंक या कनेक्टिविटी का उपयोग करने वाले किसी भी पारिषण को अंतर-सेवा क्षेत्र ट्रैफिक नहीं माना जाएगा।

(2) प्रत्येक नई नई प्राधिकृत इकाई, लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, जिसके लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे निबंधन और शर्तों पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट अधीन रहते हुए -

(क) भारत के बाहर स्थित उपयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित अपने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग करें, अध्यक्षीन-

(i) सभी मंजूरीयां अभिप्राप्त करना, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जैसा कि सुसंगत अधिकारिता जहां उपयोक्ता स्थित है, में ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और

(ii) (क) क्या यह सच है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी ऐसे निदेशों का अनुपालन कर सकती है; या

(ख) नई प्राधिकृत इकाई के सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के उपयोग को सक्षम करने के लिए सुसंगत अधिकारिता में ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, भारत के बाहर के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईओं के साथ व्यवस्था करें। उपग्रहों से सिग्नलों के अपलिंक और डाउनलिंक के लिए भारत में स्थापित किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए ऐसे निदेशों के अनुपालन के अधीन है।

(3) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (2) के अधीन किए गए आवेदन के अपने निर्धारण के अधीन रहते हुए, ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह उचित समझे, आवेदक से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जिसकी वह मांग कर सकती है, और उप-नियम (2) के अधीन नई प्राधिकृत इकाई द्वारा अनुरोध की गयी अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अनुज्ञा प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट करे, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

(क) भारत में स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और विदेशी कैरियर के दूरसंचार नेटवर्क के बीच संदेश केवल ऐसे सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे तक ही सीमित होंगे ताकि ऐसे संदेशों को सीधे विदेशी कैरियर के दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके और भारत में स्थित दूरसंचार नेटवर्क या उपयोक्ता टर्मिनल में प्रेषित या प्राप्त नहीं किया जाएगा; और

(ख) भारत में स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और विदेशी कैरियर के दूरसंचार नेटवर्क के बीच संदेश प्राधिकृत अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे के माध्यम से भेजे जाएंगे।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) और (3) के अधीन कवर की गई व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दावों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति करेगी।

61. रोलआउट बाध्यताएं- (1) प्रमुख दूरसंचार सेवा के उपबंध के लिए नियम 59 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपना स्वयं का उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित कर सकती है या अन्य नई प्राधिकृत इकाई या

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग कर सकती है जो अपने संबंधित प्राधिकार या अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन ऐसे उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे को साझा करने या प्रदान करने के लिए पात्र हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास लागू विधि के अधीन उपग्रह नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम का समनुदेशन है, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग करते हुए दूरसंचार नेटवर्क को शुरू करेगी और ऐसे स्पेक्ट्रम के समनुदेशन की तारीख से बारह मास के भीतर स्पेक्ट्रम सौंपेगी, जैसा कि अपने उपयोक्ताओं को मूल दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रोलआउट बाध्यताओं के अनुपालन के सत्यापन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पोर्टल पर केंद्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत होगी।

(4) उप-नियम (3) में सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्वों के अनुपालन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

(5) उप-नियम (3) में सत्यापन की विफलता की दशा में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई आवश्यक सुधारों के बाद पुनः रजिस्ट्रीकरण करेगी, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ पुनः रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्व के अनुपालन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

(6) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रोलआउट बाध्यताओं का पालन करने में किसी भी विफलता को प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और अधिनियम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार निपटा जाएगा:

परंतु यदि ऐसी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए नियत तारीख की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर रोलआउट बाध्यताओं का अनुपालन किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार इसे रोलआउट बाध्यताओं की समय पर पूर्ति के रूप में मान सकती है।

(7) रोलआउट बाध्यताओं का अनुपालन करने में विफलता की दशा में, अधिनियम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार सिविल शास्ति अधिरोपित करने के अतिरिक्त, उपग्रह नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशन अधिनियम के संगत उपबंधों और स्पेक्ट्रम समनुदेशन के निबंधन और शर्तों के अध्याधीन होगा।

62. सुरक्षा शर्तें- (1) नियम 60 में अनुमति प्राप्त प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उपग्रह नेटवर्क का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को मूल दूरसंचार सेवाओं के उपबंध से पहले, नियम 34 के अधीन अपेक्षित विधिसम्मत अवरोधन प्रणालियों और विधिसम्मत अवरोधन मानीटरी सुविधाओं और किसी अन्य अतिरिक्त कार्यात्मक अपेक्षा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करेगी, जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(2) एक नई प्राधिकृत इकाई के उपग्रह नेटवर्क से जुड़े उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे और उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण सुविधा भारत में स्थित होगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमत उपग्रह नेटवर्क का उपयोग केवल प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए जिसके लिए वह प्राधिकृत है और ऐसे उपग्रह नेटवर्क का उपयोग मानीटरी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सहित किसी अप्राधिकृत कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाता है, या इस तरह से जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को प्रतिकूल बना सकता है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि दूरसंचार पहचानकर्ता आधारित अवरोधन और मानीटरी के अतिरिक्त, भौगोलिक स्थान-आधारित अवरोधन और मानीटरी भी संभव है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता और अनुमत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड के साथ संगत उपयोगकर्ता टर्मिनल का उपयोग करते हुए, भारत में इसे प्रचालित करने से पहले ऐसे उपयोगकर्ता टर्मिनल को ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के साथ रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उपयोगकर्ता को उसकी प्रमुख दूरसंचार सेवाओं तक कोई भी पहुंच ऐसे उपयोगकर्ता को प्रदान किए गए उपयोगकर्ता टर्मिनल को ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के उपस्कर पहचान रजिस्टर पर रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही प्रदान की जाएगी:

परंतु एक उपयोगकर्ता जिसने भारत के क्षेत्र के बाहर से एक उपयोगकर्ता टर्मिनल खरीदा है, ऐसे नई प्राधिकृत इकाई के साथ रजिस्ट्रीकृत हो सकता है, जो ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क निकासी के सत्यापन के अधीन है:

परंतु भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रचालित होने वाले प्रयोक्ता टर्मिनल के संबंध में इस तरह की सीमा शुल्क अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर उप-नियम (6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किए गए उपयोगकर्ता टर्मिनल द्वारा उपग्रह नेटवर्क तक पहुंचने या उपयोग करने के किसी भी प्रयास के साथ, ऐसे उपयोगकर्ता टर्मिनल और उसके स्थान के बारे में जानकारी के साथ रिपोर्ट करेगा।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसे तकनीकी उपाय करेगी जो उप-नियम (7) का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(9) केंद्रीय सरकार भारत के भू-भाग में विधिक रूप से लाए गए उपग्रह नेटवर्क के प्रयोक्ता टर्मिनलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए वायु, भूमि और समुद्री सीमा शुल्क प्राधिकारियों और नई प्राधिकृत इकाई के बीच नियमित आधार पर ऑनलाइन समन्वय के लिए उपयुक्त तंत्र अधिसूचित कर सकेगी, जिससे भारत में गुप्त रूप से लाए गए उपग्रह नेटवर्क के प्रयोक्ता टर्मिनलों की पहचान करने, उपग्रह नेटवर्क तक उनकी पहुंच को रोकने के लिए और उन्हें अलग करने में ऐसे नई प्राधिकृत इकाई को सुविधा प्रदान होगी।

(10) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत के भीतर उपग्रह नेटवर्क के प्रयोक्ता टर्मिनलों के प्रचालनों की मॉनीटरिंग केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार प्राधिकृत अभिकरण या अभिहित अभिकरण निदेश दे सकती है और केंद्रीय सरकार से निदेश प्राप्त होने पर ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनलों की पहचान और स्थान से संबंधित व्यौरा उपलब्ध कराएगी।

(11) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्ता टर्मिनलों के वास्तविक स्थान को छिपाने के लिए कोई स्थान स्पूफिंग उपस्कर, चाहे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता टर्मिनलों के साथ शामिल नहीं किया जाए; तथा

(ख) अपने दूरसंचार नेटवर्क में ऐसे किसी भी उपस्कर की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए स्वचालित उपस्कर या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उपयुक्त तकनीकी उपायों को तैनात करना।

(12) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई स्थिर प्रकार के फिक्स्ड सैटेलाइट सेवा उपयोगकर्ता टर्मिनलों को उपयोगकर्ता के परिसर के भू-स्थान से +/- 100 मीटर सटीकता के साथ बांधेगी, जिसमें किसी भी पुनःस्थानन के संबंध में भी शामिल है।

(13) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उपयोगकर्ता स्थिर प्रकार के फिक्स्ड सैटेलाइट सेवा उपयोगकर्ता टर्मिनल को ऐसे नई प्राधिकृत इकाई से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना स्थानांतरित न करे।

(14) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने स्थिर प्रकार के फिक्स्ड सैटेलाइट सेवा उपयोगकर्ता टर्मिनल का प्रयास करने या स्थानांतरित करने वाले उपयोगकर्ता को प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध को बंद कर देगी।

(15) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रयोक्ता टर्मिनल के लिए निष्क्रिय मोड में या उपयोग में आने वाली प्रमुख दूरसंचार सेवाएं तब बंद कर दी जाएं जब ऐसा प्रयोक्ता टर्मिनल नियम 36 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है।

(16) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उन निदेशों और समय-सीमाएं जो केंद्रीय सरकार अपने प्रयोक्ता टर्मिनलों में भारतीय क्षेत्रीय नौचालन उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से पोजिशनिंग सेवाओं के उपबंध के संबंध में जारी कर सकती है का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

अध्याय 8

प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें

63. अध्याय 8 की प्रयोज्यता—(1) अध्याय 1 से अध्याय 7 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम इस अध्याय के सुसंगत भाग के दायरे में विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई पर भी लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 7 और अध्याय 8 में उल्लिखित नियमों के बीच किसी भी विरोधावासा की स्थिति में, अध्याय 8 में उल्लिखित नियम इस तरह के विरोधावासा की सीमा तक प्रबल होंगे।

भाग क: एकीकृत सेवा प्राधिकार

64. भाग क की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो एक एकीकृत सेवा प्राधिकार रखती है, और इस भाग में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है के सिवाए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के संदर्भ इस प्रकार से है-

- (क) "नई प्राधिकृत इकाई" से ऐसा नई प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जिसके पास एकीकृत सेवा प्राधिकार हो;
- (ख) "नेटवर्क सेवा ऑपरेटर" से ऐसा नेटवर्क सेवा ऑपरेटर अभिप्रेत है जिसके पास एकीकृत सेवा प्राधिकार है; तथा
- (ग) "वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर" से ऐसा वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर अभिप्रेत है जिसके पास एकीकृत सेवा प्राधिकार है।

65. एकीकृत सेवा प्राधिकार का विस्तार- (1) नेटवर्क सेवा प्रचालक के लिए एकीकृत सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल हैं, अर्थात्:-

- (क) एक नेटवर्क सेवा प्रचालक को अभिगम सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं;
- (ख) नेटवर्क सेवा प्रचालक को इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं; तथा
- (ग) ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं जो नेटवर्क सेवा प्रचालक को लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत की गई हों।

(2) वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक के लिए एकीकृत सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल हैं, अर्थात् -

- (क) वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक को अभिगम सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं;
- (ख) वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक को इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं; तथा
- (ग) वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक को लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जो एक एकीकृत सेवा प्राधिकार रखता है, यथास्थिति, उप-नियम (1) या (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकती है, केवल वायरलाइन या वायरलेस स्थलीय नेटवर्क, उपग्रह नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क के माध्यम से।

(4) अभिगम सेवा प्राधिकार, इंटरनेट सेवा प्राधिकार और लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें एकीकृत सेवा प्राधिकार के अधीन संबंधित प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि इस भाग में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकार की अपेक्षा होती है।

66. वित्तीय शर्तें- नियम 26 के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अलग-अलग खाते खोलना, अनुरक्षित और प्रस्तुत करेगी-

- (क) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर प्रत्येक दूरसंचार सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र के लिए अभिगम सेवा प्राधिकार;
- (ख) इंटरनेट सेवा प्राधिकार; तथा
- (ग) लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार

67. तकनीकी और संचालन शर्तें -(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन मंच और जन सुरक्षा उत्तर बिंदु से संपर्क राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर उपलब्ध कराया जाए।

(2) प्रत्येक नेटवर्क सेवा प्रचालक किसी पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर दूरसंचार ट्रैफिक को सौंपने या अपने हाथ में लेने के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क को किसी एनईसओ अनुज्ञप्तिधारी या अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक, जो इन नियमों के अधीन कोई प्राधिकार रखता हो, के दूरसंचार नेटवर्क के साथ जोड़ सकता है, जिसमें विफल रहने पर इंटरकनेक्शन के बिंदु पर इंटरकनेक्शन होगा।

(3) प्रत्येक वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक, उप-नियम (1) के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगा, अर्थात् -

- (क) यह नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट के रूप में संविदा में शामिल करेगा, अपने दूरसंचार नेटवर्क को अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए और केंद्रीय सरकार को इस तरह के संविदा या उसमें किसी भी संशोधन का विवरण सात दिनों के भीतर, इस तरह से प्रदान करेगा जैसा केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे; तथा
- (ख) यह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही अपने दूरसंचार नेटवर्क को जोड़ेगा या समकक्ष करेगा, और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरकनेक्शन केवल इसके मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक द्वारा किया जाएगा।

भाग ख: अभिगम सेवा प्राधिकार और वायरलाइन अभिगम सेवा प्राधिकार

68. भाग ख की प्रयोज्यता- यह भाग प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो एक अभिगम सेवा प्राधिकार या वायरलाइन अभिगम सेवा प्राधिकार रखती है, और इस भाग में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, अभिव्यक्तियों का संदर्भ निम्नानुसार है-

- (क) "नई प्राधिकृत इकाई" से ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जिसके पास अभिगम सेवा प्राधिकार या वायरलाइन अभिगम सेवा प्राधिकार है;
- (ख) "नेटवर्क सेवा प्रचालक" से ऐसा नेटवर्क सेवा प्रचालक अभिप्रेत है जिसके पास अभिगम सेवा प्राधिकार है; तथा
- (ग) "वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक" से ऐसा वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक अभिप्रेत है जिसके पास अभिगम सेवा प्राधिकार या वायरलाइन अभिगम सेवा प्राधिकार है।

69. अभिगम सेवा प्राधिकार का विस्तार— (1) नेटवर्क सेवा प्रचालक को अभिगम सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल हैं, अर्थात्:-

- (क) वीडियो संदेशों सहित आवाज और गैर-आवाज संदेशों का प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्ति;
- (ख) किसी नेटवर्क सेवा प्रचालक को इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं;
- (ग) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा;
- (घ) अंतरा-क्षेत्रीय लंबी दूरी की कॉल;

- (ड) दूरसंचार सेवा के रूप में कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क;
- (च) सेल प्रसारण सेवा;
- (छ) सीधे वायु से जमीन पर संचार सेवा;
- (ज) मशीन से मशीन सेवा;
- (झ) उद्यम संचार सेवाएं; तथा
- (ञ) यदि नेटवर्क सेवा प्रचालक के पास सभी बाईस सेवा क्षेत्रों के लिए पहुँच सेवा प्राधिकार है, तो यह इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा भी प्रदान कर सकता है।

(2) आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक को पहुँच सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल है, अर्थात् -

- (क) वीडियो संदेशों सहित आवाज और गैर-आवाज वाले संदेशों का प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्त होना;
- (ख) आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक को इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं;
- (ग) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा;
- (घ) अंतरा-क्षेत्रीय लंबी दूरी की कॉल;
- (ङ) सेल प्रसारण सेवा;
- (च) सीधे वायु से जमीन पर संचार सेवा;
- (छ) मशीन से मशीन सेवा;
- (ज) उद्यम संचार सेवाएं; तथा
- (झ) यदि नेटवर्क प्रचालक के पास सभी 22 सेवा क्षेत्रों के लिए पहुँच सेवा प्राधिकार है, तो यह इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा भी प्रदान कर सकता है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं उपयोगकर्ताओं को केवल निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान कर सकेगी-

- (क) मोबाइल उपयोगकर्ता टर्मिनल; या
- (ख) तार से पहुँच के साथ स्थिर उपयोगकर्ता टर्मिनल;
- (ग) बेतार पहुँच के साथ स्थिर उपयोगकर्ता टर्मिनल;
- (घ) निश्चित उपग्रह सेवा के लिए गतिमान टर्मिनल में बहुत सूक्ष्म छिद्र वाला टर्मिनल या पृथ्वी स्टेशन;
- (ङ) मोबाइल उपग्रह सेवा तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता टर्मिनल;
- (च) इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और सेंसर टाइप उपयोगकर्ता टर्मिनलों सहित मशीनें;
- (छ) राउटर या स्विच; या
- (ज) किसी अन्य प्रकार का उपयोगकर्ता टर्मिनल जो पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जाए।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जो एक पहुँच सेवा प्राधिकार रखती है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं तार से या बेतार स्थलीय नेटवर्क, उपग्रह नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कर सकेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, न कि कोई ऐसी अन्य दूरसंचार सेवा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकार अपेक्षित है।

(6) सीमित इंटरनेट टेलीफोनी के सिवाय इंटरनेट सेवा प्राधिकार के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें पहुँच सेवा प्राधिकार के अधीन इसे प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि इस भाग में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(7) दूरसंचार (प्रकीर्ण दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अधीन उद्यम संचार सेवाओं, मशीन से मशीन सेवाओं और इन-फ्लाइट समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं के लिए यथा लागू विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें हैं, पहुँच सेवा प्राधिकार के अधीन ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि इस भाग में अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

70. तार से पहुँच सेवा का प्राधिकार का दायरा- (1) आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक को तार से पहुँच सेवा के प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल हैं, अर्थात्:-

- (क) वीडियो संदेशों सहित आवाज और गैर-आवाज संदेशों का प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्त होना;
- (ख) आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक को इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत प्रमुख दूरसंचार सेवाएं;
- (ग) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा;
- (घ) अंतरा-क्षेत्रीय लंबी दूरी की कॉल;
- (ङ) मशीन से मशीन सेवा; तथा
- (च) उद्यम संचार सेवा प्राधिकार के अधीन प्राधिकृत उद्यम संचार सेवाएं।

(2) प्रत्येक आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक जो तार से पहुँच सेवा प्राधिकार रखता है, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं उपयोगकर्ताओं को केवल निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान करेगा-

- (क) तार से स्थलीय नेटवर्क; तथा
- (ख) तार से पहुँच या मशीनें, जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और सेंसर-टाइप यूज़र टर्मिनल शामिल हैं या राउटर या स्विच या किसी अन्य प्रकार के उपयोगकर्ता टर्मिनल के साथ स्थिर उपयोगकर्ता टर्मिनल, जिसे पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्रत्येक आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक जिसके पास तार से पहुँच सेवा प्राधिकार है, केवल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा जो इसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, न कि कोई अन्य प्रमुख दूरसंचार सेवा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकार अपेक्षित है।

(4) सीमित इंटरनेट टेलीफोनी के सिवाय इंटरनेट सेवा प्राधिकार के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट विशिष्ट निबंधन और शर्तें तार से पहुँच सेवा प्राधिकार के अधीन इसे प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि इस भाग में अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

(5) दूरसंचार (प्रकीर्ण दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अधीन उद्यम संचार सेवाओं और मशीन से मशीन सेवाओं के लिए लागू विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें, तार से पहुँच सेवा प्राधिकार के अधीन ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि इस भाग में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

71. तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें- (1) निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होती हैं, अर्थात्: -

- (क) यदि उसके पास पहुँच सेवा प्राधिकार है तो वह मोबाइल उपयोगकर्ता टर्मिनलों पर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुख दूरसंचार सेवाओं का उपबंध शुरू करने से पहले, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कार्यक्षमता स्थापित करेगा और परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार ऐसी कार्यक्षमता का परीक्षण करेगा जिसे पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए;-
- (ख) वह सुनिश्चित करेगी कि एक सेवा क्षेत्र से दूसरे सेवा क्षेत्र तक अंतर-सेवा क्षेत्र ट्रैफिक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाए;-
- (ग) वह सुनिश्चित करेगी कि अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफिक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे तक पहुंचाया जाए ताकि आगे विदेशी वाहक के दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके;-
- (घ) वह अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसी राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के अनुसार दूरसंचार पहचानकर्ता प्रदान करेगा, जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए;-
- (ङ) यदि इसके पास विभिन्न सेवा क्षेत्रों में एक से अधिक पहुँच सेवा प्राधिकार या तार से पहुँच सेवा प्राधिकार हैं, तो यह अपने किसी भी दूरसंचार उपस्कर को अपने प्राधिकार के सेवा क्षेत्र के भीतर कहीं भी तैनात कर सकेगी:

परंतु दूरसंचार उपस्कर की ऐसी तैनाती इन नियमों में और पॉइंट ऑफ़ इंटरसंयोजन के लिए दूरसंचार उपस्कर के मामले में लागू विधि के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा शर्तों के अधीन होगी;-

- (च) यदि वह एक साथ एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में इस भाग के अधीन एक प्राधिकार और भाग ग के अधीन इंटरनेट सेवा प्राधिकार रखती है, तो यह प्रमुख दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले, केंद्रीय सरकार को उस प्राधिकार की घोषणा करेगा जिसके अधीन उसके द्वारा ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

दृष्टांत: यदि क, राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्राधिकार रखने वाली कोई नई प्राधिकृत इकाई, हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में इस भाग के अधीन कोई प्राधिकार प्राप्त करती है, तो क हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में प्रमुख दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले केंद्रीय सरकार को यह घोषणा करेगी कि क्या क इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन या इस भाग में किसी भी प्राधिकार के अधीन इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी या नहीं;-

- (छ) यदि वह एक साथ एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में इस भाग के अधीन एक प्राधिकार और भाग घ के अधीन लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार रखती है, और देशीय पट्टे पर परिपथ प्रदान करने का आशय रखती है, तो यह प्रमुख दूरसंचार सेवा शुरू करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार को उन प्राधिकारों की घोषणा करेगी जिनके अधीन ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

उदाहरण: यदि क, एक नई प्राधिकृत इकाई जिसके पास राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार है, हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में इस भाग के अधीन कोई प्राधिकार प्राप्त करती है, और घरेलू पट्टे पर परिपथ प्रदान करने का आशय रखता है, तो क हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में इस तरह की प्रमुख दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले केंद्रीय सरकार को घोषणा करेगी, क्या क लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार के अधीन या इस भाग में किसी प्राधिकार के अधीन घरेलू पट्टे पर परिपथ सेवाएं प्रदान करेगी या नहीं;-

(ज) वह-

- (i) स्वतंत्र रूप से या अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारियों के साथ करार करके जिनके पास पहुँच सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, सभी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगी, जिसमें टोल-फ्री सेवाएं जैसे सार्वजनिक सुरक्षा उत्तर बिंदु, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस और कोई अन्य टोल-फ्री सेवाएं शामिल हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ii) उप-खंड (i) में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि संदेश ऐसे संबंधित प्राधिकारों के निर्दिष्ट नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाए जाएं, जिसे पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(झ) वह वाहक दूरसंचार ट्रैफिक के परिवहन के उद्देश्य से, राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी जिसके पास प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, को इंटरसंयोजन प्रदान करेगी।

(2) इस प्राधिकार के अधीन मशीन से मशीन सेवा के उपबंध के लिए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होती हैं, अर्थात्: -

(क) यदि वह मशीन से मशीन सेवाएं प्रदान कर रही है, -

- (i) वह लागू विधि के अधीन समनुदेशन की अपेक्षा से छूट प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके मशीन से मशीन सेवा के लिए बेतार पर्सनल एरिया नेटवर्क या बेतार लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार कर सकेगी; तथा
- (ii) वह भारत में विदेशी मशीन से मशीन सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल के रोमिंग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी ऐसेनिदेशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(ख) यदि वह किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को मशीन से मशीन सेवाएं या मशीन से मशीन सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल प्रदान कर रही है, जिसके पास मशीन से मशीन सेवा प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी सेवाएं या ऐसे सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल का उपयोग केवल ऐसे विनिर्दिष्ट उपयोग के मामलों तक ही सीमित होगा, जैसा कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूरसंचार (प्रकीर्ण दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम 2026 या अनुज्ञप्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को सूचित किया गया है; - और-

(ग) यदि यह मशीन से मशीन सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल के सब्सक्रिप्शन प्रोफाइल प्रबंधन के संबंध में मशीन से मशीन सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मॉड्यूल के सब्सक्रिप्शन प्रोफाइल प्रबंधन के लिए एक प्लेटफॉर्म की स्वामी है और उसका प्रबंधन करती है, तो यह सदस्यता प्रबंधक-डेटा तैयारी और सदस्यता प्रबंधक-सुरक्षित रूटिंग की सुरक्षा के मानकों सहित ऐसे मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों का पालन करेगी, जिसे केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित करें।

(3) इस प्राधिकार के अधीन इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के उपबंध के लिए, प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें लागू होगी, अर्थात् -

(क) स्थिर या मोबाइल उपयोगकर्ता टर्मिनल वाले उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान की जा सकेगी;-

- (ख) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को केवल उन्हीं दूरसंचार पहचानकर्ताओं में से आबंटित किए जाएंगे जो उसे राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के अधीन और ऐसे आबंटन के निबंधन और शर्तों के अधीन आबंटित किए गए हैं;-
- (ग) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ता को मोबाइल सेवा और मोबाइल इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए एक ही दूरसंचार पहचानकर्ता प्रदान कर सकेगी;-
- (घ) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ता को निश्चित सेवा और निश्चित इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए एक ही दूरसंचार पहचानकर्ता प्रदान कर सकेगी;-
- (ङ) इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोगकर्ता को सौंपा गया इंटरनेट प्रोटोकाल पता इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी की इंटरनेट प्रोटोकाल का समाधान करने वाली योजना के अनुरूप होगा और ऐसे इंटरनेट प्रोटोकाल पते का विवरण केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए;-
- (च) अंतरराष्ट्रीय अवस्थानों से अंतरराष्ट्रीय आउट-रोमर्स द्वारा शुरू की गई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे पर सौंप दिया जाएगा और पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति रखने वाली टर्मिनेटिंग इकाई को अंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन प्रभार का संदाय किया जाएगा;-
- परंतु यदि नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि भारत के बाहर शुरू हुई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल ऐसे अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे के माध्यम से रूट की गई, तो वह अपने इंटरनेट टेलीफोनी उपयोगकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय आउट-रोमिंग सुविधा के उपबंध को समाप्त कर देगी;-
- (छ) इंटरनेट टेलीफोनी कॉल शुरू करने या समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस कॉल डेटा अभिलेख का हिस्सा होगा और इंटरनेट टेलीफोनी के मामले में, केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित होने पर उपयोगकर्ता के अवस्थान का विवरण, उस सटीकता के उस स्तर, जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, के साथ प्रदान किया जाएगा:
- (ज) इंटरनेट टेलीफोनी उपयोगकर्ताओं के लिए कॉलिंग लाइन पहचान निर्बंधन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी;-
- (झ) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाली नई प्राधिकृत इकाई अवस्थान सेवाओं का उपयोग करके राष्ट्रीय नंबरिंग योजना में विनिर्दिष्ट आपातकालीन नंबर कॉल तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकेगी:
- परंतु ऐसी नई प्राधिकृत इकाई इंटरनेट टेलीफोनी उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की सीमा के बारे में स्पष्ट शब्दों में सूचित करेगी;-
- (ञ) नई प्राधिकृत इकाई अपने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में उसके द्वारा समर्थित सेवा की गुणवत्ता के मापदंडों की जानकारी देगी।

(4) उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें किसी नेटवर्क सेवा प्रचालक पर लागू होती हैं, अर्थात्:—

- (क) वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉल सभी गंतव्यों तक पूरी हो सकें, यह सभी पात्र नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के दूरसंचार नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करेगी और उन्हें इंटरसंयोजन प्रदान करेगी;-
- (ख) वह उन स्थितियों में अपने दूरसंचार नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी गेटवे के साथ सीधे इंटरकनेक्ट करने से इनकार नहीं करेगी, जहाँ उसकी उपस्थिति का बिंदु और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं प्रदान करने का

प्राधिकार या अनुज्ञप्ति रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति का बिंदु एक ही स्टेशन पर अवस्थित हों;-

- (ग) वह पहुँच सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालकों या नेटवर्क सेवा प्रचालक अनुज्ञप्तिधारियों के साथ रोमिंग सुविधाओं के लिए पारस्परिक करार कर सकेगी;-
- (घ) वह अपने उपयोगकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भारत के बाहर के एक दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ पारस्परिक करार कर सकेगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए;-
- (ङ) वह दूरसंचार नेटवर्क स्लाइसिंग के माध्यम सहित अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके एक उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवा के रूप में कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क प्रदान कर सकेगी;-
- (च) यदि उसके पास पहुँच स्पेक्ट्रम है, तो यह ऐसे स्पेक्ट्रम का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के लिए पृथक कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क स्थापित कर सकेगी:
- परंतु ऐसे पृथक कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क स्थापित करते समय और खंड (ङ) के अधीन सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से एक दूरसंचार सेवा के रूप में कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क प्रदान करते समय, वह यह सुनिश्चित करेगी कि सेवा की गुणवत्ता के लागू मानकों को बनाए रखा जाए;-
- (छ) यदि वह उस स्पेक्ट्रम को वापस करने (सरेंडर करने) का निर्णय लेती है, जिसका उपयोग उसके उपयोगकर्ताओं द्वारा कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क के लिए किया जा रहा है, तो वह ऐसे स्पेक्ट्रम की वापसी की प्रभावी तारीख से कम से कम छह मास पूर्व कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क के ऐसे उपयोगकर्ताओं को ऐसी वापसी की सूचना देगी;-
- (ज) वह अपने होम नेटवर्क पर अंतर-सेवा क्षेत्र ट्रैफिक ले जा सकेगी या वह लंबी दूरी की सेवाओं के संबंध में अपने अंतर-सेवा क्षेत्र ट्रैफिक को ले जाने के लिए पहुँच संबंधी सेवाएं या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति रखने वाली इकाइयों के साथ पारस्परिक करार कर सकेगी; और
- (झ) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के उपबंध के लिए, वह अपने इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क को पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क या पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट कर सकेगी।

(5) उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, पहुँच सेवा प्राधिकार रखने वाले किसी आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक पर निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें लागू होती हैं, अर्थात:-

- (क) वह अपने दूरसंचार नेटवर्क को अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 9 के उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट करार करेगा और ऐसे करार या उसमें किसी भी संशोधन का विवरण पोर्टल पर सात दिनों के भीतर, केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगा ;
- (ख) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही अपने दूरसंचार नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरसंयोजन केवल उसके मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक द्वारा ही किया जाएगा;
- (ग) वह किसी मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक से दूसरे मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक तक ट्रैफिक के मार्ग-निर्धारण के लिए विभिन्न मूल नेटवर्क सेवा प्रचालकों से अभिप्राप्त दूरसंचार नेटवर्क को एकीकृत नहीं करेगा;
- (घ) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक को केंद्रीय सरकार द्वारा आबंटित दूरसंचार पहचानकर्ताओं में से दूरसंचार पहचानकर्ताओं की एक श्रृंखला अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक से अभिप्राप्त करेगा; और

(ड) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के साथ पारस्परिक करार के अनुसार, अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के बैकहॉल स्पेक्ट्रम और पहुँच स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए अपना रेडियो एक्सेस नेटवर्क स्थापित कर सकेगा।

(6) उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, तार से पहुँच सेवा प्राधिकार रखने वाले एक आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक पर निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें लागू होती हैं, अर्थात्:—

- (क) वह अपने दूरसंचार नेटवर्क को अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 9 के उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट करार करेगा और ऐसे करार या उसमें किसी भी संशोधन का विवरण पोर्टल पर सात दिनों के भीतर, केंद्रीय सरकार को प्रदान करेगा;
- (ख) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही अपने दूरसंचार नेटवर्क को कनेक्ट करेगा और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी इंटरसंयोजन केवल उसके मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक द्वारा ही किया जाएगा;
- (ग) वह एक मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक से दूसरे मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक तक ट्रैफिक के मार्ग-निर्धारण के लिए विभिन्न मूल नेटवर्क सेवा प्रचालकों से प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क को एकीकृत नहीं करेगा; और
- (घ) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक को केंद्रीय सरकार द्वारा आबंटित दूरसंचार पहचानकर्ताओं में से दूरसंचार पहचानकर्ताओं की एक श्रृंखला अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक से अभिप्राप्त करेगा।

72. सुरक्षा शर्तें.— (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अवरोधित संदेशों के लिए, कॉल से संबंधित जानकारी का प्रदाय केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार करेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

- (क) कॉल प्राप्त करने वाले और कॉल करने वाले पक्षों के दूरसंचार पहचानकर्ता, जिसके अंतर्गत वह स्थिति भी शामिल है जब उपयोगकर्ता रोमिंग पर हो;
- (ख) कॉल का समय, तारीख और अवधि;
- (ग) लक्षित उपयोगकर्ता का अवस्थान, जिसमें उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रदान किए जाएंगे;
- (घ) बेस स्टेशन साइट के निर्देशांक और नाम;
- (ड) दूरसंचार पहचानकर्ता, यदि लक्षित उपयोगकर्ता द्वारा कॉल-फॉरवर्डिंग सुविधा का उपयोग किया गया हो;
- (च) विफल कॉल प्रयासों का डेटा अभिलेख; और
- (छ) रोमिंग उपयोगकर्ताओं के कॉल डेटा अभिलेख।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई मोबाइल उपयोगकर्ताओं के अवस्थान का विवरण ऐसे विवरणों के साथ, सटीकता के ऐसे स्तर के साथ प्रदान करेगी जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय आउट रोमर संग्रह का रखरखाव करेगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर मौजूद अपने उपयोगकर्ताओं के दूरसंचार पहचानकर्ताओं के साथ वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय आउट रोमर प्रणाली को वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन करेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई कॉलिंग लाइन पहचान निर्बंधन सुविधा प्रदान करने के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ही उपयोगकर्ताओं को यह सुविधा प्रदान करेगी, अन्यथा नहीं।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई कॉलिंग लाइन पहचान निर्बंधन सुविधा वाले अपने उपयोगकर्ताओं की सूची उनके पूर्ण पते और विवरण के साथ एक पासवर्ड सुरक्षित वेबसाइट पर सूचीबद्ध करेगी, और तथा अपेक्षित केंद्रीय सरकार या पदाभिहित अभिकरण को ऐसी वेबसाइट तक पहुंच में समर्थ करेगी।

(7) उपयोगकर्ताओं को कॉलिंग लाइन पहचान निर्बंधन सुविधा प्रदान करते समय, प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलिंग लाइन पहचान को पूरे दूरसंचार नेटवर्क में शुरू से अंत तक ले जाया जाए:

परंतु कारबार संबंधी कनेक्शनों के मामले में कॉलिंग लाइन पहचान निर्बंधन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सब्सक्राइबर की पहचान इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों या ऐसे मानकों और अनुरूपता निर्धारण संबंधी उपायों के अनुसार किया जाए जिन्हें अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित किया गया है।

भाग ग:

इंटरनेट सेवा प्राधिकार

73. भाग ग का लागू होना- यह भाग ऐसी नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास इंटरनेट सेवा प्राधिकार है, और जब तक कि इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो, निम्नलिखित पदों के प्रति किसी निर्देश से—

(क) "नई प्राधिकृत इकाई" से ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जिसके पास इंटरनेट सेवा प्राधिकार है;

(ख) "नेटवर्क सेवा प्रचालक" से ऐसा नेटवर्क सेवा प्रचालक अभिप्रेत है जिसके पास इंटरनेट सेवा प्राधिकार है; और

(ग) "आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक" से ऐसा आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक अभिप्रेत है जिसके पास इंटरनेट सेवा प्राधिकार है।

74. इंटरनेट सेवा प्राधिकार का दायरा — (1) किसी नेटवर्क सेवा प्रचालक को दिए जाने वाले इंटरनेट सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल हैं, अर्थात्:—

(क) इंटरनेट सेवा;

(ख) कंप्यूटरों या इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित ग्राहक परिसर उपकस्कर तक सीमित इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, जो केवल निम्नलिखित को जोड़ती है, अर्थात्:—

(i) कंप्यूटर से कंप्यूटर, भारत के भीतर या बाहर;

(ii) भारत में अधिसूचित मानकों के अनुरूप कंप्यूटर, उपस्कर या एडाप्टर को भारत के बाहर पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क या पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क उपयोगकर्ता टर्मिनलों से; और

(iii) स्टेटिक इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करके भारत में इंटरनेट नोड से जुड़े अधिसूचित मानकों के अनुरूप किसी भी कंप्यूटर, उपस्कर या एडाप्टर को भारत के भीतर या बाहर इसी तरह के कंप्यूटर, उपकरण या एडाप्टर से;

(ग) देशीय पट्टे पर सर्किट;

(घ) इंटरनेट पट्टे पर लाइन;

(ङ) लागू विधि के अनुसार इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा;

(च) इंटरनेट सेवाओं तक सीमित मशीन से मशीन सेवा; और

(छ) यदि नेटवर्क सेवा प्रचालक के पास राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकार है, तो वह इंटरनेट सेवाओं तक सीमित इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं भी प्रदान कर सकेगा।

(2) किसी आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक को दिए जाने वाले इंटरनेट सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

- (क) इंटरनेट सेवाएं;
- (ख) कंप्यूटरों या इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित ग्राहक परिसर उपस्कर तक सीमित इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, जो केवल निम्नलिखित को जोड़ती है, अर्थात्:—
 - (i) कंप्यूटर से कंप्यूटर, भारत के भीतर या बाहर;
 - (ii) भारत में अधिसूचित मानकों के अनुरूप कंप्यूटर, उपस्कर या एडाप्टर को भारत के बाहर पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क या पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क उपयोगकर्ता टर्मिनलों से; और
 - (iii) स्टेटिक इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करके भारत में इंटरनेट नोड से जुड़े अधिसूचित मानकों के अनुरूप किसी भी कंप्यूटर, उपकरण या एडाप्टर को भारत के भीतर या बाहर इसी तरह के कंप्यूटर, उपकरण या एडाप्टर से;
- (ग) देशीय पट्टे पर परिपथ;
- (घ) इंटरनेट पट्टे पर लाइन;
- (ङ) लागू विधि के अनुसार इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा;
- (च) इंटरनेट सेवाओं तक सीमित मशीन से मशीन सेवा; और
- (छ) यदि आभासी वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक के पास राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकार है, तो वह इंटरनेट सेवाओं तक सीमित इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाएं भी प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— "कंप्यूटर" पद से कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, ऑप्टिकल या अन्य उच्च गति वाला डेटा प्रोसेसिंग युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या ऑप्टिकल आवेगों के हेरफेर द्वारा तार्किक, अंकगणितीय और स्मृति संबंधित कृत्य करती है, और इसके अंतर्गत सभी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं स्थिर उपयोगकर्ताओं को केवल निम्नलिखित के माध्यम से ही प्रदान कर सकेगी—

- (क) तार से पहुँच वाले स्थिर उपयोगकर्ता टर्मिनल; या
- (ख) बेतार पहुँच वाले स्थिर उपयोगकर्ता टर्मिनल; या
- (ग) स्थिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और स्थिर सेंसर प्रकार के टर्मिनलों सहित स्थिर मशीनें; या
- (घ) राउटर या स्विच; या
- (ङ) किसी अन्य प्रकार के टर्मिनल जिन्हें केंद्रीय सरकार पोर्टल पर वि विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार स्थिर सैटेलाइट सेवा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता टर्मिनलों के माध्यम से भी उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकेगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं तार से या बेतार स्थैतिक नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क या सबमरीन नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कर सकेगी।

(6) इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार से अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी और पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे स्थापित, संचालित, विस्तारित कर सकेगी या उसका रखरखाव कर सकेगी।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई बेतार स्थैतिक नेटवर्क का उपयोग करके मशीन से मशीन सेवा प्रदान करने के लिए, लागू विधि के अधीन आवंटन की अपेक्षा से छूट प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित, संचालित, विस्तारित कर सकेगी या उसका रखरखाव कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क" से एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क अभिप्रेत है जो लंबी दूरी पर कम शक्ति वाली युक्तियों को बेतार कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो मशीन से मशीन संचार के लिए उपयुक्त है।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल उन्हीं प्रमुख दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार के दायरे में प्राधिकृत हैं, न कि कोई अन्य ऐसी दूरसंचार सेवा जिसके लिए केंद्रीय सरकार से एक पृथक प्राधिकार अपेक्षित है।

(9) निम्नलिखित उपबंध प्रत्येक ऐसी नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होंगे जिसने नेटवर्क सेवा प्रचालक के रूप में प्राधिकार अभिप्राप्त किया है:

(क) कोई नेटवर्क सेवा प्रचालक निम्नलिखित का उपबंध कर सकेगा:

(i) किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, को उनके दूरसंचार नेटवर्क उपस्कर को जोड़ने के लिए देशीय पट्टे पर परिपथ, जिसके अंतर्गत बैंकहॉल कनेक्टिविटी भी शामिल है; और

(ii) किसी अन्य ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी को, जिसके पास इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या इंटरनेट बैंडविड्थ अनुज्ञप्ति है;

(ख) कोई नेटवर्क सेवा प्रचालक लागू विधि के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट प्राधिकार के लिए लागू नियमों और शर्तों के अनुसार इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट स्थापित, संचालित, विस्तारित कर सकेगा या उसका रखरखाव कर सकेगा, जब तक कि इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो; और

(ग) कोई नेटवर्क सेवा प्रचालक, जिसने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे स्थापित किया है, ऐसे अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक या नेटवर्क सेवा प्रचालक अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान कर सकेगा जिसके पास इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है।

(10) दूरसंचार (प्रकीर्ण दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों, जो इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं तथा मशीन से मशीन सेवाओं के लिए लागू हैं, इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होंगी, जब तक कि इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

75. तकनीकी और प्रचालक संबंधी शर्तें। (1) निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालक संबंधी शर्तें प्रत्येक नए प्राधिकृत इकाई पर लागू होंगी, अर्थात्:

(क) यह इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए, लागू विधि और ऐसे निदेशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगी जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी करें;-

- (ख) यह
- (i) भारत में सार्वजनिक स्वचालित टेलीफोन नेटवर्क या सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क के उपयोगकर्ता से या उसके इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के उपयोगकर्ता को कनेक्ट नहीं करेगी;
 - (ii) इंटरनेट टेलीफोनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ई.164 नंबरिंग योजना का उपयोग नहीं करेगी और
 - (iii) किसी भी दूरसंचार उपकरण को आबंटित इंटरनेट प्रोटोकाल पते पर ई.164 नंबर या निजी नंबर का अनुवाद या इसके विपरीत नहीं करेगी;-
- (ग) वह यह सुनिश्चित करेगी कि इंटरनेट टेलीफोनी के लिए एड्रेसिंग स्कीम इंटरनेट असाइन्ड नंबर प्राधिकार की इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेसिंग स्कीम के अनुपालन में है;-
- (घ) यह इंटरनेट सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकृत इंटरनेट रजिस्ट्रियों से सीधे इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस अभिप्राप्त करेगी और ऐसे इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस का विवरण केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर प्रस्तुत करेगी;
- (ङ) यदि यह स्पेक्ट्रम का उपयोग करके इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है जिसे अधिनियम के अधीन असाइनमेंट की आवश्यकताओं से छूट दी गई है, तो नई प्राधिकृत इकाई ऐसे स्पेक्ट्रम के संबंध में आदेशों या निदेशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगी जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जाएं;-
- (च) यह अपने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री तक अनिर्बंधित पहुंच प्रदान करेगा, सिवाय ऐसी सामग्री के जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्बंधित हो;-
- (छ) यदि इसके पास एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में अलग इंटरनेट सेवा प्राधिकार और लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार है, और देशीय पट्टे पर परिपथ प्रदान करने का आशय है, तो यह ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले, केंद्रीय सरकार को ऐसा प्राधिकार घोषित करेगी, जिसके अधीन ऐसी सेवा उसके द्वारा प्रदान की जाएगी।
- उदाहरण: यदि क, राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार वाली नई प्राधिकृत इकाई, हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्राधिकार प्राप्त करती है, और देशीय पट्टे पर परिपथ प्रदान करने का आशय रखती है, तो क हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा की शुरुआत से पहले केंद्रीय सरकार को घोषणा करेगी, क्या लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार या इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन देशीय पट्टे पर परिपथ सेवाएं प्रदान करेगी या नहीं;-
- (ज) यह लागू विधि के अधीन असाइनमेंट की अपेक्षा से छूट प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके मशीन से मशीन सेवा के लिए बेतार पर्सनल एरिया नेटवर्क या बेतार लोकल एरिया नेटवर्क संस्थापित, प्रचालित, अनुरक्षण या विस्तारित कर सकेगी;
- (झ) यह बेतार पर्सनल एरिया नेटवर्क या बेतार लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करके मशीन से मशीन सेवा प्रदान करते समय, बैंकहॉल कनेक्टिविटी के लिए नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के दूरसंचार नेटवर्क के साथ ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करेगी;-
- (ञ) यह
- (i) प्रेषक, प्राप्तकर्ता, उपयोग किए जा रहे प्रोटोकॉल या उपयोगकर्ता टर्मिनल के आधार पर सामग्री के किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार में संलग्न नहीं होगी:- और

- (ii) किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी व्यवस्था, करार या संविदा करेगी, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जिसका प्रभाव सामग्री के भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है:-
- (ट) खंड (ज) में किसी बात के होते हुए भी, नई प्राधिकृत इकाई
- (i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भी विशेष सेवाएं प्रदान करेगी, अर्थात्:
- (क) विशेषीकृत सेवाएं उपयोग करने योग्य नहीं हैं या इंटरनेट सेवाओं के प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं; और
- (ख) इस तरह की विशेषीकृत सेवाओं का उपबंध इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता और समग्र गुणवत्ता के लिए हानिकारक नहीं है।
- (ii) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी के अधीन आने वाले आनुपातिक, क्षणिक और पारदर्शी उपायों को अंगीकृत करना, अर्थात्:-
- (क) पोर्टल पर ऐसी युक्तियुक्त ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाएं जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जाएं;
- (ख) किसी सार्वजनिक आपातकाल के दौरान यथा अपेक्षित आपातकालीन सेवाओं या किसी अन्य सेवाओं का ऐसी प्रक्रियाओं के अनुसार उपबंध, जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जाएं;
- (ग) किसी न्यायालय के किसी आदेश या ऐसी किसी निदेश का कार्यान्वयन जो केंद्रीय सरकार जारी करे;
- (घ) दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार उपस्कर की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के उपाय; और
- (ङ) किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसरण में समुचित उपाय जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- स्पष्टीकरण.- खंड (ज) और (ट) के प्रयोजन के लिए,
1. "सामग्री" में सभी सामग्री, एप्लिकेशन, सेवाएं और कोई अन्य डेटा भी सम्मिलित होगा, जिसमें इसकी अंतिम-बिंदु सूचना भी शामिल है, जिसे इंटरनेट पर प्राप्त या प्रसारित किया जा सकता है।
 2. "भेदभावपूर्ण व्यवहार" में सामग्री के व्यवहार में भेदभाव, निर्बंधन या हस्तक्षेप का कोई भी रूप शामिल होगा, जिसमें किसी भी सामग्री को अवरुद्ध करना, अपमानित करना, धीमा करना या अधिमान्य गति या व्यवहार प्रदान करना जैसी प्रथाएं शामिल हैं।
 3. विशेषीकृत सेवाओं से इंटरनेट सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाएँ अभिप्रेत हैं जो विशिष्ट सामग्री, प्रोटोकॉल या प्रयोक्ता टर्मिनल के लिए अनुकूलित हैं, जहां विशिष्ट गुणवत्ता की सेवा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन आवश्यक है; और
- (ठ) यदि यह किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास मशीन से मशीन सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, को मशीन से मशीन सेवाएं प्रदान कर रही है, तो ऐसी सेवाओं या ऐसे सिम का उपयोग केवल विशिष्ट उपयोग के मामलों तक ही सीमित होगा, जैसा कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूरसंचार (प्रकीर्ण दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 या अनुज्ञप्ति के अधीन केंद्रीय सरकार या पदाभिहित अभिकरण को सूचित किया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन तकनीकी और प्रचालक संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालक संबंधी शर्तों नेटवर्क सेवा प्रचालक पर लागू होंगी, अर्थात्:-

- (क) वह इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क सेवा प्रचालक अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक, जिसके पास इन नियमों के अधीन कोई प्राधिकार हो, के साथ पीयरिंग स्थापित कर सकेगा, और पीयरिंग के लिए अपेक्षित संसाधन ऐसी इकाइयों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होंगे; और
- (ख) वह सुनिश्चित करेगा कि इंटरनेट सेवाओं के उपबंध के लिए स्थापित उसका दूरसंचार नेटवर्क भारत में पहुंच सेवाओं के उपबंध के लिए स्थापित दूरसंचार नेटवर्क, जैसे सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क या सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन तकनीकी और प्रचालक संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालक संबंधी शर्तें किसी आभासी नेटवर्क प्रचालक पर लागू होंगी, अर्थात्:

- (क) वह अपने दूरसंचार नेटवर्क को अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए नियम 9 के उप-नियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट संविदा करेगा और ऐसी संविदा या उसमें किसी ऐसे संशोधनों का विवरण, जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, सात दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रदान करेगा
- (ख) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही जुड़ेगा, और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी अंतर्संबंध केवल इसके मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक द्वारा किया जाएगा;
- (ग) वह अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक या प्राधिकृत इंटरनेट रजिस्ट्रियों से इंटरनेट प्रोटोकाल पते प्राप्त कर सकेगा, और इसे अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालकों के दूरसंचार नेटवर्क में संरूप कर सकेगा, और ऐसे इंटरनेट प्रोटोकाल पते का विवरण केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा;
- (घ) वह निम्नलिखित द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को देशीय पट्टे पर परिपथ प्रदान कर सकेगा
 - (i) अपने दूरसंचार उपकरण को अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़कर; या
 - (ii) अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके।

76. सुरक्षा शर्तें-(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों का अनुपालन करेगी, अर्थात्:

- (क) यह सुनिश्चित करेगी कि यदि कई उपयोगकर्ता एक ही इंटरनेट लीज्ड लाइन का उपयोग करते हैं, तो न्यूनतम दो साल की अवधि के लिए इंटरनेट लीज्ड लाइन के उपयोगकर्ता इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सिस्टोलाग के उपयोग के विवरण को बनाए रखें,;
- (ख) यह इंटरनेट लीज्ड लाइन के उपबंध के समय स्थापित प्रणालियों का सत्यापन करके और तत्पश्चात इंटरनेट लीज्ड लाइन के उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने या खंड (क) के अनुपालन के लिए आवश्यक कोई अन्य उपाय करने की अपेक्षा करने, खंड (क) का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन की दशा में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसी उपयोगकर्ताओं से इंटरनेट लीज्ड लाइन वापस ले लेगी;
- (ग) यह अपने स्वयं की लागत से, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निदेशित प्रत्येक ऐसे अवस्थान को ऐसे क्षेत्र का स्थान प्रदान करेगी जहां उसने पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति और वातानुकूलन के साथ अपनी विधिपूर्ण अवरोधन निगरानी सुविधा स्थापित की है, जो भौतिक रूप से सुरक्षित और केवल प्राधिकृत अभिकरणों के लिए सुगम है; और

(घ) वह राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक हित के हित में केंद्रीय सरकार द्वारा पहचाने गए और निदेशित की गई इंटरनेट साइटों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करेगा।

(2) प्रत्येक नेटवर्क सेवा प्रचालक उप-नियम (1) के अतिरिक्त निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों का भी अनुपालन करेगा, अर्थात्:

- (क) वह सुनिश्चित करेगा कि अपस्ट्रीम इंटरनेट बैंडविड्थ का अनुरोध करने वाली एक और नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के पास अपने स्वयं के डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए वैध प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है और यदि ऐसा प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरित, अभ्यर्पित या समाप्त हो जाता है, तो ऐसा नेटवर्क सेवा प्रचालक ऐसी बैंडविड्थ वापस ले लेगा;
- (ख) वह, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे स्थानों पर जो महत्वपूर्ण हैं, स्थापित इंटरनेट नोड्स के ट्रैफिक को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अलग करेगा और रूट करेगा, और
- (ग) वह सुनिश्चित करेगा कि एट्रेस रेसोल्यूशन के लिए उपयोग किया जाने वाला डोमेन नाम सिस्टम पर्याप्त अतिरेक और सुरक्षा उपायों के साथ भारत के भीतर होस्ट, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित और प्रचालित किया गया है ताकि निर्बाध डोमेन नाम सिस्टम रेसोल्यूशन सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

भाग घ:

लंबी दूरी की सेवा का प्राधिकार

77. भाग घ का लागू होना- यह भाग एक नए प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो लंबी दूरी की सेवा का प्राधिकार रखती है, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय पदों के प्रति किसी निर्देश का कोई भी संदर्भ-

- (क) “नई प्राधिकृत इकाई” से ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जिसके पास लंबी दूरी की सेवा का प्राधिकार है;
- (ख) “नेटवर्क सेवा प्रचालक” से ऐसा नेटवर्क सेवा प्रचालक से अभिप्रेत है जिसके पास लंबी दूरी की सेवा का प्राधिकार है; और
- (ग) “आभासी वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक” ऐसा आभासी नेटवर्क प्रचालक से अभिप्रेत है जिसके पास लंबी दूरी का सेवा प्राधिकार है।

78. लंबी दूरी की सेवा के प्राधिकार का दायरा-(1) किसी नेटवर्क सेवा प्रचालक को लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल है, अर्थात्:

- (क) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
- (i) भारत के भीतर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;
 - (ii) भारत के भीतर अंतरा-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय लंबी दूरी की कॉल का वहन;
 - (iii) देशीय पट्टे पर परिपथ; और
 - (iv) देशीय कॉलिंग कार्ड;
- (ख) विदेशी वाहकों के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -
- (i) भारत के बाहर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;

- (ii) विदेशी वाहकों से या उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल का वहन;
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट पट्टे पर परिपथ; और
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड।

(2) आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क प्रचालक को लंबी दूरी की सेवा के प्राधिकार में निम्नलिखित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार शामिल है:

(क) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (i) भारत के भीतर वाहक दूरसंचार ट्रैफिक का वहन;
- (ii) भारत के भीतर अंतरा-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय लंबी दूरी की कॉल का वहन;
- (iii) देशीय पट्टे पर परिपथ; और
- (iv) देशीय कॉलिंग कार्ड;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, अपने मूल नेटवर्क सेवा प्रचालक के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़कर, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- (i) भारत के बाहर वाहक दूरसंचार यातायात का वहन;
- (ii) विदेशी वाहकों को या उनसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल का वहन;
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टित परिपथ; और
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, यथास्थिति उप-नियम (1) और उप-नियम(2) जैसा भी मामला हो के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेवाएं केवल तार या बेतार स्थलीय नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क या सबमरीन नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करा सकेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई घरेलू पट्टित परिपथ, घरेलू कॉलिंग कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टित परिपथ या अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड प्रदान कराने के लिए उपयोगकर्ता तक प्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त कर सकेगा।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केवल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी जो उसके प्राधिकार की परिधि में प्राधिकृत हैं, और ऐसी किसी अन्य दूरसंचार सेवा नहीं जिसके लिए केंद्रीय सरकार से पृथक प्राधिकार अपेक्षित हो।

(6) नेटवर्क सेवा प्रचालक के रूप में प्राधिकरण प्राप्त करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्-

(क) ऐसी इकाई घरेलू पट्टित परिपथ और पट्टे पर अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान कर सकेगा जिनके पास ऐसा प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है जिसके अधीन उसे ऐसी संयोजकता रखने की अनुमति हो;

(ख) ऐसी इकाई अपेक्षित सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति से किए गए आवेदन के आधार पर केंद्रीय सरकार से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, निम्नलिखित के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन या केबल लैंडिंग स्टेशन प्वाइंट-ऑफ-प्रेजेन्स की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकेगी, अर्थात्:-

- (i) प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल प्रणालियाँ; और
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय केबल प्रणालियाँ, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए;-

- (ग) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएँ प्रदान करने वाली ऐसी इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा स्वीकृति तथा केंद्रीय सरकार से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकेगी।

79. तकनीकी और प्रचालन शर्तें- (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन शर्तों का पालन करेगी, अर्थात्:

- (क) वह प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के प्रारंभ से पूर्व, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की कार्यप्रणाली स्थापित करेगी और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट परीक्षण कार्यक्रम तथा परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार उसका परीक्षण करेगी।
- (ख) वह सभी प्रकार के वाहक दूरसंचार यातायात के वहन को सुनिश्चित करेगी जिससे कि सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्राप्त नए प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपयोगकर्ताओं को एंड-टू-एंड प्रमुख दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा, अर्थात्:

- (क) नई प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से आवेदन करेगी, और भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन की स्थापना और सबमरीन केबल बिछाने के लिए पृथक अनुज्ञाएं और स्वीकृतियां प्राप्त करेंगी :

परंतु यह कि केबल लैंडिंग स्टेशन प्वाइंट-ऑफ-प्रेजेस स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन करने वाली नई प्राधिकृत इकाई को भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए अनुज्ञा और स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा:

परंतु यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय केबल लैंडिंग स्टेशन और केबल लैंडिंग स्टेशन - प्वाइंट-ऑफ-प्रेजेस की अनुमति केवल ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को प्रदान की जाएगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का प्रवेश द्वार स्थापित करने की अनुमति दी गई है:

परंतु यह भी कि घरेलू केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए अनुमति ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को प्रदान की जाएगी जो लंबी दूरी की कोई भी सेवा प्रदान कर रही हो:-

- (ख) केन्द्रीय सरकार, खंड (क) के अधीन किए गए आवेदन के अपने मूल्यांकन और, यदि अपेक्षित हो, सुरक्षा परीक्षण के अधीन, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (i) केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामित्व वाली नई प्राधिकृत इकाई केबल लैंडिंग स्टेशन पर सबमरीन लाइन टर्मिनेटिंग उपकरण स्थापित कर सकेगी या मुख्य केबल लैंडिंग स्टेशन से अपने केबल लैंडिंग स्टेशन पॉइंट-ऑफ-प्रेजेस तक सबमरीन केबल में अपने स्वामीत्वाधीन या पट्टे पर लिए गए डार्क फाइबर युग्मों का विस्तार कर सकेगी और केबल लैंडिंग स्टेशन पॉइंट-ऑफ-प्रेजेस पर सबमरीन लाइन टर्मिनेटिंग उपकरण स्थापित कर सकेगी:

परंतु कि सबमरीन केबल में फाइबर युग्म रखने वाली, किंतु केबल लैंडिंग स्टेशन की स्वामी न होने वाली नई प्राधिकृत इकाई अपने स्वामित्वाधीन या पट्टे पर लिए गए डार्क फाइबर युग्मों का केबल लैंडिंग स्टेशन से अपने केबल लैंडिंग स्टेशन पॉइंट ऑफ प्रेजेन्स तक सबमरीन केबल से विस्तार कर सकेगा और केबल लैंडिंग स्टेशन पॉइंट-ऑफ-प्रेजेस पर सबमरीन लाइन टर्मिनेटिंग उपकरण स्थापित कर सकेगा;

- (ii) घरेलू सबमरीन केबल घरेलू यातायात के वहन के लिए भारतीय तटरेखा पर स्थित दो या अधिक नगरों को जोड़ेंगे, और ऐसी केबल की भौतिक सुरक्षा के लिए जहां तक अपेक्षित हो, घरेलू सबमरीन

केबल, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से भारत के राज्य क्षेत्रीय जल या भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे जा सकेगी;

- (iii) अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल दो भारतीय शहरों के बीच उपबंधित समर्पित फाइबर युग्मों पर घरेलू यातायात का वहन कर सकेगी;
- परंतु कि ऐसा घरेलू यातायात भारत के बाहर किसी अन्य देश के माध्यम से परगमित या मार्गित न किया जाता है;
- (iv) यदि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय केबल पृथक हैं, तो वे एक ही केबल लैंडिंग स्टेशन पर समाप्त हो सकेगी, प्रत्येक केबल में अपने स्वयं के लिए पृथक विद्युत आपूर्ति उपकरण और सबमरीन लाइन समापन उपकरण हो;
- (v) नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात के समापन उपकरणों का भौतिक पृथक्करण बनाए रखा जाए;
- (vi) अंतर्राष्ट्रीय पारगमन यातायात, जिसका भारत में दूरसंचार नेटवर्क पर समापन किया जाना अभिप्रेत न हो, स्थलीय और सबमरीन केबलों के माध्यम से अन्य सबमरीन केबलों या अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय केबलों में पारगमन करने की अनुमति होगी;

(ग) केबल लैंडिंग स्टेशन रखने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, भारत में अतिरिक्त सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए केंद्रीय सरकार से पृथक अनुमतियां और स्वीकृतियां प्राप्त करेगी;

(घ) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपने स्तर पर या सबमरीन केबल मरम्मत सेवा प्रदाता इकाईयों के साथ करार के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी, जिससे कि सबमरीन केबल में उत्पन्न किसी दोष का निवारण पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जा सके;

परंतु कि केंद्रीय सरकार, भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने वाली ऐसी सभी नई प्राधिकृत इकाईयों को कोई एक सहायता संघ गठित करने के लिए कोई अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगी, जिससे आवश्यक केबल मरम्मत सेवा दल सहित एक केबल मरम्मत पोत सदैव भारतीय राज्य क्षेत्रीय जल-सीमा के भीतर उपलब्ध रहे और ऐसा पोत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल की समयबद्ध मरम्मत हेतु उपलब्ध कराया जाए;

(ङ) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की अवधि के दौरान, अपने स्वयं के प्रबंधनों के माध्यम से या सबमरीन केबल प्रणालियों का प्रचालन करने वाली अन्य इकाईयों के साथ करार करके और केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति और स्वीकृति के साथ अपनी सबमरीन केबल प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय केबल प्रणाली में अतिरेक सुनिश्चित करेगी;-

(च) यदि नए प्राधिकृत इकाई के पास एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में अलग इंटरनेट सेवा प्राधिकार और लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार है, और घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करने का आशय रखती है, तो वह ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा शुरू करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार को उस प्राधिकार के विषय में घोषित करेगी, जिसके अधीन वह ऐसी सेवा प्रदान करेगी।

दृष्टांत: यदि क, राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार वाली नई प्राधिकृत इकाई, हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्राधिकार प्राप्त करती है, और घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करने का आशय रखती है, तो क हरियाणा और गुजरात सेवा क्षेत्रों में ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेवा की प्रारंभ से पूर्व केंद्रीय सरकार को घोषणा करेगी, चाहे क लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार या इंटरनेट सेवा प्राधिकार के अधीन घरेलू लीज्ड सर्किट सेवाएं प्रदान करेगा।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें नेटवर्क सेवा ऑपरेटर पर एक पर लागू होंगी, अर्थात्:

- (क) यह विदेशी वाहक के परस्पर जुड़े दूरसंचार नेटवर्क को या उनसे अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के यातायात को रूट करेगा;-
- (ख) वह ऐसे अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के पॉइन्ट ऑफ प्रेजेन्स के साथ सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क को जोड़ने से इनकार नहीं करेगा, जिसके पास अधिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या लाइसेंस है, जहां दोनों इकाइयों का पॉइन्ट ऑफ प्रेजेन्स एक ही स्टेशन पर स्थित है;-
- (ग) वह वाहक दूरसंचार यातायात के वहन के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार रखने वाला या अनुज्ञप्तिधारी नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अंतर्संबंध स्थापित करेगा तथा प्रदान कराएगा; और
- (घ) वह अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के उपबंध के लिए विदेशी वाहक के साथ अपने करार में यह उपबंध करेगा कि विदेशी वाहक भारत में उपयोक्ताओं का अधिग्रहण नहीं करेगा और भारत में किसी भी उपयोक्ता से या उसके लिए बिल जारी नहीं करेगा या राजस्व एकत्र नहीं करेगा;-

(4) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, किसी आभासी ऑपरेटर पर निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें लागू होंगी, अर्थात्:

- (क) वह नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से संविदा करेगा, जिससे उसके दूरसंचार नेटवर्क को उसके मूल नेटवर्क सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ा जा सके, और ऐसी संविदा या उसमें किए गए किन्हीं उपांतरों का विवरण, यथास्थिति पोर्टल पर विनिर्दिष्ट सात दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगा;
- (ख) वह अपने दूरसंचार नेटवर्क को केवल अपने मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर के साथ ही जोड़ेगा, और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के साथ कोई भी अंतर्संबंध केवल इसके मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा; और
- (ग) वह अपने उपयोक्ताओं को घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान कर सकेगा-
 - (i) अपने दूरसंचार उपकरण को अपने मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़कर; या
 - (ii) अपने मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके।

80. सुरक्षा संबंधी शर्तें- (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलिंग लाइन पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और वह किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास कोई प्राधिकार है, या विदेशी वाहकों से प्राप्त कॉलिंग लाइन पहचान को यथावत पारगमन किया गया है:

परंतु कि अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने वाली नई प्राधिकृत इकाई अपने गेटवे पर ऐसी सभी अंतर्राष्ट्रीय आगत कॉलों को निरस्त करेगी, जो बिना कॉलिंग लाइन पहचान, अनुचित कॉलिंग लाइन पहचान या कूटित कॉलिंग लाइन पहचान हो और अनुचित कॉलिंग लाइन पहचान की पहचान करने के प्रयोजन से आईटीयू-टी की ई.164 संख्या योजना संबंधी का अनुपालन किया जाएगा:

परंतु यह भी कि कूटित अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की रोकथाम के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं प्रदान करने वाली नई प्राधिकृत इकाई, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय आउटरोमर और केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय आउटरोमर प्रणाली या ऐसी अन्य प्रणाली जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जाए, को कार्यान्वित करेगी;

परंतु यह भी कि नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉले, नई प्राधिकृत इकाई द्वारा राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क या अभिगम सेवाओं के दूरसंचार नेटवर्क को सुपुर्द की जाती है कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम संख्या 7 के

मामले में "नेचर ऑफ एट्रेस इंडिकेटर (एनएआई)" क्षेत्र में या इंटरनेट प्रोटोकॉल सिग्नलिंग के अंतर्गत समतुल्य क्षेत्र में "अंतर्राष्ट्रीय नंबर" सत्र आरंभ प्रोटोकॉल का उल्लेख धरण करेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (1) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करेगी कि विदेशी वाहकों के साथ किसी भी करार में उप-नियम (1) के अनुपालन न किए जाने की दशा में विदेशी वाहक को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक उपबंध हो।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपने व्यय पर, पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति और वातानुकूलन सहित विनिर्दिष्ट स्थान उपलब्ध कराएगी, जो भौतिक रूप से सुरक्षित होगा और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थान पर केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कार्मिकों के लिए सुलभ होगा।

(4) प्राधिकृत अभिकरण, नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय गेटवे सहित दूरसंचार नेटवर्क के प्रासंगिक दूरसंचार उपकरणों में संदेशों की निगरानी कर सकेंगे और ऐसी नई प्राधिकृत इकाई, उन अभिकरणों द्वारा समकालिक कॉलों की निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।

अध्याय IX

विविध

81. उल्लंघन - (1) इन नियमों के अधीन किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा निबंधनों और शर्तों का कोई उल्लंघन, अधिनियम की धारा 32 में निर्दिष्ट उल्लंघन माना जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त सिफारिशों पर समुचित विचार करने के पश्चात् और नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकार के निलंबन, निरसन या परिसीमन का आदेश जारी कर सकेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा; और नई अधिकृत इकाई पोर्टल पर ऐसे परिसीमन, निलंबन या निरसन के आदेश प्रकाशित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर की उसकी सार्वजनिक सूचना देगी:

परंतु कि प्राधिकार का निलंबन, प्राधिकार की अवधि के विस्तार का कोई कारण या आधार नहीं होगा।

(4) नई अधिकृत इकाई, उप-नियम (3) के अधीन आदेश के प्रकाशित होने पर, अपनी मुख्य टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के हर उपयोक्ता को, अपने प्राधिकार में परिसीमन, निलंबन या निरसन के संबंध में और ऐसे उपयोक्ता के लिए उपलब्ध विकल्पों जिसमें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी है, के बारे में कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना देगी।

(5) नई अधिकृत इकाई उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक, मुख्य टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की गुणवत्ता बनाए रखेगी।

82. डिजिटल कार्यान्वयन- केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकेगी, जिसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्ररूप, रीति, आदेश, निदेश या दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए पोर्टल भी सम्मिलित है।

अनुसूची क

प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में सेवा क्षेत्र, प्रसंस्करण शुल्क, प्रवेश शुल्क और प्रारंभिक गारंटी [नियम 6(2)(क), नियम 7(2)(क)(i), नियम 15(1), नियम 23(3)(ख), नियम 23(4)(ख), नियम 23(5)(ख) और नियम 25(3) देखें]

क्र. सं.	प्रमुख दूरसंचार सेवा की श्रेणी	सेवा प्राधिकार	सेवा क्षेत्र	प्रति प्राधिकार प्रसंस्करण शुल्क (रु. में)	प्रति प्राधिकार प्रवेश शुल्क (रु. में)	प्रति प्राधिकार प्रारंभिक गारंटी (रु. में)
1	प्रमुख दूरसंचार सेवा (नेटवर्क सेवा ऑपरेटर)	एकीकृत सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	1 लाख	12 करोड़	44 करोड़
2		एक्सेस सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	10,000	50 लाख (पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 25 लाख)	2 करोड़
3		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10,000	10 लाख	4 लाख
4		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	10,000	50,000 (पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 25,000)	20,000
5		लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10,000	1 करोड़	1 करोड़
6	प्रमुख दूरसंचार सेवा (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर)	एकीकृत सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	1 लाख	3 करोड़	4.4 करोड़
7		एक्सेस सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	10,000	12.5 लाख (पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 6.25 लाख)	20 लाख
8		वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	10,000	50,000 (पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 25,000)	10,000

क्र. सं.	प्रमुख दूरसंचार सेवा की श्रेणी	सेवा प्राधिकार	सेवा क्षेत्र	प्रति प्राधिकार प्रसंस्करण शुल्क (रु. में)	प्रति प्राधिकार प्रवेश शुल्क (रु. में)	प्रति प्राधिकार प्रारंभिक गारंटी (रु. में)
9		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10,000	10 लाख	1 लाख
10		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	10,000	50,000 (पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 25,000)	10,000
11		लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10,000	25 लाख	50 लाख

अनुसूची ख सेवा क्षेत्र

[नियम 2(1)(ननन), नियम 4(ख), नियम 4(ग), नियम 4(घ) और नियम 57(4)(ग) देखें]

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	कवर किया गया क्षेत्र
1	पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र और पश्चिम बंगाल राज्य और सिक्किम राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का वह भाग, जो कोलकाता सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से भिन्न है।
2	आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र	आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
3	असम सेवा क्षेत्र	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
4	बिहार सेवा क्षेत्र	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
5	गुजरात सेवा क्षेत्र	गुजरात राज्य तथा दमण और दीव, सिलवासा (दादरा और नागर हवेली) के संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
6	हरियाणा सेवा क्षेत्र	पंचकुला शहर और फरीदाबाद तथा गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले स्थानीय क्षेत्रों से भिन्न हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
7	हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
8	जम्मू - कश्मीर सेवा क्षेत्र	जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
9	कर्नाटक सेवा क्षेत्र	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	कवर किया गया क्षेत्र
10	केरल सेवा क्षेत्र	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप और मिनिक्कोय के संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
11	मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
12	महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र	मुंबई सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
13	पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	ओडिशा सेवा क्षेत्र	ओडिशा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	पंजाब सेवा क्षेत्र	पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तथा हरियाणा के पंचकुला शहर के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	राजस्थान सेवा क्षेत्र	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
17	तमिलनाडु सेवा क्षेत्र	तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र, जिसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा में सीमावर्ती निम्नलिखित जनपद होंगे: पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज (कांशीराम नगर), एटा, मैनपुरी, इटावा और औरैया। इसमें गाजियाबाद और नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र इसके अंतर्गत आने वाला नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें उत्तराखंड राज्य भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा।
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र, जिसकी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा में निम्नलिखित जनपद से लगती है: शाहजहांपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, कानपुर देहात और जालौन (ओराई)।
20	दिल्ली सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किए गए स्थानीय क्षेत्र।
21	कोलकाता सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किए गए स्थानीय क्षेत्र।
22	मुंबई सेवा क्षेत्र	मुंबई, नई मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किए गए स्थानीय क्षेत्र।

अनुसूची ग

प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्येक प्राधिकार के संबंध में सेवा क्षेत्र, न्यूनतम इक्विटी और न्यूनतम नेट वर्थ

[नियम 5(1)(क)(i) और नियम 5(1)(क)(ii) देखें]

क्र. सं.	सेवा की श्रेणी	सेवा प्राधिकार	सेवा क्षेत्र	प्रति प्राधिकार न्यूनतम इक्विटी (रु. में)	प्रति प्राधिकार न्यूनतम नेट वर्थ मूल्य (रु. में)
1	प्रमुख दूरसंचार सेवा (नेटवर्क सेवा ऑपरेटर)	एकीकृत सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	25 करोड़	25 करोड़
2		एक्सेस सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	2.5 करोड़	2.5 करोड़
3		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10 लाख	शून्य
4		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	1 लाख	शून्य
5		लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	2.5 करोड़	2.5 करोड़
6	प्रमुख दूरसंचार सेवा (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर)	एकीकृत सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10 करोड़	10 करोड़
7		एक्सेस सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	1 करोड़	1 करोड़
8		वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	1 लाख	शून्य
9		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	10 लाख	शून्य
10		इंटरनेट सेवा प्राधिकार	दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र	1 लाख	शून्य
11		लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार	राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र	1 करोड़	1 करोड़

[फा. सं. 24-07/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

G.S.R. 513(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 606(E), dated the 5th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 6th September, 2025;

And whereas, the said period was extended till the 21st October, 2025, and comments and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 56 read with clause (a) of sub-section (1) and sub-section (6) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “access services” means the telecommunication services provided by a new authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network, and the expression “wireline access services” and “wireless access services” shall be construed accordingly;
- (b) “access service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) and (2) of rule 69;
- (c) “access spectrum” means the spectrum used to provide access services from base station to user terminal;
- (d) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (e) “authorisation fee”, in relation to an authorisation, means the fee payable by a new authorised entity at the rates and intervals specified under applicable rules for such authorisation;
- (f) “authorised agency” shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024;
- (g) “base station” means the radio equipment used to establish one or several cells of a public land mobile network to enable telecommunication between the core telecommunication network and user terminals;
- (h) “bearer service”, in relation to a telecommunication service for which authorisation has been obtained, means the transmission or reception of messages between network interfaces for provision of such telecommunication service, and the expression “bearer telecommunication traffic” shall be construed accordingly;
- (i) “cable landing station” means the station located in India where some or all optical fibres comprising a terrestrial cable that connects to a telecommunication network outside the territory of India or a submarine cable are terminated, and the station where remaining optical fibres of such cables are terminated is known as cable landing station point-of-presence;
- (j) “calling line identification” means—
 - (i) the telecommunication identifier assigned to a calling user by the new authorised entity or licensee providing telecommunication service to such user;
 - (ii) the name of the user as recorded in the subscriber data record; or

- (iii) such other identification as may be specified on the portal;
- (k) “captive non-public network” means a wireless terrestrial telecommunication network established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity for—
 - (i) its captive use; or
 - (ii) captive use of its user as a standalone telecommunication network or as part of a public land mobile network;
- (l) “cell”, in relation to a telecommunication network, means a geographical area within which a radio equipment transmits messages to or receives messages from a user terminal;
- (m) “cell broadcast” means the method of simultaneously sending messages to multiple users within a geographical area that may range from a single cell of a base station to the entire telecommunication network, and the expression “cell broadcast services” shall be construed accordingly;
- (n) “Central Government Department” means a Ministry, Department, Secretariat or office specified in First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and includes an attached office or subordinate office thereof;
- (o) “company” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that the expression “company” does not include a “One Person Company” as defined in the said Act;

- (p) “control”, in relation to a new authorised entity or licensee, shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (q) “co-operative society” means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State;
- (r) “core telecommunication network”, in relation to a telecommunication network, means a system or series of systems of telecommunication equipment that routes and manages flow of messages among different parts of such telecommunication network and performs a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of its application programme interfaces;
- (s) “customer application form”, in relation to a user, means such form to be provided by a new authorised entity or licensee for furnishing information, accompanied by supporting documents, required to enable a person to enrol as user, update such information or disconnect the telecommunication services provided to him;
- (t) “designated agency” means any person designated as such by the Central Government for the purposes of the rule under which he is designated;
- (u) “domestic leased circuit” means a leased circuit that connects two or more locations within the national service area;
- (v) “domestic traffic” means messages, including messages in the signalling plane and the user plane of the telecommunication network, which originate and terminate within the national service area;
- (w) “earth station in motion” means a user terminal to avail of fixed satellite service, which is affixed to a vehicle on land, air or water and remains connected with a satellite while such vehicle is in motion or at rest;
- (x) “effective date”, in relation to an authorisation, means the date specified as such in such authorisation;
- (y) “entry fee”, in relation to an authorisation to provide telecommunication services, means the non-refundable amount of fee to be paid by the applicant for such authorisation;
- (z) “exclusive economic zone” means the area referred to as such in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976);
- (aa) “fixed satellite service” means a telecommunication service for transmitting and receiving messages between a satellite or constellation of satellites and an earth station in motion or a very small aperture terminal;
- (ab) “foreign carrier” means a person who provides a telecommunication service outside India for provision of international long distance services;

- (ac) “foreign direct investment” shall have the same meaning as assigned to it in the rules made in respect of non-debt instruments under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (ad) “home network”, in relation to a telecommunication network for which a new authorised entity has obtained authorisation, means the telecommunication network established by such new authorised entity in the authorised service area;
- (ae) “Indian insurance company” shall have the same meaning as assigned to it in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (af) “interconnection” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) in respect of inter-connection between service providers;
- (ag) “international long distance network” means a telecommunication network that interconnects with the telecommunication network of a foreign carrier;
- (ah) “international long distance services” means the telecommunication services referred to as such in clause (b) of sub-rule (1) and clause (b) of sub-rule (2) of rule 78;
- (ai) “international private leased circuit” means a leased circuit that connects one or more locations in the national service area with one or more locations outside such area;
- (aj) “international traffic” means messages that originate in the territory of one country and terminate in the territory of another, where one of the countries is India;
- (ak) “internet” is a global system that—
 - (i) is logically linked together by a globally unique address, based on internet protocol or its subsequent enhancements or upgradations; and
 - (ii) is able to support communications using the transmission control protocol or internet protocol suite or its subsequent enhancements or upgradations, and all other protocols compatible with internet protocol;
- (al) “internet exchange point” means a telecommunication network on which two or more telecommunication networks carrying internet traffic connect to exchange such traffic;
- (am) “internet leased line” means a leased circuit with dedicated capacity that connects an internet node of a new authorised entity with a user terminal for provision of internet services;
- (an) “internet services” means the telecommunication services to access the internet;
- (ao) “internet service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) and (2) of rule 74;
- (ap) “internet telephony” means transfer of voice messages using internet, and the expressions “internet telephony network” and “internet telephony service” shall be construed accordingly;
- (aq) “leased circuit” means a private dedicated telecommunication circuit that connects two or more locations using physical connections, transmission bandwidth, circuit switched technology, packet switched technology or any combination thereof;
- (ar) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 7;
- (as) “license” means a license, registration or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), and the expression “licensee” shall be construed accordingly;
- (at) “limited liability partnership” shall have the same meaning as assigned to it in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);
- (au) “long distance call” means a call that terminates in an area other than the local area in which it originates;
- (av) “long distance services” means national long distance services and international long distance services;
- (aw) “long distance service authorisation” means the authorisation to provide long distance services;
- (ax) “Mobile Number Portability” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made in this regard under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (ay) “national long distance network” means a telecommunication network that carries bearer telecommunication traffic, within the boundaries of the national service area;

- (az) “national long distance services” means the telecommunication services referred to as such in clause (a) of sub-rule (1) and clause (a) of sub-rule (2) of rule 78;
- (aaa) “national service area” means a service area, which refers to the territory of India, territorial waters of India and the continental shelf and exclusive economic zone of India, in accordance with section 55 of the Act;
- (aab) “network service operator” means a person who has obtained authorisation as referred to in sub-rule (1) of rule 9;
- (aac) “net worth” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (aad) “new authorised entity”, means an authorised entity that has—
- (i) obtained an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act; or
 - (ii) migrated to the terms and conditions of an authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act;
- (aae) “network service operator licensee” means a licensee who holds any of the following licenses and has not migrated to the terms and conditions of the relevant authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act, namely:—
- (i) Unified License; or
 - (ii) Unified Access Service License; or
 - (iii) license for provision of internet services; or
 - (iv) license for national long distance services; or
 - (v) license for international long distance services.
- Explanation.**—The licenses specified in this clause shall respectively mean the license referred to as such in the license agreement for the same between the Central Government and the licensee;
- (aaf) “overlapping license or authorisation” means the license or authorisation held by an applicant, the scope and service area of which would be covered in its entirety within the scope and service area of the authorisation in respect of which an application is submitted under rule 6;
- (aag) “parent network service operator”, in relation to a virtual network operator, means the network service operator or network service operator licensee with whom such virtual network operator has entered into a contract for provision of those telecommunication services for which that virtual network operator has obtained authorisation;
- (aah) “partnership” shall have the same meaning as assigned to it in the Partnership Act, 1932 (9 of 1932), and the expression “partnership firm” shall be construed accordingly;
- (aai) “passive telecommunication infrastructure” means those elements of the telecommunication network that support the functioning of active elements of such telecommunication network, such as dark fibre, electrical equipment including battery and power plant, duct space, heating ventilation and air conditioning, pole, renewable energy systems and tower;
- (aaaj) “peering” means the commercial and technical arrangements under which two or more new authorised entities or licensees or both connect their respective telecommunication network to exchange internet traffic, directly or through an internet exchange point;
- (aak) “pending dues” means unpaid amounts against any claim arising on account of any license, authorisation or assignment, irrespective of its termination, revocation, surrender or the expiry of its duration, which are due and payable.
- Explanation.**—For the purpose of this clause, the expression “claim” shall have the same meaning as assigned to it in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
- (aal) “point of interconnection” shall have the same meaning as assigned to in the regulations governing interconnection under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (aam) “point-of-presence”, in relation to a new authorised entity, means a system of telecommunication equipment of appropriate capacity established by such new authorised entity to provide telecommunication services for which it is authorised;

- (aan) “portal” means portal as referred to in rule 82;
- (aao) “principal telecommunication services” means the telecommunication services specified within the scope of each authorisation as specified in rule 4;
- (aap) “public financial institution” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (aaq) “public land mobile network” means public telecommunication network established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity for provision of access services;
- (aar) “public switched telephone network” means a switched telecommunication network established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity for provision of access services to users, who are using fixed user terminals;
- (aas) “relative”, in relation to an individual, means the husband, wife, brother or sister, or any lineal ascendant or descendant of such individual;
- (aat) “roaming”, in relation to a user who has subscribed to telecommunication services of a new authorised entity having authorisation to provide such services, means the ability to avail of such services in a network other than the home network;
- (aau) “satellite earth station gateway” means a ground-based system or series of systems of telecommunication equipment that acts as an interface between a terrestrial network and a satellite or constellation of satellites, and the expression “satellite earth station gateway provider” shall be construed accordingly;
- (aav) “satellite network” means a telecommunication network comprising a satellite or constellation of satellites, its satellite earth station gateways and user terminals;
- (aaw) “Schedule” means a schedule annexed to these rules;
- (aax) “scheduled commercial bank” refers to a bank categorised as such by the Reserve Bank of India;
- (aay) “scope”, in relation to an authorisation, means the telecommunication services for which such authorisation is granted;
- (aaz) “service area” means the geographical area in respect of which authorisation for provision of telecommunication services is granted, which may be national service area or telecom circle or metro service area;
- (aaaa) “subscriber identity module” means a module, by whatever name called, available in any form factor, used to securely store a unique telecommunication identifier assigned to a user by the new authorised entity and the related authentication keys to uniquely identify and authenticate such user on the telecommunication network, and includes a pluggable subscriber identity module, embedded subscriber identity module (e-SIM), integrated subscriber identity module (iSIM), virtual subscriber identity module or any other equivalent subscriber identity module;
- (aaab) “society” means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (aaac) “State Government Department” means a Ministry, Department, Secretariat or office—
(i) specified in the rules made by the Governor under clause (3) of article 166 of the Constitution, for the allocation of the business of the Government of the State; and
(ii) a Department of a Union territory Government,
and includes an attached office or subordinate office thereof;
- (aaad) “subscriber data record”, in relation to a new authorised entity, means a comprehensive repository of user information furnished under sub-rule (7) of rule 35, sub-rule (4) of rule 40 and sub-rule (2) of rule 41;
- (aaae) “tariff” shall have the same meaning as assigned to it in the orders issued under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (aaaf) “telecom circle or metro service area” means the service areas listed in Schedule B;
- (aaag) “terrestrial network” means a telecommunication network comprising land-based telecommunication

equipment or infrastructure and user terminals, and the expressions “wireless terrestrial networks” and “wireline terrestrial networks” shall be construed accordingly;

- (aaah) “trust” means a trust established under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882) or under any other law for the time being in force;
- (aaai) “unified service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) and (2) of rule 65;
- (aaaj) “user terminal”, in relation to a telecommunication service, means a type of telecommunication equipment used or intended to be used by a user to avail of such telecommunication service;
- (aaak) “virtual network operator” means a person who has obtained authorisation as referred to in sub-rule (2) of rule 9;
- (aaal) “virtual network operator licensee” means a licensee who holds a Unified License (VNO) and has not migrated to the terms and conditions of the relevant authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act.
- Explanation.*—For the purpose of this clause, the expression “Unified License (VNO)” means a license referred to as such in the license agreement for the same;
- (aaam) “very small aperture terminal” means a user terminal to avail of fixed satellite service, installed at a particular location and connected with satellite, to access telecommunication service;
- (aaan) “voucher” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (aaao) “wireline access service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) of rule 70; and
- (aaap) “year” means a continuous period of twelve months commencing from the effective date.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—(1) These rules provide for the terms and conditions of authorisation, which shall apply to the following, namely:—

- (a) authorisation for providing principal telecommunication services under sub-section (1) of section 3 of the Act; and
- (b) the relevant authorisation to the terms and conditions of which a new authorised entity has migrated to under sub-section (6) of section 3 of the Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and the rules and regulations made thereunder shall continue to apply in respect of a new authorised entity.

CHAPTER II

PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES AND GRANT OF AUTHORISATION

4. Authorisation for principal telecommunication services.—Any person may apply to the Central Government under rule 6 to obtain authorisation, as network service operator or virtual network operator or both, to provide one or more telecommunication services that are within the scope and service area of any authorisation specified below:

- (a) unified service authorisation for national service area;
- (b) access service authorisation for one or more service areas listed in Schedule B;
- (c) wireline access service authorisation for one or more service areas listed in Schedule B;
- (d) internet service authorisation for national service area or one or more service areas listed in Schedule B; and
- (e) long distance service authorisation for national service area:

Provided that application to obtain wireline access service authorisation may be made only by a person intending to provide such telecommunication service as virtual network operator.

5. Eligibility.—A person specified in clause (a), who also fulfils the conditions in clauses (b), (c) and (d), shall be eligible to apply for authorisation under rule 6, namely:—

- (a) it is a company—
 - (i) whose minimum paid-up equity capital is as specified in Schedule C;
 - (ii) whose minimum net worth is as specified in Schedule C;
 - (iii) in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law; and
 - (iv) the general character of whose management is sound in terms of its track record in providing telecommunication services or in establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks in a responsible manner.
- (b) if it possesses one or more authorisations or licenses, or applies for one or more new authorisations, it shall fulfil the following conditions, namely:—
 - (i) it has minimum paid-up equity capital equal to the sum of the minimum paid-up equity capital requirement for each such authorisation or license; and
 - (ii) it has minimum net worth equal to the sum of the minimum net worth required for each such authorisation or license.
- (c) it meets the requirements under rule 12.
- (d) it has no pending dues:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary in public interest so to do, exempt or relax any condition under this rule.

6. Application for authorisation.—(1) A person intending to obtain an authorisation under these rules shall submit an application on the portal, in such form and manner and accompanied by such documents as specified therein.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

- (a) a non-refundable processing fee as specified in Schedule A; and
- (b) a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying that it meets the eligibility criteria under rule 5.

(3) If the applicant holds any overlapping license or authorisation, it shall relinquish such existing overlapping license or authorisation as required under these rules.

(4) If the pending dues referred to in clause (d) of rule 5 are subject to ongoing legal proceedings in which there is a judicial order injunctioning payment of such dues, the applicant shall—

- (a) comply with the conditions that may have been imposed in such order; and
- (b) submit an undertaking to make payments, subject to the outcome of such proceedings,

and submit with its application a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying compliance with this sub-rule.

(5) Any application made for grant of a license or letter of intent for grant of a license that may have been issued under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), prior to the date of commencement of these rules, shall lapse if the license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) pursuant to such application or letter of intent had not been issued prior to the date of commencement of these rules.

(6) An applicant to whom a letter of intent issued under sub-rule (5) has lapsed may make an application under sub-rule (1) for grant of authorisation:

Provided that any non-refundable processing fee or entry fee paid or bank guarantee furnished pursuant to such letter of intent may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of any processing fee or entry fee or submission of guarantee required under these rules, as the case may be, while paying or submitting fee or guarantee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid or submitted previously.

7. Grant of authorisation.—(1) On receipt of application under rule 6, the Central Government may, make such inquiry as it deems fit regarding the eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for.

(2) The Central Government may,—

- (a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including—
 - (i) payment of entry fee and submission of an unconditional and irrevocable guarantee for such authorisation of an amount as specified in Schedule A or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, as the case may be; and
 - (ii) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the portal, relinquishing the overlapping license or authorisation, if any, from the effective date of authorisation; or
- (b) reject the application.

(3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central Government may grant authorisation through the portal while specifying, among other things,—

- (a) its scope;
- (b) the service area and the duration for which the authorisation is granted; and
- (c) the effective date of such authorisation.

(4) Each authorisation granted under these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations for same principal telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of new authorised entities.

(5) A new authorised entity that has been granted authorisation under these rules may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions for such assignment under such law.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under these rules shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity.

8. Overlapping license or authorisation.—(1) A new authorised entity shall not be permitted to hold any overlapping license or authorisation:

Provided that such new authorised entity may hold one authorisation as a network service operator and one authorisation as virtual network operator for any type of principal telecommunication service in the same service area.

(2) The relinquishment of an overlapping license or authorisation, if any, shall be without prejudice to any rights and liabilities arising from such license or authorisation, as the case may be, and in particular, shall not affect the following, namely:—

- (a) rollout obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such overlapping license or authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the relinquishment, as the case may be; and
- (b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to such overlapping license or authorisation, shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless the Central Government determines otherwise in public interest.

Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions—

1. “resource” means—

- (a) the telecommunication identifiers already allocated; or
- (b) spectrum assigned to the new authorised entity; or
- (c) certificate of compliance held by the new authorised entity in respect of the overlapping license or authorisation.

2. “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of rollout obligations, clearances, approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the new authorised entity, and other permissions including for remote access and gateways permissions.

CHAPTER III
GENERAL CONDITIONS

9. Network service operator and virtual network operator.—(1) Every new authorised entity who obtains an authorisation under rule 7 as a network service operator, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network for the following, namely:—

- (a) to provide principal telecommunication services; and
- (b) to connect its core telecommunication network with telecommunication network of a virtual network operator or virtual network operator licensee under a contract.

(2) Every new authorised entity who obtains an authorisation under rule 7 as a virtual network operator, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network, other than such system or series of systems of telecommunication equipment which are used to establish interconnection or peering with the telecommunication network of other network service operators or network service operator licensees and shall enter into a contract with one or more parent network service operators to provide principal telecommunication services:

Provided that,—

- (a) the area in which the virtual network operator may provide such principal telecommunication services shall be such area for which both it and its parent network service operator have authorisation;
- (b) such contract shall contain provisions for automatic renewal of the contract on expiry of its term, unless either party gives at least thirty days prior notice of its intention to not renew the same, and for each party to the contract to forthwith intimate the other on—
 - (i) becoming aware of an order of suspension, revocation or curtailment of its authorisation and any reinstatement of the same;
 - (ii) submission of an application for surrender of its authorisation, and on receipt of any communication of the Central Government regarding acceptance or rejection of such application; or
 - (iii) becoming aware of any material change in respect of its authorisation; and
- (c) in case of wireless access services, there shall be only one parent network service operator with whom such contract is entered into.

(3) Every virtual network operator which becomes aware of any order of suspension, revocation or curtailment of its authorisation or submits an application for surrender of the same shall—

- (a) give every user of its principal telecommunication services, the option of migrating to a tariff plan of his choice from among such plans offered by its parent network service operator, without any charge for such migration or activation of such services; and
- (b) make appropriate provision for effecting such migration in the contract entered into by it with its parent network service operator:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply in respect of a wireless access service, other than machine-to-machine service.

10. Duration of authorisation.—The duration of each authorisation granted under rule 7 shall be such as is specified under the said rule, subject to a maximum of twenty years and the provisions of rules 16, 17 and 81.

11. Continued adherence to eligibility conditions.—Every new authorised entity shall, throughout the duration of authorisation, adhere to the conditions under rule 5 except the conditions in sub-clause (ii) of clause (a) and sub-clause (ii) of clause (b) thereof.

12. Limitations on cross holdings.—(1) Every new authorised entity that has access spectrum assigned to it or holds authorisation to provide a principal telecommunication service or establish, operate, maintain or expand a telecommunication network for such telecommunication service or telecommunication network or class thereof as may be specified on the portal, shall—

- (a) not have any beneficial interest in another new authorised entity or a licensee that has access spectrum assigned to it or holding authorisation or license to provide such telecommunication service or establish, operate, maintain or expand such telecommunication network in the same service area; and
- (b) ensure that none of its material shareholders hold such beneficial interest:

Provided that the limitation under this rule shall not be applicable in relation to—

- (i) a virtual network operator and its parent network service operator; and
- (ii) virtual network operators that have the same parent network service operator; and
- (iii) a new authorised entity that has access spectrum assigned to it and another new authorised entity or a licensee that holds authorisation or license to provide telecommunication services using satellite network, subject to the condition that such other new authorised entity or licensee does not have any assignment of access spectrum.

(2) Every new authorised entity that holds unified service authorisation, access service authorisation, wireline access service authorisation or long distance service authorisation shall—

- (a) not hold any beneficial interest in another new authorised entity or a licensee that holds an authorisation or license to provide mobile number portability service; and
- (b) ensure that none of its material shareholders holds such beneficial interest.

(3) For the purposes of this rule, the expressions—

- (a) “beneficial interest”, in relation to a new authorised entity, means, directly or indirectly, holding any shares by such new authorised entity in another new authorised entity or a licensee, or having control or right to exercise, or actually exercising control, by that new authorised entity over the affairs of such other new authorised entity or licensee, and the expression “beneficial interest” in relation to a material shareholder of such new authorised entity shall be construed accordingly;
- (b) “material shareholder”, in relation to a new authorised entity, means a person, other than the Central Government and a financial institution as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), who controls such new authorised entity or holds equity therein to the extent of ten per cent. or more.

13. Reporting and disclosure.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) submit the following to the Central Government every year, on such date and accompanied by a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form and manner as specified on the portal, certifying—
 - (i) the details of its Indian and foreign equity, both direct and indirect;
 - (ii) the details of persons having control over it; and
 - (iii) compliance with rules 11 and 12:

Provided that the Central Government may exempt new authorised entities that have turnover not exceeding such amount as may be specified on the portal from the requirement to make such submission.

Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), direct and indirect foreign equity shall be determined in accordance with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment;

- (b) report any change in respect of the following to the Central Government on the portal, namely:—
 - (i) change in its shareholders resulting from an acquisition, which shall be reported within fifteen days from the date of such change:

Provided that in relation to a new authorised entity that is listed on the stock exchange, only such change in shareholdings as is required to be disclosed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the bye-laws or listing conditions of the stock exchange concerned, is required to be reported under this sub-clause;

- (ii) change in the name under which it has been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by certified copy of the certificate of such registration, which shall be reported within thirty days from the date of issue of such certificate; and
- (iii) change in its details, including in respect of foreign equity, control, address and contact details, and any other material change in the details submitted previously, which shall be reported within fifteen days of such change; and

- (c) furnish to the Central Government such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as the Central Government may require such new authorised entity to furnish, which shall be furnished within such period as may be specified by the Central Government.

(2) Every new authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the designated agency, in such form and manner as specified on the portal, the details of the nodal person of such new authorised entity, based in India, who shall be responsible for providing any report or information or extending support as required under these rules.

(3) If there is admission of an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a new authorised entity under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, such new authorised entity shall—

- (a) within forty-eight hours of such admission, inform the Central Government in this regard in writing; and
- (b) forthwith furnish to the Central Government, a copy of the order of the National Company Law Tribunal admitting such application.

14. Transfer.—(1) An authorisation may be assigned or transferred only with previous approval of the Central Government in writing, pursuant to—

- (a) a merger, demerger, acquisition or other form of restructuring under applicable law; or
- (b) exercise of security interest by a lender to the new authorised entity that holds such authorisation under the provisions of section 45 of the Act.

(2) Save as provided under sub-rule (1), a new authorised entity shall not—

- (a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation granted to it; or
- (b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer; or
- (c) create any interest in such authorisation in favour of a third party, except as provided under section 45 of the Act.

Explanation.—For the purposes of this rule, appointment of a point of sale by a new authorised entity shall not be construed as assignment or transfer of, or creation of interest in, authorisation granted to such new authorised entity.

15. Renewal.—(1) Every new authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner as specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, accompanied by processing fee as specified in Schedule A.

(2) On receipt of a written request from a new authorised entity, the Central Government may permit an application after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as may be specified by the Central Government in response to such request.

(3) The Central Government may, in its discretion, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the authorisation for such period as decided by the Central Government, subject to a maximum of twenty years.

(4) Every renewal of authorisation under sub-rule (3) shall be subject to the applicable law at the time of such renewal.

(5) If the authorisation is not renewed, the new authorised entity shall give every user of its principal telecommunication services at least thirty days prior notice of expiry of its authorisation and of the options available to such users, including mobile number portability.

(6) Every new authorised entity shall maintain the quality of principal telecommunication service and telecommunication network till expiry of its authorisation.

16. Revocation of authorisation.—(1) The Central Government may, without prejudice to any action that may be taken under section 21 of the Act, by order, revoke an authorisation of a new authorised entity in the following circumstances, namely:—

- (a) if, at any stage it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by such new authorised entity with or during the processing of an application for authorisation were false;
- (b) if, a new authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up;
- (c) if, the Telecom Regulatory Authority of India, in accordance with the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), recommends revocation of authorisation.

(2) Prior to issuing any order under sub-rule (1) on occurrence of events specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (1), the Central Government shall give an opportunity of being heard to the new authorised entity referred to in sub-rule (1).

(3) Every order under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such order of revocation within forty-eight hours of it being published on the portal, and shall adhere to sub-rules (4) and (5) of rule 81.

17. Surrender of authorisation.—(1) A new authorised entity seeking to surrender an authorisation, shall submit an application in such form and manner as specified on the portal, accompanied by an undertaking, and other information as may be specified on the portal.

(2) The Central Government may, approve or reject an application submitted under sub-rule (1), and if approved, the details relating to the authorisation that is surrendered shall be published on the portal.

(3) The new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall, within forty-eight hours of such details being published on the portal—

(a) give public notice of such surrender;

(b) give every user of its principal telecommunication services notice of—

(i) the effective date of surrender, which shall be thirty-first day from the date of such notice to the user; and

(ii) the options available to such users, including mobile number portability; and

(c) communicate to the Central Government the effective date of such surrender as communicated to users under clause (b).

(4) Every new authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and principal telecommunication services till the effective date referred to in clause (b) of sub-rule (3).

(5) Every new authorised entity shall pay all amounts due and payable to the Central Government till the effective date of surrender referred to in clause (b) of sub-rule (3), including in respect of authorisation fee.

(6) Every new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under such authorisation.

18. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation or license.—(1) On revocation, surrender or expiry of the authorisation held by a new authorised entity—

(a) the spectrum assigned in respect of such authorisation, if any, shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry; and

(b) such entity shall manage its radio equipment in accordance with applicable law.

(2) A new authorised entity that has provided telecommunication resources to or has an agreement for interconnection or peering with any other new authorised entity or licensee, and if the authorisation or license of such other entity or licensee is subsequently revoked, or has been surrendered or expired, the new authorised entity that has provided the resource or entered into an agreement, shall withdraw its telecommunication resources, or disconnect such interconnection or peering, as the case may be, on the effective date of the revocation, surrender or expiry of authorisation or license of the other entity or licensee.

19. Consequence of migration.—(1) If a new authorised entity submits an application for migration under the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026, the relinquishment of any overlapping authorisation of such new authorised entity shall become effective on the effective date of such migration.

(2) The relinquishment of the overlapping authorisation shall be without prejudice to rights and liabilities arising from such overlapping authorisation, which shall remain applicable in accordance with the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026.

20. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, require a new authorised entity to furnish such information as it may call for.

21. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such period and subject to such terms and conditions as it may decide.

22. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall also constitute the terms and conditions applicable to every new authorised entity.

CHAPTER IV

FINANCIAL CONDITIONS

23. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Chapter the expressions—

- (a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to such new authorised entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not limited to, interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses;
- (b) “applicable gross revenue” means the revenue which shall be equal to gross revenue of the new authorised entity as reduced by the items listed below,—
 - (i) revenue from operations other than telecommunication activities or operations;
 - (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of Information and Broadcasting;
 - (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
 - (iv) revenue falling under the following items, namely:—
 - (A) income from dividend;
 - (B) income from interest;
 - (C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
 - (D) gains from foreign exchange rates fluctuations;
 - (E) income from property rent;
 - (F) insurance claims;
 - (G) bad debts recovered; and
 - (H) excess provisions written back:

Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

- (c) “adjusted gross revenue”,—
 - (i) in relation to a network service operator, shall be calculated by excluding the following from the applicable gross revenue, namely:—
 - (a) interconnection usage charges, related to calls and short message service, paid to other new authorised entities or licensees.
 - (b) roaming revenues paid to other new authorised entities or licensees within India and telecommunication service providers outside India; and
 - (ii) in relation to a virtual network operator, shall be calculated by excluding from the applicable gross revenue the charges paid by the virtual network operator to its one or more parent network service operator under a contract for such bandwidth, leased circuits, call minutes and short message services, as may be necessary for provision of principal telecommunication services to users of virtual network operator, subject to submission of a copy of such contract specifying such charges, accompanied by a document evidencing payment of such charges, to the Central Government;

- (d) “interconnection usage charges” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made or directions issued under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (e) “presumptive adjusted gross revenue” means an amount that is equal to five per cent. of sum of the amount payable by the new authorised entity for right to use of access spectrum and in case such new authorised entity acquires the right to use of access spectrum at different times, the presumptive adjusted gross revenue shall be five per cent. of the cumulative sum of all such amounts payable by that new authorised entity for right to use of access spectrum;
- (f) “spectrum charges linked to adjusted gross revenue”, in relation to authorisation, means the charges or fees in respect of assignment of spectrum, calculated as a percentage of adjusted gross revenue at such rate specified under the applicable law.

(2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for each authorisation, from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent. of the adjusted gross revenue subject to the amounts specified in sub-rules (3) to (7), as applicable.

(3) From the second year of the effective date of the authorisation and for each subsequent year, the authorisation fee shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A.

(4) In the event of renewal of an authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A.

(5) In the event of migration of license to the terms and conditions of relevant authorisation, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
- (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A:

Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve months from the effective date of the license.

(6) If a new authorised entity has the right to use access spectrum pursuant to assignment under the applicable law,—

- (a) the authorisation fee from the effective date of the authorisation shall be the higher of—
 - (i) eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue; or
 - (ii) eight per cent. of the adjusted gross revenue;
- (b) the authorisation fee from the second year of the effective date of the authorisation shall be higher of—
 - (i) eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue; or
 - (ii) the amount specified under sub-rule (3):

Provided that if the authorisation fee is based on eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue, it shall be calculated from the date of acquiring the right to use of access spectrum or the effective date of the authorisation, whichever is later.

(7) In the event of renewal of an authorisation or migration to the terms and conditions of authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal or migration in respect of a new authorised entity that has the right to use access spectrum pursuant to assignment under the applicable law shall be higher of—

- (a) eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue; or
- (b) the amount specified under sub-rules (4) or (5), as the case may be:

Provided that if the authorisation fee is based on eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue, it shall be calculated from the date of acquiring the right to use of access spectrum or the effective date of the renewal or migration, whichever is later.

(8) The authorisation fee under sub-rules (2) to (7) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi, which shall be equal to five-eighths of such authorisation fee.

(9) The rate of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi, as specified in sub rules (2) to (8), may be varied at any time within the duration of the authorisation.

(10) If a network service operator acquires the right to use of spectrum under the applicable law, in addition to the authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, if any, shall be payable in accordance with rule 24.

(11) A virtual network operator shall pay the spectrum charges linked to adjusted gross revenue in accordance with rule 24 at the rates applicable for its parent network service operator.

24. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue determined under these rules shall be payable by every new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue in the following manner, namely:—

- (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue paid for the previous quarter:

Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney.

(4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year—

- (a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
- (b) make the final adjustment of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other dues payable by a new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier:

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue and the reconciliation statement shall be prepared in accordance with such norms or orders or directions as may be specified on the portal.

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal.

25. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee, in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:—

- (a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year from the date of its issuance;
- (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or
- (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government.

(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders or directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A or for an amount referred to in sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of—

- (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A; or
- (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:—
 - (i) authorisation fee payable for two quarters;
 - (ii) spectrum charges linked to adjusted gross revenue payable for two quarters; and
 - (iii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) Every new authorised entity shall extend the validity period of the guarantee submitted under this rule by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:

Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:—

- (a) non-payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:

Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.

(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.

26. Assessment of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, in accordance with the procedure as specified on the portal in this behalf.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and re-computation.

(2) Every new authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from applicable gross revenue to arrive at adjusted gross revenue in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(3) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each such authorisation.

(4) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds—

- (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of revenue or any other purpose;
- (b) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees or with telecommunication service providers outside India for international roaming are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
- (c) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other new authorised entities or licensees or telecommunication service providers outside India, including in respect of interconnection usage charges, charges for usage of network and facilities and charges for domestic and international roaming as well as details of the actual settlements.

(5) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing records and other accounting records relating to the provision of principal telecommunication services under the authorisation, for each financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts:

Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided further that if the authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other dues for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.

(6) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.

(7) The Central Government may, at any time, subject the records of any new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, and any other charges.

(8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of an authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or misleading, or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges as decided by the Central Government, which shall be payable by that new authorised entity.

(9) If any new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rules (4) and (6) of rule 24 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue, on best judgement basis:

Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(10) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (11).

(11) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.

(12) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (10) and sub-rule (11), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-rule (10) and sub-rule (11), assessment of authorisation fee or of spectrum charges linked to adjusted gross revenue may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(14) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, issue directions to new authorised entity, in respect of any principal telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions.

27. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amount payable by a new authorised entity to the Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation of the guarantee.

(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity of such set-off.

28. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

CHAPTER V

TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

29. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity having an authorisation under these rules, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clauses (b) or (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act:

Provided that in respect of assignment and use of spectrum, sub-rule (5) of rule 7 shall apply.

(2) Every new authorised entity may establish, operate, maintain or expand the telecommunication network using any technology for providing principal telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act and rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication identifier and telecommunication network used, and such principal telecommunication services provided are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures that the Central Government may notify under section 19 of the Act:

Provided that the Central Government or the designated agency may carry out performance tests on such telecommunication network, telecommunication equipment or principal telecommunication services to ascertain conformity with applicable standards and conformity assessment measures:

Provided further that the new authorised entity shall supply such tools, test instruments and other accessories and extend such necessary support as the Central Government or the designated agency may specify, for conducting tests on the telecommunication network and of the principal telecommunication services, at any time throughout the duration of the authorisation.

(3) Every new authorised entity shall synchronise its telecommunication network's system clock with the national clock, in accordance with the orders, directions and guidelines issued by the Central Government, and in accordance with such standards for telecommunication network synchronisation as may be notified by the Central Government.

(4) Every new authorised entity shall furnish details of principal telecommunication services being provided and the telecommunication network being used to provide such principal telecommunication services, including the details of technology deployed by it, to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.

(5) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way, for establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment,

operation, maintenance, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that such new authorised entity may take telecommunication network, passive telecommunication infrastructure or telecommunication resources as a service or on lease or hire or on sharing basis, as per applicable rules, on mutually agreed terms from other new authorised entities or licensees.

(6) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the rollout obligations or non-compliance with any other obligations under these rules.

(7) If a new authorised entity requires right of way for establishing, operating, maintaining or expanding its telecommunication network, it shall not, directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of such right of way with the person having the right to grant that right of way.

(8) Every new authorised entity shall adhere to any plans for telecommunication as may be notified by the Central Government, including the national numbering plan and the National Frequency Allocation Plan.

(9) The telecommunication network taken by a new authorised entity—

- (a) as a service from any other new authorised entity or licensee;
- (b) on lease or hire from any other new authorised entity, licensee or an entity that has the satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose; or
- (c) on sharing basis from any other new authorised entity or licensee, as per the applicable rules,

shall be treated as part of the telecommunication network of such new authorised entity for the purposes of provision of principal telecommunication services and compliance of the terms and conditions of the authorisation.

(10) Every new authorised entity, while establishing, operating, maintaining or expanding public land mobile network, shall adhere to the electromagnetic field exposure norms notified by the Central Government for this purpose and shall conduct self-assessment of each base station for checking compliance with such norms, and provide self-certification of such compliance on the portal.

(11) Every new authorised entity shall publish on its website the geographical area wise details of availability of the principal telecommunication services in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(12) Every new authorised entity shall not interconnect leased circuits with public switched telephone network, public land mobile network or internet telephony network.

(13) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines issued by the Central Government in respect of the following, namely:—

- (a) deployment of energy efficient telecommunication equipment;
- (b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment;
- (c) enrolment of test users and testing of its telecommunication network, before commercial launch of principal telecommunication services; and
- (d) disposal of the radio equipment.

30. Location of telecommunication network systems.—(1) Every new authorised entity shall provide location details of all such systems of its telecommunication network to the Central Government as it may direct.

(2) Every new authorised entity shall, prior to establishment or expansion of telecommunication network in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, apply to the Central Government on the portal, for its approval.

(3) Every new authorised entity shall ensure that—

- (a) all systems of its telecommunication network,—
 - (i) owned, or taken as a service from another new authorised entity or licensee; or
 - (ii) on lease, hire or sharing basis from another new authorised entity or licensee;

are located within its service areas of authorisations for provision of principal telecommunication services:

Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted telecommunication network provider or satellite earth station gateway provider authorised under applicable law, the systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and

- (b) all data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India.

(4) Every new authorised entity shall adhere to maps provided by the Survey of India for precise delineation of service area of authorisation along international borders, if any.

31. Sharing of telecommunication network and infrastructure.—(1) A new authorised entity having different authorisations, may share its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network for providing principal telecommunication services permitted under the scope of its authorisations, subject to compliance with the conditions specified under these rules.

(2) The new authorised entity as referred under sub-rule (1), may enter into mutual agreements with any other new authorised entity or licensee for sharing its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network:

Provided that—

- (i) any such mutual agreement to share core telecommunication network, lawful interception system and lawful interception monitoring facilities shall be subject to the conditions specified in sub-rules (3) and (4) respectively;
- (ii) such new authorised entity shall, prior to entering into such agreement, ensure that the new authorised entity or licensee with which it intends to enter into the agreement is eligible to obtain such passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its telecommunication network; and
- (iii) any such mutual agreement shall not absolve either of the new authorised entities or licensees from adhering to the terms and conditions of their respective authorisations.

(3) A new authorised entity may share its core telecommunication network elements pertaining to such principal telecommunication services, as may be specified on the portal, with other new authorised entities or licensees with the prior approval of the Central Government in writing obtained by such new authorised entity pursuant to an application made, in such form and manner as specified on the portal:

Provided that the Central Government may grant such approval subject to such conditions as may be specified, among other things, that such approval shall not result in less than two core telecommunication networks for the principal telecommunication service in a given service area:

Provided further that for sharing of the core telecommunication network elements pertaining to any other principal telecommunication service, not specified in sub-rule (3), prior approval from the Central Government shall not be required.

(4) A new authorised entity may share its lawful interception system and lawful interception monitoring facilities with other new authorised entities or licensees only after prior approval of the Central Government in writing.

32. Telecommunication network interconnection and peering among network service operators.—(1) Every network service operator may interconnect or peer its telecommunication network with the telecommunication network of any other network service operator or network service operator licensee subject to sub-rules (2), (3) and (4).

(2) The network service operator while undertaking interconnection or peering with the telecommunication network of any other network service operator or network service operator licensee shall ensure—

- (a) that the transmission systems for interconnection or peering meet the requirements under section 19 of the Act in respect of standards and interface requirements;
- (b) that interconnection and peering, as required, is established on Internet Protocol interface for carrying Internet Protocol-based traffic, as per the standards, including those notified under section 19 of the Act:

Provided that the network service operator shall convert circuit switched traffic to Internet Protocol-based traffic before sending circuit switched traffic to the telecommunication networks of another network service operator or network service operator licensee;

- (c) establishment and maintenance of one or more points of interconnection and peering of sufficient capacity as are reasonably required for transmission and reception of messages in conformity with the standards and conformity assessment measures as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act; and

(d) that interconnection and peering is technically compatible and effective.

(3) The network service operator shall provide and update the details of interconnection and peering undertaken with any other network service operator or network service operator licensee to the Central Government on the portal.

(4) The network service operator that has an agreement for interconnection or peering with other network service operator or network service operator licensee, whose authorisation or license, is the subject of revocation, surrender or expiry, shall disconnect any interconnection or peering, and where it has provided any telecommunication resource, withdraw such telecommunication resources on the effective date of revocation, surrender or expiry.

33. Monitoring and suspension of principal telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms at its own cost for the application of provisions of sub-section (2) of section 20 of the Act:

Provided that in case of a service area comprising of more than one State or Union territory, the new authorised entity shall ensure such measures enable compliance with sub-section (2) of section 20 of the Act for each relevant State and Union territory separately.

(2) Nothing contained in these rules shall adversely affect anything provided or laid pursuant to the Act or any other applicable law.

(3) Every new authorised entity having authorisation to provide access services, internet services, international long distance services, or permission to establish international internet gateway, international long distance gateway or satellite earth station gateway shall, in accordance with the orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in this behalf, and at its own cost—

(a) establish, operate, maintain and expand suitable lawful interception system and lawful interception monitoring facilities in relation to interception of messages or class of messages; and

(b) wherever required, provide integration of the same with such systems and in such manner as the Central Government may specify.

Provided further that the Central Government may, on case-to-case basis, on a written request from a new authorised entity, exempt such entity from the requirement of this sub-rule where—

(i) number of users of that entity are less than such number, as may be specified by the Central Government; or

(ii) the upstream bandwidth on an internet gateway node has been obtained by that new authorised entity from only one new authorised entity or licensee.

(4) Every new authorised entity having authorisation to provide access services or international long distance services, or permission to establish international long distance gateway shall ensure uninterrupted monitoring of such number of simultaneous calls and provision for monitoring of such minimum number of telecommunication identifiers, as specified in the orders, directions or guidelines issued by the Central Government in this regard.

34. Commencement of provision of principal telecommunication services to users.—(1) Every new authorised entity shall, after providing prior intimation to the Central Government on the portal, commence provision of any principal telecommunication service permitted under the scope of its authorisation.

(2) The new authorised entity that has provided intimation under sub-rule (1) shall demonstrate to the Central Government at such time as it may require, including furnishing of such information as it may call for, that principal telecommunication services are being provided in accordance with the scope of its authorisation.

(3) The new authorised entity shall—

(a) before commencement of provision of any principal telecommunication service to users, conduct self-audit of systems and facilities established under rule 33, as per the test schedule and test procedure as may be specified by the Central Government through orders, directions or guidelines, and provide a certification of compliance to the Central Government along with the proposed date of commencement of provision of principal telecommunication service to users;

(b) within fifteen days from the date of commencement of provision of principal telecommunication service to users,—

(i) inform to the Central Government the date of commencement of provision of principal telecommunication service to users; and

(ii) offer for demonstration as per the test schedule and test procedure used for undertaking self-audit under clause (a) to the Central Government and the authorised agency;

- (c) on receiving a communication from the Central Government that it has failed to demonstrate compliance with rule 33 pursuant to tests under clause (b), forthwith suspend provision of such principal telecommunication service till such time as the deficiencies are rectified and demonstrated in compliance with the test schedule and test procedure referred to in clause (a); and
- (d) after successful demonstration under clauses (b) or (c), if the Central Government specifies additional functional requirements for such lawful interception system and lawful interception monitoring facilities, the new authorised entity shall update such systems and facilities in the time period so specified and offer for demonstration to the Central Government and the authorised agency:

Provided that before commencement of provision of principal telecommunication services through international internet gateway, international long distance gateway or satellite earth station gateway, the new authorised entity shall demonstrate lawful interception system and lawful interception monitoring facilities as per test schedule and test procedure referred to in clause (a).

35. Provision of principal telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) prior to commencement of provision of principal telecommunication services to users, inform and publicise the details of the process and procedure on its website as per which any user may register a demand or make a request for such telecommunication services;
- (b) without any discrimination register the demand for principal telecommunication services referred in clause (a), from any user in the service area and where technically feasible, provide such telecommunication services to such user, unless otherwise directed by the Central Government;
- (c) not discriminate between users registered for its principal telecommunication services under clause (b) with regard to commercial principles for provision of such telecommunication services;
- (d) maintain a transparent and open to inspection waiting list of users, whose request for provision of principal telecommunication services is pending;
- (e) define the scope of each principal telecommunication service to user, at the time of registration of demand and enrolment of user;
- (f) ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of its authorisation;
- (g) issue or cause to be issued in its own name, bills, invoices or vouchers, by whatever name called, to its users for use of the principal telecommunication services with adequate details to the users about the genuineness of such bills, invoices or vouchers.
- (h) maintain necessary records of the itemised usage in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government;
- (i) offer itemised usage details, as maintained in clause (h), to its users;
- (j) inform to users in writing, all the policies and arrangements with respect to repair, fault rectification, compensation or refunds; and
- (k) ensure quality of service of principal telecommunication service in conformity with the standards and conformity assessment measures as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act.

(2) The Central Government may specify on the portal the restrictions on provision or use of principal telecommunication services in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India or any other areas as may be specified on the portal:

Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow provision or use of such telecommunication services to specified users and the new authorised entity shall facilitate the same based on directions issued by the Central Government in this behalf.

- (3) The new authorised entity may undertake sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and users shall be given the option to procure the user terminal from open market.
- (4) The new authorised entity may, for the last mile connectivity, in addition to its telecommunication network, use the cable network of a cable operator registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995).
- (5) Save as provided in sub-rule (7) and rules 16, 17 and 81, the new authorised entity shall ensure continuity of the principal telecommunication services to its users.
- (6) If the new authorised entity seeks to discontinue provision of one or more, but not all principal telecommunication services to its users, the following provisions shall apply, namely:—

- (a) such new authorised entity shall submit an application to the Central Government on the portal, at least sixty days prior to the intended date of discontinuation of provision of such principal telecommunication service, accompanied by the reasons for such intended discontinuation;
- (b) the Central Government may approve such application or reject that application on grounds of public interest, national security or due to occurrence of national emergency or war;
- (c) such new authorised entity shall pursuant to an approval under clause (b) issue a notice of discontinuation of provision of that principal telecommunication service to users of such telecommunication service, at least thirty days in advance of the intended date of discontinuation, stating the effective date of discontinuation and options available to such users, including mobile number portability, wherever applicable; and
- (d) such new authorised entity shall refund to the user the balance amount including security deposit, if any, available with that new authorised entity within a period of thirty days from the effective date of discontinuation of provision of such principal telecommunication service:

Provided that sub-rule (7) shall not be applicable for any discontinuation of principal telecommunication services pursuant to revocation or suspension of such telecommunication services by the Central Government under the Act or rules 16, 17 and 81.

(7) If the new authorised entity receives a request from a user for disconnection of subscribed principal telecommunication services, it shall undertake the disconnection subject to the identification of such user in accordance with the process specified in sub-rules (2) or (3) of rule 40, as the case may be, and update such disconnection, in real time, in the relevant databases, including in the subscriber data record.

(8) Every new authorised entity shall establish and publicise necessary mechanisms including an online mechanism to enable users to register any grievance pertaining to subscribed principal telecommunication service and to redress such grievance, in accordance with the applicable law.

(9) Any dispute with regard to the provision of principal telecommunication services shall only be between a user and the new authorised entity and such new authorised entity shall duly inform the same to the user before provision of such telecommunication services, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.

(10) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages arising from any claims from users for any reason whatsoever.

(11) Every new authorised entity shall while providing any telecommunication resource to another new authorised entity, the entity exempted from the requirement of authorisation under the applicable law or licensee satisfy itself that such entity is eligible to obtain such telecommunication resource.

(12) Every new authorised entity shall while obtaining any telecommunication resource from another new authorised entity, the entity exempted from the requirement of authorisation under the applicable law or licensee, satisfy itself that such new authorised entity is eligible to provide such telecommunication resource.

36. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a notice to the new authorised entity in this regard,—

- (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established for provision of principal telecommunication services, including within a user's premises;
- (b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules:

Provided that no notice shall be provided to such new authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest:

Provided further that the Central Government may appoint a designated agency to audit processes or systems established by that new authorised entity for compliance of these rules, on such charges as decided by the Central Government, which shall be payable by that new authorised entity:

Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user:

Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final.

(2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

37. Confidentiality of information.—(1) The Central Government may evaluate any telecommunication equipment used for encryption, connected to a new authorised entity's telecommunication network and such new authorised entity shall remove any such equipment if so directed by the Central Government.

(2) Every new authorised entity shall, subject to the terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business, to whom it provides the principal telecommunication services or from whom it has obtained such information for provision of telecommunication service and shall endeavour to ensure that—

- (a) no such new authorised entity or any person acting on its behalf seeks such information other than what is necessary, for the purpose of provision of principal telecommunication services or checking the *bona fide* use of such telecommunication services by the user;
- (b) no such new authorised entity or any person acting on its behalf divulges or uses any such information except as may be necessary in the course of providing telecommunication services to the user:

Provided that sub-rule (2) shall not apply where—

- (i) the information relates to a specific user and such user has consented in writing to such information being divulged or used, and such information is divulged or used in accordance with the terms of such consent; or
- (ii) the information is already accessible to the public and otherwise known.

(3) Every new authorised entity shall prior to commencement of provision of principal telecommunication services, confirm in writing to the Central Government that it has taken all necessary steps to ensure compliance with all applicable laws to protect data privacy and confidentiality of any information of a user, including such compliance by its employees and consultants.

(4) Notwithstanding anything stated in sub-rule (2), the new authorised entity shall, on receiving a direction from the Central Government in the public interest for the purpose of ensuring telecom cybersecurity, enable the Central Government to access and utilise the data as it may require for the performance of any function in accordance with the applicable law.

(5) Every new authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any other person except with the prior approval of the Central Government in writing:

Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication network as may be required by its telecommunication equipment suppliers or manufacturers.

38. Services during public emergency, and for public safety and disaster management.—(1) Every new authorised entity shall for the purposes of disaster management, ensuring public safety or providing response to an emergency or a disaster as defined under the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), adhere to such directions or guidelines issued by the Central Government in this regard.

(2) Every new authorised entity that holds access service authorisation shall—

- (a) facilitate dissemination of alert messages through short message service, cell broadcast or any other means as may be directed by Central Government, State Government or any officer authorised in this behalf by the Central Government or State Government; and
- (b) implement roaming in accordance with the guidelines or directions issued by the Central Government or the designated agency.

CHAPTER VI

SECURITY CONDITIONS

PART A

GENERAL SECURITY CONDITIONS

39. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:—

- (a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens;
- (b) the chief officer in charge of telecommunication network, security, officers in charge of core telecommunication network and system administrators of such new authorised entity shall be resident Indian citizens; and
- (c) the nodal officers authorised by such new authorised entity under the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, and designated by such new authorised entity

under the Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024, as well as any other nodal officer of that new authorised entity dealing with the subject matter of these rules, shall be resident Indian citizens.

(2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign nationals by the Ministry of Home Affairs in the Government of India—

- (a) prior to the appointment of such foreign national to the positions of the chairman, managing director, chief executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the duration of such appointment; and
- (b) prior to the deployment of such foreign national for the establishment, operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.

(3) Every new authorised entity shall apply for security vetting provided in sub-rule (2) in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in the Government of India in this regard shall be binding on such new authorised entity.

40. Enrolment of users, activation of principal telecommunication services and updating of user information.—

(1) Every new authorised entity shall ensure identification of each user of its principal telecommunication services in accordance with applicable law.

(2) In respect of principal telecommunication services notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, the relevant new authorised entity shall undertake identification of a user, in accordance with the applicable law,—

- (a) prior to enrolment and activation of principal telecommunication services of such user,
- (b) at the time of updating of user information, and
- (c) at the time of disconnection of principal telecommunication services on request of such user.

(3) In respect of principal telecommunication services other than those notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, the relevant new authorised entity shall, subject to such orders or directions or guidelines issued by the Central Government, undertake identification of the user through any method as the new authorised entity may deem fit,—

- (a) prior to enrolment and activation of principal telecommunication services of such user;
- (b) at the time of updating of user information in the following circumstances, namely:—
 - (i) if he seeks to change his name, gender or date of birth;
 - (ii) if there is change of user under sub-rule (7); and
- (c) if the Central Government, with a view to ensure proper and *bona fide* use of telecommunication service requires the same through orders, directions or guidelines specified on the portal.

(4) Every new authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information of such user in its databases, including customer application form and subscriber data record for each principal telecommunication service, and maintain an updated database of its users in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(5) Every new authorised entity shall ensure that—

- (a) the user information collected by point of sale shall be securely transferred to the relevant systems of the authorised entity, and no such information shall be stored in physical or electronic form by the point of sale; and
- (b) the subscriber data record and other databases are operated and maintained in compliance with the laws for the time being in force, including laws relating to data protection and security.

(6) Every new authorised entity shall, prior to activation of principal telecommunication service in respect of a user, adhere to such orders or directions or guidelines as may be specified on the portal.

(7) Any change in the user of a principal telecommunication services other than those notified under sub-section (7) of section 3 of the Act (hereinafter referred to as “existing user”) may be done only to the relatives or legal heirs of such user (hereinafter referred to as “new user”), on a request made by the existing user or new user, subject to the following, namely:—

- (a) the provision of such principal telecommunication service to the new user being treated as a new telecommunication service connection; and
- (b) fulfilment of the following conditions, namely:—

- (i) submission of a no objection certificate from the existing user and identification of both users, i.e. the existing user and the new user, in accordance with sub-rule (3):

Provided that in case the existing user is unable to fulfil any requirement under this clause due to incapacity, in lieu of such requirement, a medical certificate shall be submitted to evidence such incapacity;

- (ii) in case the existing user is deceased, submission of his death certificate and identification of the new user in accordance with sub-rule (3); and
- (iii) such other conditions as may be specified on the portal.

(8) Every new authorised entity shall provide access to the database maintained under sub-rule (4), and to the traceable identity of the user to the Central Government, the authorised agency, or the designated agency:

Provided that in case of providing roaming services to foreign users, such new authorised entity shall endeavour to obtain traceable identity of such users from the relevant telecommunication service provider outside India, as a part of its roaming agreement.

41. Additional obligations of authorised entities.—(1) Every new authorised entity shall explain to users, in a clear and explicit manner, their duties and obligations to provide correct information when establishing their identity, while enrolling for principal telecommunication services, updating user information or disconnecting principal telecommunication services, and the consequences for non-compliance, including in respect of—

- (a) obtaining subscriber identity modules or other telecommunication identifiers through fraud, cheating or personation;
- (b) providing false, incorrect, or forged information or documents, suppressing any material information, or impersonation, while establishing his or her identity; and
- (c) resale or transfer or lease of his telecommunication service connection to any other user:

Provided that this clause shall not restrict the change of user under sub-rule (7) of rule 40, sub-rule (6) of rule 42 or as provided under the applicable law.

(2) Every new authorised entity shall also explain to users, in a clear and explicit manner their obligations to—

- (a) ensure *bona fide* use of principal telecommunication services, and consequences of misuse of such telecommunication services as per applicable laws;
- (b) forthwith provide information to the new authorised entity of any change in the address of such user, accompanied by a document evidencing the new address; and
- (c) forthwith provide information to the new authorised entity of any change to his user information, to ensure the accuracy and integrity of information in such new authorised entity's databases, including in the subscriber data record:

Provided that the new authorised entity shall duly update information provided by the user under clauses (b) and (c) in the subscriber data record, while maintaining the old and new information along with time stamp.

(3) If it comes to the notice of the new authorised entity that false, incorrect or forged information or documents were presented or used, or any material information was suppressed or impersonation was done for identification, enrolment, disconnection or updating of user information of the user, such new authorised entity shall—

- (a) initiate a complaint with the police or file a first information report with the relevant law enforcement agency with the requisite details, including the details of the false, incorrect or forged information or documents, or material information suppressed or impersonation done; and
- (b) inform to the Central Government on the portal, the steps taken pursuant to clause (a).

(4) If it comes to the notice of the Central Government that the new authorised entity has failed to take any action as specified in sub-rule (3), the Central Government may direct such new authorised entity to initiate a complaint with the police or file a first information report with the relevant law enforcement agency and initiate action against that new authorised entity under Chapter VIII of the Act.

42. Additional conditions for enrolment and activation of principal telecommunication services for business users.—(1) For the purposes of this rule,—

- (a) “business connection” means one or more telecommunication service connections or subscriber identity modules of such principal telecommunication services, as may be specified on the portal, provided to a business user for its *bona-fide* use.

- (b) “business user” means a user who—
- (i) is a legal person constituted under applicable law, and includes a company, partnership firm, limited liability partnership, trust, co-operative society, society, Central Government Department and State Government Department; or
 - (ii) possesses a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under applicable law;
- (c) “end user” of a business connection means the individual who uses, for the purposes permitted by the relevant business user, the subscriber identity module provided to such business user.

(2) Every new authorised entity, in addition to the obligations under rules 40 and 41, shall ensure compliance with the following, namely:—

- (a) undertake due diligence and record in writing the reasons provided by the business user for seeking a business connection and details of end users of such business connection, if any;
- (b) prior to provision of any business connection,—
 - (i) verify such details and collect such documents as may be specified on the portal, in addition to those required pursuant to rule 40;
 - (ii) conduct inspections of the premises where such business user and business connection is located;
 - (iii) undertake identification of the authorised representative of the business user, and of each end user, if any, in accordance with the sub-rules (2) or (3) of rule 40, as the case may be; and
 - (iv) communicate to the business user that the business connection being provided shall be subject to such business user ensuring proper and *bona fide* use of the telecommunication service connection or subscriber identity module by each user;
- (c) on activation of a business connection,—
 - (i) conduct inspections, at least once in every period of six-months and in the presence of authorised representative of business user, of the premises where such business connection is located, to verify the *bona fide* use of the business connections, and maintain and preserve for a minimum period of two years, the record of such inspection, for verification by the Central Government or the designated agency; and
 - (ii) maintain an updated database of business users in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and provide access to such database to the Central Government, the authorised agency and the designated agency.
- (d) If such business user ceased to exist, disconnect each of the business connections of such user and update the same in the relevant database in accordance with the applicable rules, as well as such orders, directions or guidelines as may be specified on the portal:

Provided that the Central Government may exempt new authorised entity from applicability of any of the provisions set forth in this sub-rule in respect of end user or a class of end users.

(3) If a business connection involves telecommunication service connections such as leased circuit, internet leased line, session initiation protocol trunks, primary rate interface lines or short message service gateway links at the premises of a business user, the new authorised entity shall, in addition to the provisions of sub-rule (2), also adhere to the following, namely:—

- (a) prior to activation of such connections, it shall undertake an assessment and record the details of all telecommunication service connections that are connected with public switched telephone network, national long distance network, international long distance network, public land mobile network, other internet leased lines, as well as other types of telecommunication service connections as may be available with such business user at its premises, accompanied by the reasons provided by the business user for such connections;
- (b) communicate and specify the activities that are prohibited for such business user, in the customer application form;
- (c) inspect the premises where the business connection is located, within fifteen days of activation to check misuse or connection of internet leased line with such telecommunication service connections; and
- (d) ensure that a diagram of the telecommunication network along with details of telecommunication links at the premises of each business user is available with such new authorised entity, and provide the same for inspection as may be required by the Central Government or the designated agency.

(4) If the new authorised entity detects misuse of any business connection during physical inspection or otherwise, it shall forthwith disconnect such business connection, and initiate appropriate proceedings under applicable law against such business user, and shall communicate to the Central Government in writing of action taken in this regard within twenty-four hours of detection of such misuse.

(5) The Central Government may, on receiving the communication under sub-rule (4),—

- (a) share the information regarding the misuse of business connection by the business user, with other new authorised entities or licensees; and
- (b) direct withdrawal of all or some of the business connections issued to such business user.

(6) The following conditions shall apply in respect of any change in end user of a business connection made by the authorised representative of the business user concerned, namely:—

- (a) the new authorised entity shall explain to such authorised representative his obligation to inform the new authorised entity of such change within such period as may be specified on the portal; and
- (b) the new authorised entity shall explain to such authorised representative, in a clear and explicit manner, his obligation to ensure that identification of the new end user is undertaken, in accordance with sub-rules (2) or (3) of rule 40, as the case may be, within fifteen days from the date of intimation of such change, failing which such new authorised entity shall disconnect the business connection:

Provided that nothing in this sub-rule shall apply in respect of end user or class of end users exempted under the proviso to sub-rule (2).

Explanation.—For the purposes of this rule, “authorised representative” in relation to a business user means—

1. the whole-time members of the governing body to which the management of affairs of such user is entrusted;
2. the chief executive of such user, who is entrusted with substantial powers of management in respect of the whole of the affairs of that user; and
3. any other individual specifically authorised by such governing body or chief executive, in this behalf.

43. Additional conditions for enrolment and activation of principal telecommunication services for natural persons.—(1) Every new authorised entity, individually and collectively with other new authorised entities or licensees, providing specified type of principal telecommunication services, shall not provide to a user who is a natural person a telecommunication service connection or subscriber identity module in excess of such number as may be specified by the Central Government by notification:

Provided that the Central Government may specify different numbers for different types of principal telecommunication services and service areas:

Provided further that the Central Government may specify on the portal a mechanism to verify and inspect the number of connections or subscriber identity modules provided to such user.

(2) Every new authorised entity shall, prior to providing any telecommunication service connection or subscriber identity module to the user, seek an undertaking that such user does not hold connections or subscriber identity modules in excess of such number as may be specified by the Central Government under sub-rule (1).

(3) Every new authorised entity shall, if an undertaking provided by the user in sub-rule (2) is incorrect or false, in addition to any other action, disconnect the principal telecommunication services.

(4) If a natural person seeks leased circuit, internet leased line, session initiation protocol trunks, primary rate interface lines or short message service gateway links, the provisions of sub-rules (2), (3), (4) and (5) of rule 42 shall apply *mutatis mutandis*.

44. Data to be located in India.—No new authorised entity shall transfer the following information to any person or place outside India, namely:—

- (a) accounting information relating to a user, except for international roaming and billing related information:

Provided that nothing in this rule shall restrict any financial disclosure as may be required under these rules or as under applicable law;

- (b) user information, except in respect of information pertaining to international private leased circuit users and foreign users using such new authorised entity’s telecommunication network while roaming.

45. Maintenance of records.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) ensure that all documentation, including software details of telecommunication equipment and systems are obtained from manufacturer, vendor or supplier of telecommunication equipment and systems in English

language and preserve such documentation;

- (b) maintain a record of all software updates and changes, and provide to the Central Government details of such category of software updates and changes within fifteen days of completion of such updates and changes as decided by the Central Government from time to time:

Provided that this clause is without prejudice to the obligations of a new authorised entity in respect of critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

- (c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the manufacturer, vendor or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of procurement and keep a record of the same;
- (d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual;
- (e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or designated agency—
- (i) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and
- (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty-four months.

(2) Every new authorised entity shall maintain all commercial records, subscriber data record, call data record or call detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar records for all principal telecommunication services provided by such new authorised entity in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government for a period of two years unless directed otherwise by the Central Government:

Provided that the Central Government may direct that new authorised entity to maintain the records specified in this sub-rule for a period longer than two years in respect of any user.

(3) Every new authorised entity shall provide the details of the records maintained under sub-rule (2) to the Central Government or the designated agency.

46. Domestic traffic not to be routed outside India.— Every new authorised entity shall ensure that domestic traffic, or any part thereof, is not hauled or routed through any place outside India:

Explanation.—For the purposes of this rule, it is clarified that usage of satellites and domestic submarine cables for transmitting and receiving domestic traffic without transiting through any country other than India, shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India.

47. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network are secure and protected.

(2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place:

Provided that nothing in this sub-rule shall prevent the new authorised entity from providing records of messages and other data from its telecommunication network to the Central Government or the authorised agency, on receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law.

(3) Without prejudice to the obligations under the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, every new authorised entity shall implement appropriate fraud management and prevention system using the latest available technologies, including big data analytics, artificial intelligence or other suitable mechanism, to detect any anomalous behaviour of user or point of sale, misuse of telecommunication services, establishment of any clandestine or illegal telecommunication networks, any threat to telecom cyber security and users that avail of principal telecommunication services fraudulently, and shall take action including filing of police complaints or first information reports against those found involved in such activities.

(4) Every new authorised entity shall also provide the details of all users and telecommunication identifiers detected through the fraud management and prevention system implemented under sub-rule (3) to the Central Government or designated agency on the portal.

(5) Every new authorised entity shall, on receiving a request from the Central Government or the designated agency, provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of any anomalous behaviour of user or point of sale, misuse of telecommunication services, establishment of any clandestine or illegal telecommunication network, any threat to telecom cyber security and users that avail of principal telecommunication services fraudulently.

48. Calling line identification.—(1) Every new authorised entity shall ensure presentation of calling line identification to a called user—

- (a) in a manner that is secured from tampering; and
- (b) in accordance with such requirements as may be specified on the portal.

(2) Every new authorised entity shall deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms, to identify call attempts with false, tampered or spoofed calling line identification in its telecommunication network and prevent call using such calling line identification.

49. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.— Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing principal telecommunication services for which it is authorised, to bona fide users and not for undertaking any activities or commissioning any action that constitutes an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

50. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements relating to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose.

(2) The designated authority may specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).

(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2).

(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment may be undertaken.

(5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain and expand only trusted products in its telecommunication network.

(6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment as may be required by such authority.

(7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process, namely:—

- (a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority,—
 - (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and
 - (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the locations of deployment of the same;
- (b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority the details of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
- (c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under clause (b) above, such new authorised entity shall proceed to procure and install the same; and
- (d) such new authorised entity shall adhere to such directions or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, issued by the Central Government or the designated authority.

(8) Every new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain and security-related information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, on receiving a request from the Central Government or the designated authority in this regard.

(9) Every new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein.

(10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new authorised entities.

51. Breach of security provisions.—(1) Any civil penalty imposed for breach of security provisions on a new authorised entity shall be without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law.

(2) The Central Government may blacklist such manufacturer, vendor or supplier from doing business in India who has supplied the telecommunication equipment, including hardware or software that has caused the breach of security provisions under these rules.

(3) Every new authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with manufactures, vendors or suppliers.

52. Prohibition of certain activities.—(1) A telecommunication network of a new authorised entity established under these rules shall not be used for transmission of—

(a) messages which are illegal or unauthorised as per applicable law, including rules made under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); or

(b) messages infringing copyright and intellectual property right in any form.

(2) Every new authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network, on receipt of such direction from the Central Government or an order of the court.

(3) Every new authorised entity shall facilitate without any delay, where so required by the Central Government or the designated agency, tracing of any messages including objectionable, obscene, unauthorised, nuisance, obnoxious or malicious calls or messages transmitted through its telecommunication network for purposes of investigation or for detection of crimes or in the interest of national security:

Provided that any damages arising on account of such new authorised entity's failure in this regard shall be payable by that new authorised entity.

(4) Every new authorised entity shall ensure that its employees, manufacturers, suppliers, vendors, consultants or any other relevant person that have access to the telecommunication network or any information relating to provision of principal telecommunication services maintain secrecy and confidentiality of any confidential information divulged to, or available with such new authorised entity for proper implementation of the authorisation.

(5) Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law.

53. Providing remote access to the telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall seek prior permission of the Central Government, to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India and for seeking such permission it shall provide the following details, namely:—

(a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and

(b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India.

(2) A new authorised entity may, pursuant to the permission obtained under sub-rule (1), provide remote access to its telecommunication network, subject to the following conditions, namely:—

(a) such new authorised entity shall provide remote access only through approved locations within India from approved locations outside India and shall be limited to the purpose as specified under such permission;

(b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to subscriber data record, lawful interception system and lawful interception monitoring facilities, call detail records, internet protocol detail records, call content of messages and any other such sensitive data as may be specified by the Central Government through orders, directions or guidelines that it may issue in this regard;

(c) such new authorised entity shall provide such suitable technical systems, as may be specified on the portal, at the approved location in India, that is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the designated agency to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government in this regard; and

(d) such new authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India and provide such information to the Central Government or the designated agency, in accordance with the directions or guidelines issued by the Central Government in this regard.

(3) This rule shall be without prejudice to the obligations of the new authorised entity with regard to critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

54. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) be responsible for security of its telecommunications network and undertake measures as may be required to ensure security of the telecommunication network;
- (b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity;
- (c) ensure capability to suspend provision of principal telecommunication services in such areas and subject to such accuracy as may be specified by the Central Government or the State Government in respect of the boundary of the area so specified;
- (d) ensure that all its manufacturers, vendors or suppliers adhere to such directions relating to security of the telecommunication network as may be issued by the Central Government, including providing access to such new authorised entity, the Central Government or the designated agency to inspect the hardware, software, design, development, manufacturing facility and supply chains of such manufacturers, vendors or suppliers, for the purpose of conducting security checks and risk assessments at any time; and
- (e) provide the geographical location of any user at a given point of time on receiving a request from the Central Government or the designated agency:

Provided that in case of terrestrial mobile services, along with the location details, latitude and longitude of base station shall also be provided.

(2) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules.

(3) This rule shall be without prejudice to any other measure that the Central Government may take in the interest of national security under section 21 of the Act.

PART B

SECURITY CONDITIONS IN RESPECT OF REGULATION OF POINT OF SALE

55. Applicability of Part B of Chapter VI.—This Part shall apply to such principal telecommunication services as may be specified on the portal.

56. Point of sale.—For the purpose of this Part,—

- (a) “point of sale” means a person providing point of sale services and who may be,—
 - (i) a new authorised entity or licensee; or
 - (ii) an agent, franchisee or distributor of a new authorised entity or licensee who shall be a company, a partnership firm, sole proprietorship or a person possessing a trade or business license, permit or registration, by whatever name called, to carry on a trade or business, issued under applicable law; or
 - (iii) any person employed or engaged in any manner by a person referred to in sub-clauses (i) and (ii).

Explanation.—If the point of sale is a person as specified under sub-clause (iii), such person shall be treated as a distinct point of sale;

- (b) “point of sale services” means the services relating to—
 - (i) identification of a user to avail of principal telecommunication services; or
 - (ii) enrolment of a user to avail of principal telecommunication services; or
 - (iii) updating of user information; or
 - (iv) distribution of subscriber identity module or user terminals; or
 - (v) recharge and other billing activities in respect of principal telecommunication services; or
 - (vi) disconnection of principal telecommunication services of a user.

57. Obligations of new authorised entity in respect of point of sale.—(1) Every new authorised entity shall register and enter into agreement with each point of sale, in accordance with this rule, for the provision of relevant point of sale services:

Provided that such new authorised entity shall be solely responsible to ensure compliance with the terms and conditions set forth under these rules, including adequate verification of user prior to enrolment of such user for principal telecommunication services.

(2) Every new authorised entity shall, prior to entering into an agreement with a point of sale,—

- (a) develop a mechanism for generation and sharing of unique point of sale identity's, including any such existing identity's, in real time, in a joint collaboration with other new authorised entities and licensees:

Provided that such mechanism shall ensure that each point of sale shall be assigned only one unique point of sale identity, which shall be common in respect of all new authorised entities and licensees who have entered into agreements with such point of sale;

(b) register the point of sale, in the following manner, namely:—

- (i) identify such point of sale using documents as may be specified on the portal;
- (ii) authenticate the identity of such point of sale using verifiable biometric based identification;
- (iii) undertake physical verification of the addresses of the residence, if applicable, and place of business declared by such point of sale, and as and when such information is updated by that point of sale, and record the location coordinates of such addresses, during such physical verification;
- (iv) assign a unique point of sale identity to such point of sale; and
- (v) if directed by the Central Government, undertake the process of police verification of such point of sale, in respect of such service area as may be specified by the Central Government in such direction.

(3) Every new authorised entity shall—

- (a) maintain the details of the point of sale and update the contact details or any other information of such point of sale, within seven days from any change in such details; and
- (b) share the database containing details as specified in clause (a) with the Central Government, the authorised agency or the designated agency on a real time basis.

(4) On completion of the steps specified under sub-rule (2), the new authorised entity shall enter into agreement with the point of sale, specifying the terms and conditions of point of sale services, including—

- (a) scope and duties of such point of sale;
- (b) the process of identification, enrolment, disconnection and updating of user information, including specification of equipment that may be used for this purpose, in conformity with the applicable rules as well as directions, procedures or instructions as may be specified on the portal;
- (c) area of operations of such point of sale, which shall be limited to the service area of authorisation of such new authorised entity:

Provided that if the service area of that new authorised entity is the national service area, the area of operation of that point of sale shall be limited to a specific geographical area, corresponding to the telecom circle or metro service area, as specified in Schedule B:

Provided further that if services are being offered to a business user, that point of sale shall be of the service area where such business user has its registered office or corporate office, and the area of operation of such point of sale that is offering the service to the registered or corporate office of such business user shall extend to other geographical areas where such business user may require or utilise the services;

- (d) inter-se relationship of such point of sale with another point of sale, if any;
- (e) prohibition of any transfer or assignment of such agreement;
- (f) prohibition of any delegation of duties and obligations of such agreement;
- (g) consequences for violation of any term or condition of the agreement, including liquidated damages and termination of such agreement;
- (h) provide details of assigned point of sale identity; and

- (i) the Central Government shall not have any liability in respect of any dispute between a new authorised entity and a point of sale.
- (5) Every new authorised entity shall, pursuant to entering into an agreement under sub-rule (4),—
- (a) communicate a unique point of sale identity, in real time, to all other such type of new authorised entities or licensees as specified by the Central Government; and
 - (b) maintain and update an online supply chain management system of subscriber identity module and specified type of user terminals on a real time basis, as well as details of movement of such subscriber identity module and user terminals from authorised entity to users, directly or through a point of sale, and provide such details when required by the Central Government, the authorised agency or the designated agency.
- (6) In respect of point of sale providing point of sale services limited to recharge and other billing activities, sub-rules (2), (4), (5) and clause (b) of sub-rule (3) shall not be mandatory.
- (7) Every new authorised entity shall use such information technology tools as are necessary to detect and prevent any unusual or suspicious activities on part of the point of sale or the user, including those which may occur during the registration of point of sale, or performance of point of sale services by the point of sale, and inform the details on the portal, of such point of sale or user to the Central Government.
- (8) Every new authorised entity shall terminate the agreement with a point of sale, and block the unique point of sale identity of such point of sale, across all authorisations held by such new authorised entity, within twenty-four hours of occurrence of any of the following circumstances, namely:—
- (a) if that new authorised entity finds that any information or document provided by the point of sale during the process of registration or entering into the agreement is false or forged; or
 - (b) if that new authorised entity detects any unusual or suspicious activities as per sub-rule (7); or
 - (c) on receiving any direction for termination from the Central Government.
- (9) The new authorised entity that blocks a unique point of sale identity under sub-rule (8) shall—
- (a) communicate such information to all other new authorised entities across all service areas, in real time, and such other new authorised entities shall also terminate their respective agreements with such point of sale, within twenty-four hours of receipt of such information; and
 - (b) ensure that such point of sale shall not be able to undertake any point of sale services.
- (10) Every new authorised entity, in respect of termination under sub-rules (8) and (9), shall—
- (a) submit a report to the Central Government, detailing all actions taken in respect of termination, within three days of such termination; and
 - (b) ensure that no agreement for engagement of such point of sale is made for a duration of at least three years thereafter across all service areas of authorisation.
- (11) Every new authorised entity shall forthwith, re-verify all users that had been previously enrolled by the point of sale referred to in sub-rule (8) during a period of up to three months, as may be decided by the Central Government, prior to blocking unique point of sale identity.
- (12) The Central Government may, on occurrence of any other contravention of these rules on account of actions of a point of sale, other than those specified under sub-rule (8) or in the interest of national security, direct the new authorised entity to take relevant action against the point of sale, as per the agreement referred to in sub-rule (4).
- (13) Every new authorised entity shall implement directions issued under sub-rule (12) and shall bear all liabilities in this regard.
- (14) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government in respect of all claims, costs, charges or damages that may arise in furtherance of this rule.
- (15) The agreement between the authorised entity and the point of sale is independent of the Central Government, and the Central Government shall not have any liability in respect of any dispute between a new authorised entity and a point of sale.

CHAPTER VII
SPECIFIC CONDITIONS FOR PROVISION OF PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES
USING SATELLITE NETWORK

58. Applicability of Chapter VII.—This chapter shall apply to every new authorised entity intending to provide or providing principal telecommunication service using satellite network, and all such new authorised entities shall adhere to the conditions specified in this chapter, as well as other terms and conditions of such authorisation as provided under these rules.

59. Provision of principal telecommunication services through satellite network.—(1) Every new authorised entity intending to establish, operate, maintain or expand a satellite network, or to provide principal telecommunication service using a satellite network, shall apply for permission of the Central Government, in such form and manner as specified on the portal, accompanied by the following information, namely:—

- (a) details of the satellite or space segment capacity, including relevant information as specified under sub-rule (2);
- (b) details of the satellite earth station gateway along with its location details; and
- (c) any other information as may be required by the Central Government.

(2) A new authorised entity making an application under sub-rule (1) shall,—

- (a) own the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose; or
- (b) enter into an agreement with an entity that has the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose, that contains enforceable obligations as specified under sub-rule (4).

(3) The Central Government may, subject to its assessment of the application, grant permission to the new authorised entity, subject to such terms and conditions as it may specify in such permission, including that such new authorised entity—

- (a) may use one or more permitted satellite or space segment capacity, subject to compliance with the condition that the satellite earth station gateway for each such satellite or space segment capacity is located in India; and
- (b) shall prior to undertaking such change in the satellite network or in frequency band as specified in the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, apply on the portal, for its approval in writing.

(4) Every new authorised entity shall report the following incidents to the Central Government, and shall adhere to such directions issued by the Central Government in this behalf, namely:—

- (a) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and
- (b) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is being used to provide service outside India.

(5) If a new authorised entity enters into an agreement under clause (b) of sub-rule (2), it shall, for the purposes of compliance with sub-rule (4), ensure that such agreement provides for an obligation on the entity, with whom such new authorised entity has entered into agreement, to forthwith inform that new authorised entity of any incident referred to in sub-rule (4).

(6) A new authorised entity that has been granted permission under sub-rule (3) may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any other eligibility conditions for such assignment under such law.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of permission under sub-rule (3) shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity.

60. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity permitted to use satellite network under rule 59 shall adhere to the following technical and operating conditions, namely:—

- (a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals located in India shall pass through a satellite earth station gateway, located in India, of such new authorised entity;
- (b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via satellite earth station gateways located outside India, directly or through inter-satellite communication links, including during failure of satellite earth station gateway located in India or as part of telecommunication network optimisation;
- (c) ensure that the telecommunication traffic shall not be mirrored to any satellite network or telecommunication network located outside India through inter-satellite communication links or through any other means;

- (d) provide real-time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clauses (a) to (c) above;
- (e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one or more satellites, without routing the telecommunication traffic through satellite earth station gateway;
- (f) provide any information of and conduct tests, for interference monitoring, and to take necessary steps, as directed by the Central Government, for its mitigation; and
- (g) very small aperture terminal or any other fixed satellite service user terminal used for providing backhaul link to a base station or connectivity to an internet node or any other telecommunication equipment, shall be located in the service area of such new authorised entity having such base station or internet node or any other telecommunication equipment:

Provided that the corresponding satellite earth station gateway may be located anywhere in India and the connecting transmission link from such satellite earth station gateway to the core telecommunication network of that new authorised entity using such backhaul link or connectivity shall be established as per the applicable rules.

Explanation.—It is clarified that any transmission using the backhaul link or connectivity between the satellite earth station gateway and the corresponding core telecommunication network of the new authorised entity shall not be considered as inter service area traffic.

(2) Every new authorised entity may, subject to the prior permission of the Central Government in writing, for which an application may be submitted in such form and manner and subject to such terms and conditions as specified on the portal,—

- (a) use its satellite earth station gateway established in India for providing telecommunication services to users located outside India, subject to—
 - (i) obtaining all clearances, by whatever name called, as may be required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, and
 - (ii) compliance with such directions as issued by the Central Government in this behalf; or
- (b) enter into arrangements with entities providing telecommunication services, in areas outside India, after obtaining all clearances, by whatever name called, as may be required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, for enabling use of the new authorised entity's satellite earth station gateway established in India for uplink and downlink of signals to and from satellites, subject to compliance with such directions as issued by the Central Government in this behalf.

(3) The Central Government may, subject to its assessment of the application made under sub-rule (2), after making such inquiry as it deems fit, require the applicant to furnish such information as it may call for, and may grant such permission as requested by the new authorised entity under sub-rule (2), subject to such terms and conditions as it may specify while granting permission, including the following, namely:—

- (a) messages between the satellite earth station gateway established in India and telecommunication network of foreign carriers shall be confined to only such satellite earth station gateway so as to enable transmission of such messages directly to the telecommunication network of foreign carriers, and shall not be transmitted into or received from a telecommunication network or user terminal located in India; and
- (b) messages between the satellite earth station gateway established in India and telecommunication network of foreign carriers shall be routed through authorised international long distance gateway.

(4) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against any and all claims that may arise from the implementation of the arrangements covered under sub-rules (2) and (3).

61. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity having permission under rule 59 for provision of principal telecommunication service, may establish its own satellite earth station gateway or use the satellite earth station gateway established by other new authorised entities or licensees that are eligible for sharing or providing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisation or license.

(2) Every new authorised entity having an assignment of the spectrum for satellite network under the applicable law, shall rollout the telecommunication network, using satellite earth station gateway referred to in sub-rule (1) and assigned spectrum within twelve months from the date of assignment of such spectrum, as required for providing principal telecommunication services to its users.

(3) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of the compliance of rollout obligations specified in sub-rule (2), as per the norms as may be specified on the portal.

(4) On successful verification in sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations.

(5) In case of failure of verification in sub-rule (3), such new authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.

(6) Any failure to adhere to the rollout obligations as specified in sub-rule (2) shall be treated as breach of terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the provisions of Chapter VIII of the Act:

Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government may consider the same as timely fulfilment of rollout obligations.

(7) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for satellite network shall be subject to the relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment.

62. Security conditions.—(1) Every new authorised entity having permission in rule 59 shall, prior to provision of principal telecommunication services to users using satellite network, successfully demonstrate the lawful interception systems and lawful interception monitoring facilities as required under rule 34, and any other additional functional requirement that the Central Government may specify.

(2) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway and user terminals connected with the satellite network of a new authorised entity shall be located in India.

(3) Every new authorised entity shall ensure that the permitted satellite network be used only for providing principal telecommunication services for which it is authorised and such satellite network is not used for any unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may prejudice the sovereignty and security of India.

(4) Every new authorised entity shall ensure that in addition to the telecommunication identifier based interception and monitoring, geographic location-based interception and monitoring is also possible.

(5) Every new authorised entity shall ensure that a user registered outside India and using a user terminal compatible with the permitted satellite or space segment, shall register such user terminal with such new authorised entity before operating the same in India.

(6) Every new authorised entity shall ensure that any access to its principal telecommunication services to a user shall be provided only after registering the user terminal provided to such user, on equipment identity register of such new authorised entity:

Provided that a user who has procured a user terminal from outside the territory of India, may be registered with such new authorised entity, subject to verification of the customs clearance obtained by such user in respect of such user terminal:

Provided further that such customs clearance shall not be required in respect of a user terminal that operates in the exclusive economic zone of India.

(7) Every new authorised entity shall report to the Central Government on the portal, any attempt to access or use the satellite network by a user terminal not registered under sub-rule (6), accompanied by the information about such user terminal and its location.

(8) Every new authorised entity shall undertake such technical measures as may be required to ensure due compliance with sub-rule (7).

(9) The Central Government may notify suitable mechanism for online co-ordination on a regular basis between the air, land and sea customs authorities and the new authorised entity for exchange of information in respect of user terminals of satellite network legally brought into the territory of India which would facilitate such new authorised entity in identification and segregation of user terminals of satellite network clandestinely brought into India, to prevent their access to the satellite network.

(10) Every new authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite network within India, as per the directions of the Central Government, the authorised agency or the designated agency, and on receiving directions from the Central Government, shall provide details relating to the identity and location of such user terminals.

(11) Every new authorised entity shall—

- (a) ensure that no location spoofing tool, whether hardware or software, be incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals; and

(b) deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms for identification and reporting of any such device in its telecommunication network.

(12) Every new authorised entity shall bind stationary type fixed satellite service user terminals to the geo-location of the premises of the user, with +/- 100 meters accuracy, including in respect of any relocation.

(13) Every new authorised entity shall ensure that no user relocates the stationary type fixed satellite service user terminal except with the prior approval in writing from such new authorised entity.

(14) Every new authorised entity shall discontinue the provision of principal telecommunication services to a user who attempts to, or relocates its stationary type fixed satellite service user terminal, without its prior approval in writing.

(15) Every new authorised entity shall ensure that the principal telecommunication services to any user terminal, in idle mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the restricted areas referred to in sub-rule (2) of rule 35.

(16) Every new authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines issued by the Central Government in respect of provision of positioning services through Indian regional navigation satellite systems in its user terminals.

CHAPTER VIII

SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES

63. Applicability of Chapter VIII.—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter VII, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity providing specific principal telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter.

(2) In the event of any conflict between the rules mentioned in Chapter I to Chapter VII and Chapter VIII, the rules mentioned in Chapter VIII shall prevail to the extent of such conflict.

PART A

UNIFIED SERVICE AUTHORISATION

64. Applicability of Part A.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds a unified service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expressions—

- (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds unified service authorisation;
- (b) “network service operator” means such network service operator that holds unified service authorisation; and
- (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds unified service authorisation.

65. Scope of unified service authorisation.—(1) The unified service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) principal telecommunication services authorised under access service authorisation to a network service operator;
- (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a network service operator; and
- (c) principal telecommunication services authorised under long distance service authorisation to a network service operator.

(2) The unified service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) principal telecommunication services authorised under access service authorisation to a virtual network operator;
- (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a virtual network operator; and
- (c) principal telecommunication services authorised under long distance service authorisation to a virtual network operator.

(3) Every new authorised entity that holds a unified service authorisation may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, only through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks.

(4) The specific terms and conditions specified under these rules for access service authorisation, internet service authorisation and long distance service authorisation, shall be applicable for providing the respective principal telecommunication services under the unified service authorisation, unless specified otherwise in this Part.

(5) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government.

66. Financial conditions.—Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 26, every new authorised entity shall draw, maintain and furnish separate accounts in respect of principal telecommunication services authorised under—

- (a) access service authorisation for each telecom circle or metro service area within the national service area;
- (b) internet service authorisation; and
- (c) long distance service authorisation.

67. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall ensure that the connectivity to disaster management platform and public safety answering point is made available at the State or Union territory level.

(2) Every network service operator may interconnect its telecommunication network with the telecommunication network of a network service operator licensee or any other network service operator that holds any authorisation under these rules, for handing or taking over the telecommunication traffic at any mutually agreed location, failing which, the interconnection shall take place at the point of interconnection.

(3) Every virtual network operator shall, in addition to sub-rule (1), also adhere to the following conditions, namely:—

- (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9, to connect its telecommunication network to its parent network service operator's telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government within seven days on the portal; and
- (b) it shall only connect or peer its telecommunication network with the telecommunication networks of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator.

PART B

ACCESS SERVICE AUTHORISATION AND WIRELINE ACCESS SERVICE AUTHORISATION

68. Applicability of Part B.—This Part shall apply to every new authorised entity that holds an access service authorisation or wireline access service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expressions—

- (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds access service authorisation or wireline access service authorisation;
- (b) “network service operator” means such network service operator that holds access service authorisation; and
- (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds access service authorisation or wireline access service authorisation.

69. Scope of access service authorisation.—(1) The access service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
- (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a network service operator;
- (c) internet telephony service;
- (d) intra-circle long distance calls;
- (e) captive non-public network as a telecommunication service;
- (f) cell broadcast service;
- (g) direct air-to-ground communication service;
- (h) machine-to-machine service;

- (i) enterprise communication services; and
- (j) if the network service operator has access service authorisation for all twenty-two service areas, it may also provide in-flight and maritime connectivity service.

(2) The access service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
- (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a virtual network operator;
- (c) internet telephony service;
- (d) intra-circle long distance calls;
- (e) cell broadcast service;
- (f) direct air-to-ground communication service;
- (g) machine-to-machine service;
- (h) enterprise communication services; and
- (i) if the virtual network operator has access service authorisation for all twenty-two service areas, it may also provide in-flight and maritime connectivity service.

(3) Every new authorised entity may provide principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, to users only through,—

- (a) mobile user terminals; or
- (b) fixed user terminal with wireline access; or
- (c) fixed user terminal with wireless access; or
- (d) very small aperture terminal or earth station in motion terminal for fixed satellite service; or
- (e) user terminal to access mobile satellite service; or
- (f) machines including internet of things devices and sensor type user terminals; or
- (g) routers or switches; or
- (h) any other type of user terminal as may be specified on the portal.

(4) Every new authorised entity that holds an access service authorisation may provide the principal telecommunication services specified in sub-rules (1) or (2), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks.

(5) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government.

(6) The specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation except for limited internet telephony shall be applicable for providing the same under the access service authorisation, unless specified otherwise in this Part.

(7) The terms and conditions specified under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026, as applicable for enterprise communication services, machine-to-machine services and in-flight maritime connectivity services shall be applicable for providing such services under the access service authorisation, unless specified otherwise in this Part.

70. Scope of wireline access service authorisation.—(1) The wireline access service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages;
- (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a virtual network operator;

- (c) internet telephony service;
- (d) intra-circle long distance calls;
- (e) machine-to-machine service; and
- (f) enterprise communication services authorised under enterprise communication service authorisation.

(2) Every virtual network operator that holds a wireline access service authorisation shall provide principal telecommunication services referred to in sub-rule (1) to users only through—

- (a) wireline terrestrial network; and
- (b) fixed user terminals with wireline access or machines including internet of things devices and sensor type user terminals or routers or switches or any other type of user terminal as may be specified on the portal.

(3) Every virtual network operator that holds a wireline access service authorisation shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other principal telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government.

(4) The specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation except for limited internet telephony shall be applicable for providing the same under the wireline access service authorisation, unless specified otherwise in this Part.

(5) The terms and conditions specified under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026, as applicable for enterprise communication services and machine-to-machine services shall be applicable for providing such services under the wireline access service authorisation, unless specified otherwise in this Part.

71. Technical and operating conditions.—(1) The following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:—

- (a) if it holds access service authorisation, it shall, prior to commencement of provision of principal telecommunication services to users over mobile user terminals, establish mobile number portability functionality and test such functionality as per the test schedule and test procedure as may be specified on the portal;
- (b) it shall ensure that inter service area traffic from one service area to another service area shall be routed through the national long distance network;
- (c) it shall ensure that international long distance traffic shall be routed through the national long distance network to the international long distance gateway for onward transmission to telecommunication networks of foreign carriers;
- (d) it shall assign telecommunication identifiers to its users in accordance with the national numbering plan as may be specified on the portal;
- (e) if it has more than one access service authorisation or wireline access service authorisation in different service areas, it may deploy any of its telecommunication equipment anywhere within the service area of its authorisation:

Provided that such deployment of telecommunication equipment shall be subject to the security conditions as specified in these rules, and in compliance with applicable law in case of telecommunication equipment for point of interconnection;

- (f) if it simultaneously holds, an authorisation under this Part and internet service authorisation under Part C, in a common geographical area, it shall, prior to commencement of principal telecommunication service, declare to the Central Government the authorisation under which such services shall be provided by it.

Illustration: If A, a new authorised entity having internet service authorisation in national service area, obtains any authorisation under this Part in Haryana and Gujarat service areas, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide internet services under internet service authorisation or under any authorisation in this Part;

- (g) if it simultaneously holds, an authorisation under this Part and long distance service authorisation under Part D, in a common geographical area, and intends to provide domestic leased circuit, it shall, prior to commencement of principal telecommunication service, declare to the Central Government the authorisations under which such services shall be provided by it.

Illustration: If A, a new authorised entity having authorisation to provide long distance services in national service area, obtains any authorisation under this Part in Haryana and Gujarat service areas, and intends to provide domestic leased circuit, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of such principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide domestic leased circuit services under long distance service authorisation or under any authorisation in this Part;

(h) it shall,—

- (i) independently or by entering into contract with other new authorised entities or licensees having authorisation or license to provide access services, provide all public utility services as well as emergency services, including toll-free services such as public safety answering point, police, fire, ambulance and any other toll-free services as may be specified by the Central Government through orders, directions or guidelines; and
- (ii) while providing the services referred to in sub-clause (i) take all measures to ensure that messages are delivered to the designated control room of the concerned authority, as may be specified on the portal; and

(i) it shall, for the purpose of carriage of bearer telecommunication traffic, provide interconnection to the new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide national long distance services.

(2) For provision of machine-to-machine service under this authorisation, in addition to the terms and conditions specified in sub-rule (1), the following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:—

(a) if it is providing machine-to-machine services,—

- (i) it may establish, operate, maintain or expand wireless personal area network or wireless local area network for machine-to-machine service using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law; and
- (ii) it shall adhere to such directions or guidelines issued by the Central Government in respect of roaming of foreign machine-to-machine subscriber identity module in India;

(b) if it is providing machine-to-machine services or machine-to-machine subscriber identity modules to another new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide machine-to-machine service, ensure that such services or use of such subscriber identity modules shall be confined only to the specific use cases as has been intimated by such new authorised entity or licensee to the Central Government under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026 or license; and

(c) if it owns and manages a platform for subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity module, in respect of subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity module, it shall adhere to the standards and conformity assessment measures, including the standards for security of subscription manager-data preparation and subscription manager-secure routing, as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act.

(3) For provision of internet telephony service under this authorisation, the following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:—

- (a) internet telephony services may be provided to users having fixed or mobile user terminals;
- (b) telecommunication identifiers shall be assigned by the new authorised entity to a user only from among such telecommunication identifiers that have been allotted to it pursuant to the national numbering plan and subject to the terms and conditions for such allotment;
- (c) every new authorised entity may assign the same telecommunication identifier for mobile service and mobile internet telephony service to a user;
- (d) every new authorised entity may assign the same telecommunication identifier for fixed service and fixed internet telephony service to a user;
- (e) Internet Protocol address assigned to a user for internet telephony shall conform to the Internet Protocol addressing scheme of Internet Assigned Numbers Authority and the details of such Internet Protocol addresses shall be submitted to the Central Government on the portal;

- (f) internet telephony calls originated by international out-roamers from international locations shall be handed over at the international long distance gateway of new authorised entity or licensee having authorisation or license to provide international long distance services and international termination charges shall be paid to the terminating entity having authorisation or license to provide access services:

Provided that if the new authorised entity is not able to ensure that the internet telephony call originated outside India is routed through such international long distance gateway, it shall cease provision of international out-roaming facility to its internet telephony users;

- (g) the public Internet Protocol address used for originating or terminating internet telephony calls shall be part of call data record and in case of internet telephony, the location details of user with such level of accuracy as the Central Government may specify shall be provided to the Central Government, if so required by it;
- (h) calling line identification restriction facility shall not be provided for internet telephony users;
- (i) the new authorised entity providing internet telephony service may facilitate access to emergency number calls as specified in the national numbering plan, using location services:

Provided that such new authorised entity shall inform internet telephony users about the limitation of providing access to emergency services in unambiguous terms;

- (j) the new authorised entity shall inform its users of quality of service parameter supported by it in respect of internet telephony.

(4) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1), (2) and (3), the following technical and operating conditions apply to a network service operator, namely:—

- (a) it shall interconnect and provide interconnection to the telecommunication network of all eligible new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license, to ensure that the calls are completed to all destinations;
- (b) it shall not refuse to interconnect its telecommunication network directly with the international long distance gateway, in situations where its point of presence and the point of presence of a new authorised entity or licensee having authorisation or license to provide international long distance services are located at the same station;
- (c) it may enter into mutual agreement for roaming facilities with other network service operators or network service operator licensees providing access services;
- (d) it may enter into mutual agreement with a telecommunication service provider outside India to provide international roaming facility to its users, unless otherwise directed by the Central Government;
- (e) it may provide captive non-public network as a telecommunication service to a user by using its telecommunication network including through telecommunication network slicing;
- (f) if it has access spectrum assigned to it, it may establish isolated captive non-public network for users, using such spectrum:

Provided that while establishing such isolated captive non-public networks and providing captive non-public network as a telecommunication service through public telecommunication network under clause (e), it shall ensure that the applicable standards of quality of service are maintained;

- (g) if it decides to surrender the spectrum, which is being used by its users for captive non-public networks, it shall give notice of such surrender, at least six months before the effective date of surrender of such spectrum, to such users of captive non-public networks;
- (h) it may carry intra service area traffic on its home network or it may enter into mutual agreements with the entities having authorisation or license to provide access services or national long distance services, for carrying its intra service area traffic in respect of long distance services; and
- (i) for provision of internet telephony service, it may interconnect its internet telephony network with public switched telephone network or public land mobile network.

(5) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1), (2) and (3), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator that holds access service authorisation, namely:—

- (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9 to connect its telecommunication network to its parent network service operator's telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government within seven days on the portal;

- (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator;
 - (c) it shall not integrate the telecommunication networks obtained from different parent network service operators for routing of traffic from one parent network service operator to another parent network service operator;
 - (d) it shall obtain from its parent network service operator a range of telecommunication identifiers from the telecommunication identifiers allocated to its parent network service operator by the Central Government; and
 - (e) it may establish its radio access network as per the mutual agreement with its parent network service operator, utilising backhaul spectrum and access spectrum assigned to its parent network service operator.
- (6) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1), (2) and (3), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator that holds wireline access service authorisation, namely:—
- (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9 to connect its telecommunication network to its parent network service operator's telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government, within seven days, as may be specified on the portal;
 - (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator;
 - (c) it shall not integrate the telecommunication networks obtained from different parent network service operators for routing of traffic from one parent network service operator to another parent network service operator; and
 - (d) it shall obtain from its parent network service operator a range of telecommunication identifiers from the telecommunication identifiers allocated to its parent network service operator by the Central Government.

72. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall, for intercepted messages, supply call related information, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, which shall include the following, namely:—

- (a) called and calling party telecommunication identifiers, including when user is roaming;
- (b) time, date and duration of call;
- (c) location of target user, providing the details specified in sub-rule (2);
- (d) co-ordinates and name of base station site;
- (e) telecommunication identifiers, if any call-forwarding feature has been invoked by target user;
- (f) data records for failed call attempts; and
- (g) call data records of roaming users.

(2) Every new authorised entity shall provide location details of mobile users with such details, and with such level of accuracy as the Central Government may specify.

(3) Every new authorised entity shall maintain local international out roamer repository which shall be updated on real time basis with telecommunication identifiers of its users, who are on international roaming.

(4) Every new authorised entity shall update the central international out roamer system on real time basis.

(5) Every new authorised entity shall not provide calling line identification restriction facility to users except in accordance with the standard operating procedure issued by the Central Government in this regard.

(6) Every new authorised entity shall list its users having calling line identification restriction facility accompanied by their complete address and details, on a password protected website, and shall enable access to such website, as may be required, to the Central Government or the designated agency.

(7) While providing calling line identification restriction facility to users, every new authorised entity shall ensure that the calling line identification is carried end-to-end throughout the telecommunication network:

Provided that calling line identification restriction facility shall not be provided in case of business connections.

(8) Every new authorised entity shall ensure that the subscriber identity module personalisation is carried out, in accordance with such notifications, orders, directions or guidelines issued by the Central Government for this purpose or standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act.

PART C
INTERNET SERVICE AUTHORISATION

73. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds a internet service authorisation, and save as otherwise expressly provided in Part, any reference to expressions—

- (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds internet service authorisation;
- (b) “network service operator” means such network service operator that holds internet service authorisation; and
- (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds internet service authorisation.

74. Scope of internet service authorisation.—(1) The internet service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) internet service;
- (b) internet telephony service limited to computers or Internet Protocol based customer premises equipment connecting only the following, namely:—
 - (i) computer to computer, within or outside India;
 - (ii) computer, device or adapter, conforming to notified standards, in India to public switched telephone network or public land mobile network user terminals outside India; and
 - (iii) any computer, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet node using static internet protocol address to similar computer, device or adapter, within or outside India;
- (c) domestic leased circuit;
- (d) internet leased line;
- (e) internet protocol television service, in accordance with applicable law;
- (f) machine-to-machine service limited to internet services; and
- (g) if the network service operator has internet service authorisation for national service area, it may also provide in-flight and maritime connectivity services limited to internet services.

(2) The internet service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) internet services;
- (b) internet telephony service limited to computers or Internet Protocol based customer premises equipment connecting only the following, namely:—
 - (i) computer to computer, within or outside India;
 - (ii) computer, device or adapter, conforming to notified standards, in India to public switched telephone network or public land mobile network user terminals outside India; and
 - (iii) any computer, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet node using static internet protocol address to similar computers, device or adapter, within or outside India;
- (c) domestic leased circuit;
- (d) internet leased line;
- (e) internet protocol television service, in accordance with applicable law;
- (f) machine-to-machine service limited to internet services; and
- (g) if the virtual network operator has internet service authorisation for national service area, it may also provide in-flight and maritime connectivity services limited to internet services.

Explanation.—The expression “computer” means any electronic, magnetic, optical or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulations of electronic, magnetic or optical impulses, and includes all input, output, processing, storage and software.

(3) Every new authorised entity may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, to fixed users only through—

- (a) fixed user terminal with wireline access; or
- (b) fixed user terminal with wireless access; or
- (c) fixed machines including fixed internet of things devices and fixed sensor type terminals; or
- (d) routers or switches; or
- (e) any other type of terminal as may be specified on the portal.

(4) Every new authorised entity may also provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, to users through user terminals to avail of fixed satellite service as per the standards notified under section 19 of the Act.

(5) Every new authorised entity may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks.

(6) Every new authorised entity providing internet services may establish, operate, maintain or expand the international internet gateway, after obtaining requisite security clearance and prior written permission from the Central Government in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

(7) Every new authorised entity may establish, operate, maintain or expand low power wide area network using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law, for providing machine-to-machine service using wireless terrestrial networks.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, “low power wide area network” means a type of wide area network which provides wireless connectivity to low-power devices over large distances that is suited for machine-to-machine communication.

(8) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government.

(9) The following provisions shall apply to every new authorised entity which has obtained authorisation as a network service operator:

(a) a network service operator may provide:

- (i) domestic leased circuit to any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, for connecting their telecommunication network equipment, including backhaul connectivity; and
- (ii) internet bandwidth to another new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide internet services;

(b) a network service operator may establish, operate, maintain or expand the internet exchange point as per the terms and conditions applicable for such internet exchange point authorisation specified under applicable law, unless specified otherwise in these rules; and

(c) a network service operator, who has established international internet gateway, may provide international internet bandwidth to other network service operator or network service operator licensee that holds authorisation or license to provide internet services.

(10) The terms and conditions specified under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026, as applicable for in-flight and maritime connectivity services and machine-to-machine services shall be applicable for providing such services under the internet service authorisation, unless specified otherwise in these rules.

75. Technical and operating conditions.—(1) The following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:—

- (a) it shall, for providing internet protocol television services, adhere to the applicable law and such directions or guidelines issued by the Central Government in this behalf;
- (b) it shall not—
 - (i) connect a user of its internet telephony service to or from a user of public switched telephone network or public land mobile network in India;
 - (ii) use E.164 numbering plan of the International Telecommunications Union for internet telephony; and

- (iii) undertake translation of E.164 number or private number to Internet Protocol address allotted to any telecommunication equipment or vice-versa;
- (c) it shall ensure that the addressing scheme for internet telephony is in compliance with the Internet Protocol addressing Scheme of Internet Assigned Numbers Authority;
- (d) it shall obtain Internet Protocol addresses for the provision of internet services, from authorised internet registries directly and the details of such Internet Protocol addresses shall be submitted to the Central Government on the portal;
- (e) if it provides internet services using spectrum which has been exempted from the requirements of assignment under the Act, the new authorised entity shall adhere to orders or directions or guidelines in respect of such spectrum as may be specified on the portal;
- (f) it shall provide unrestricted access to all the content available on the internet to its users except for such content which is restricted by the Central Government;
- (g) if it has separate internet service authorisation and long distance service authorisation in a common geographical area, and intends to provide domestic leased circuit, it shall declare to the Central Government, prior to commencement of such principal telecommunication service, the authorisation under which such service shall be provided by it.

Illustration: If A, a new authorised entity having authorisation to provide long distance services in national service area, obtains internet service authorisation in Haryana and Gujarat service areas, and intends to provide domestic leased circuit, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of such principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide domestic leased circuit services under long distance service authorisation or internet service authorisation;
- (h) it may establish, operate, maintain or expand wireless personal area network or wireless local area network for machine-to-machine service using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law;
- (i) it shall, while providing machine-to-machine service using wireless personal area network or wireless local area network, connect such network with the telecommunication network of a new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, for backhaul connectivity;
- (j) it shall not—
 - (i) engage in any discriminatory treatment of content, including based on the sender, receiver, protocols being used or user terminal; and
 - (ii) enter into any arrangement, agreement or contract, by whatever name called, with any person that has the effect of discriminatory treatment of content;
- (k) notwithstanding clause (j), the new authorised entity may—
 - (i) provide specialised services subject to the following conditions, namely:—
 - (a) the specialised services are not usable or not offered as a replacement for internet services; and
 - (b) the provision of such specialised services is not detrimental to the availability and overall quality of internet services;
 - (ii) adopt any proportionate, transient and transparent measures falling under any of the following categories, namely:—
 - (a) reasonable traffic management practices as may be specified on the portal;
 - (b) provision of emergency services or any other services as may be required during any public emergency, as per such processes as may be specified on the portal;
 - (c) implementation of any order of a court or direction that is issued by the Central Government;
 - (d) measures for preserving the integrity and security of the telecommunication network and telecommunication equipment; and
 - (e) appropriate measures in pursuance of an international treaty, as may be specified on the portal.

Explanation.—For the purpose of clauses (j) and (k),—

1. “content” includes all content, applications, services and any other data, including its end-point information, which may be accessed or transmitted over the internet.
2. “discriminatory treatment” includes any form of discrimination, restriction or interference in the treatment of content, including practices such as blocking, degrading, slowing down or granting preferential speeds or treatment to any content.
3. “specialised services” means services other than internet services that are optimised for specific content, protocols or user terminal, where the optimisation is necessary in order to meet specific quality of service requirements; and

(1) if it is providing machine-to-machine services to any other new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide machine-to-machine service, ensure that such services shall be confined only to the specific use cases as has been informed by such new authorised entity or licensee to the Central Government under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026 or license.

(2) In addition to the technical and operating conditions under sub-rule (1), following technical and operating conditions apply to a network service operator, namely:—

- (a) it may establish peering with the telecommunication network of a network service operator licensee or any other network service operator that holds any authorisation under these rules, to provide internet services, and the resources required for such peering shall be as mutually agreed between such entities; and
- (b) it shall ensure that its telecommunication network established for provision of internet services is not connected with telecommunications networks, such as public switched telephone network or public land mobile network, established for provision of access services in India.

(3) In addition to the technical and operating conditions under sub-rule (1), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator, namely:—

- (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9 to connect its telecommunication network to its parent network service operator’s telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government, within seven days, as may be specified on the portal;
- (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator;
- (c) it may obtain Internet Protocol addresses from its parent network service operator or authorised internet registries, and get it configured in the telecommunication network of its parent network service operators, and details of such Internet Protocol addresses shall be submitted to the Central Government on the portal;
- (d) it may provide domestic leased circuit to its users by—
 - (i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent network service operator; or
 - (ii) using the telecommunication network of its parent network service operator.

76. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall adhere to the following security conditions, namely:—

- (a) it shall ensure that the users of internet leased line maintain the usage details of Internet Protocol addresses and network address translation syslog, in case of multiple users using the same internet leased line, for a minimum period of two years;
- (b) it shall ensure compliance with clause (a) by verifying the systems in place at the time of provision of internet leased line and subsequently by requiring the users of internet leased line to submit periodic reports or take any such other measure as necessary for compliance with clause (a), and in case of non-compliance with such requirements, such new authorised entity shall withdraw the internet leased line from such users;
- (c) it shall, at its own cost, provide space of such area as directed by the Central Government, at each location where it has established its lawful interception monitoring facility with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning, which is physically secured and accessible only to the authorised agencies; and
- (d) it shall block such internet sites, uniform resource locators, uniform resource identifiers or individual users, as identified and directed by the Central Government in the interest of national security or public interest.

(2) Every network service operator shall, in addition to the sub-rule (1), also adhere to the following security conditions, namely:—

- (a) it shall ensure that another new authorised entity or licensee requesting upstream internet bandwidth to serve its own downstream users has a valid authorisation or license for providing internet services and if such authorisation or license is revoked, surrendered or expired, such network service operator shall withdraw such bandwidth;
- (b) it shall, in accordance with directions issued by the Central Government segregate and route traffic of internet nodes, established at such locations which are important from national security perspective; and
- (c) it shall ensure that domain name system used for address resolution is hosted, owned, controlled and operated within India with adequate redundancy and security measures to ensure uninterrupted domain name system resolution services.

PART D LONG DISTANCE SERVICE AUTHORISATION

77. Applicability of Part D.— This Part shall apply to a new authorised entity that holds a long distance service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expressions—

- (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds long distance service authorisation;
- (b) “network service operator” means such network service operator that holds long distance service authorisation; and
- (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds long distance service authorisation.

78. Scope of long distance service authorisation.—(1) The long distance service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) national long distance services comprising the following, namely:—
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic within India;
 - (ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls within India;
 - (iii) domestic leased circuit; and
 - (iv) domestic calling card;
- (b) international long distance services, by interconnecting with the telecommunication network of foreign carriers, comprising the following, namely:—
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India;
 - (ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers;
 - (iii) international private leased circuit; and
 - (iv) international calling card.

(2) The long distance service authorisation to virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:—

- (a) national long distance services comprising the following, namely:—
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic within India;
 - (ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls within India;
 - (iii) domestic leased circuit; and
 - (iv) domestic calling card;
- (b) international long distance services, by connecting with the telecommunication network of its parent network service operator, comprising the following, namely:—
 - (i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India;
 - (ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers;
 - (iii) international private leased circuit; and

(iv) international calling card.

(3) Every new authorised entity may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) and (2), as the case may be, only through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks.

(4) Every new authorised entity may access the users directly for provision of domestic leased circuit, domestic calling cards, international private leased circuit or international calling card.

(5) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government.

(6) The following provisions shall apply to every new authorised entity that has obtained an authorisation as a network service operator—

- (a) such entity may provide domestic leased circuit and international bandwidth on lease to any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license under which it is permitted to have such connectivity;
- (b) such entity may establish, operate, maintain or expand the cable landing station or cable landing station point-of-presence for the following, after obtaining requisite security clearance and prior written permission from the Central Government, pursuant to an application made in such form and manner as specified on the portal, namely:—
 - (i) domestic and international submarine cable systems, to provide principal telecommunication services; and
 - (ii) international terrestrial cable systems, to provide international long distance services;
- (c) such entity providing international long distance services may establish, operate, maintain or expand the international long distance gateway, after obtaining requisite security clearance and prior written permission from the Central Government in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

79. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall adhere to the following technical and operating conditions, namely:—

- (a) it shall prior to the commencement of provision of principal telecommunication services, establish mobile number portability functionality and test such functionality as per the test schedule and test procedure as may be specified on the portal; and
- (b) it shall ensure the carriage of all types of bearer telecommunication traffic so that end-to-end principal telecommunication services may be provided to the users by the new authorised entities or licensees having authorisation or license to provide access services.

(2) The following shall apply in respect of cable landing station, namely:—

- (a) the new authorised entity shall apply, in such form and manner as specified on the portal, and seek separate permissions and clearances for establishment of cable landing station and laying submarine cables in India:

Provided that the new authorised entity applying for permission to establish cable landing station point-of-presence, shall not be required to obtain a permission and clearance for laying submarine cables in India:

Provided further that the permission for international cable landing station and cable landing station – point-of-presence shall be given to only such new authorised entity who has been permitted to establish international long distance gateway:

Provided also that the permission for domestic cable landing station shall be given to the new authorised entity which is providing any of the long distance services;

- (b) the Central Government may, subject to its assessment of the application made under clause (a), and security vetting, if required, grant permission, subject to such terms and conditions as may be specified on the portal, including the following, namely:—
 - (i) the new authorised entity owning cable landing station may establish submarine line terminating equipment at such cable landing station or extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the main cable landing station to its cable landing station point-of-presence and establish submarine line terminating equipment at cable landing station point-of-presence:

Provided that the new authorised entity having fibre pairs in the submarine cable but not owning the cable landing station may extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the cable landing station to its cable landing station point-of-presence and establish submarine line terminating equipment at cable landing station point-of-presence;

- (ii) domestic submarine cables shall connect two or more cities on the Indian coastline for carrying domestic traffic, and the domestic submarine cable may go beyond Indian territorial waters or exclusive economic zone of India, wherever required for physical safety of such cables, subject to prior permission from the Central Government;
- (iii) international submarine cables may carry domestic traffic on dedicated fibre pairs that are provisioned between two Indian cities:

Provided that such domestic traffic is not transited or routed through any other country outside India;

- (iv) if the domestic and international cables are separate, they may terminate at the same cable landing station, with each cable having its own separate power feeding equipment and submarine line terminating equipment;
 - (v) the new authorised entity shall ensure that a physical separation of terminating equipment for domestic and international traffic is maintained;
 - (vi) transit international traffic, which is not meant to be terminated on telecommunication networks in India, shall be permitted to be transited to other submarine cables or international terrestrial cables through terrestrial and submarine cables;
- (c) every new authorised entity having cable landing station shall seek separate permissions and clearances from the Central Government for additional submarine cable landing in India;
 - (d) every new authorised entity shall make necessary arrangements on its own, or through agreements with the entities providing submarine cable repair service, to ensure that such fault in submarine cable is repaired within the time limit as may be specified on the portal:

Provided that the Central Government may issue any instruction or direction to all such new authorised entities who have established cable landing station in India to form a consortium, to ensure that a cable repair ship along with the required cable repair services team is always available within the Indian territorial waters and such ship is made available for timely repair of domestic and international submarine cables;

- (e) every new authorised entity shall throughout the duration of authorisation, ensure redundancy in its submarine cable system and international terrestrial cable system, through its own arrangements or by entering into agreements with other entities operating submarine cable systems with prior permission and clearances from the Central Government;
- (f) if the new authorised entity has separate internet service authorisation and long distance service authorisation in a common geographical area, and intends to provide domestic leased circuit, it shall declare to the Central Government, prior to commencement of such principal telecommunication service, the authorisation under which such service shall be provided by it.

Illustration: If A, a new authorised entity having authorisation to provide long distance services in national service area, obtains internet service authorisation in Haryana and Gujarat service areas, and intends to provide domestic leased circuit, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of such principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide domestic leased circuit services under long distance service authorisation or internet service authorisation.

(3) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1) and (2), following technical and operating conditions apply to a network service operator, namely:—

- (a) it shall route international long distance traffic through the international long distance gateway to or from the interconnected telecommunication network of foreign carrier;
- (b) it shall not refuse to interconnect its international long distance network directly with the point of presence of another new authorised entity or licensee having authorisation or license to provide access services, where point of presence of both such entities are located at the same station;
- (c) it shall for the purpose of carriage of bearer telecommunication traffic establish and provide interconnection to the new authorised entities or licensees having authorisation or license to provide national long distance services; and

- (d) it shall, in its agreement with foreign carrier for provision of international long distance services, provide that the foreign carrier does not acquire users in India and does not raise bill or collect revenue to or from any user in India.

(4) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1) and (2), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator, namely:—

- (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9, to connect its telecommunication network with its parent network service operator's telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government, within seven days, as may be specified on the portal;
- (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator; and
- (c) it may provide domestic leased circuit to its users by—
- (i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent network service operator; or
- (ii) using the telecommunication network of its parent network service operator.

80. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall ensure that calling line identification is not tampered with and transit the calling line identification as received from any other new authorised entity that holds any authorisation or foreign carriers:

Provided that the new authorised entity providing international long distance services shall drop all international incoming calls with no calling line identification, improper calling line identification or spoofed calling line identification at their gateways and for identifying an improper calling line identification, ITU-T recommendations on E.164 numbering scheme shall be adhered to:

Provided further that for prevention of spoofed incoming international calls, the new authorised entity providing international long distance services shall implement the local international out roamer and central international out roamer system or any other system as may be specified on the portal:

Provided also that the new authorised entity shall ensure that all international calls, handed over by such new authorised entity to national long distance network or access services telecommunication network, should bear "Nature of Address Indicator" field in case of Common Channel Signalling System Number 7 or equivalent field in session initiation protocol or internet protocol signalling as "International Number".

- (2) Every new authorised entity shall, in order to ensure conformity with sub-rule (1), ensure that any agreement with foreign carriers shall have the necessary provisions for blocking of foreign carrier in case of non-compliance with sub-rule (1).
- (3) Every new authorised entity shall, at its own cost, provide specified space, with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning, which shall be physically secured and accessible only to the personnel authorised by the Central Government, at each international gateway location.
- (4) The authorised agencies may monitor messages in relevant telecommunication equipment of the telecommunication network including the international gateway set up by a new authorised entity and such new authorised entity shall make arrangements for monitoring simultaneous calls by such agencies.

CHAPTER IX MISCELLANEOUS

81. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions under these rules by a new authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act.

(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight hours of it being published on the portal:

Provided that suspension of the authorisation shall not be a cause or ground for extension of duration of the authorisation.

(4) The new authorised entity shall, on publication of an order under sub-rule (3), give every user of its principal telecommunication services at least thirty days prior notice of curtailment, suspension or revocation of its authorisation and of the options available to such users, including mobile number portability.

(5) The new authorised entity shall maintain the quality of principal telecommunication services and telecommunication network till the effective date referred to in sub-rule (3).

82. Digital implementation.— The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules.

SCHEDULE A
SERVICE AREA, PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR EACH
AUTHORISATION FOR PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES

[See rules 6(2)(a), 7(2)(a)(i), 15(1), 23(3)(b), 23(4)(b), 23(5)(b) and 25(3)]

SI. No.	Category of principal telecommunication service	Service Authorisation	Service area	Processing Fee (in Rs.) per Authorisation	Entry Fee (in Rs.) per Authorisation	Initial Guarantee (in Rs.) per Authorisation
1.	Principal Telecommunication Service (network service operator)	Unified service authorisation	National service area	1 lakh	12 crores	44 crores
2.		Access service authorisation	Telecom circle or metro service area	10,000	50 lakh (25 lakh for North East and Jammu and Kashmir)	2 crores
3.		Internet service authorisation	National service area	10,000	10 lakh	4 lakh
4.		Internet service authorisation	Telecom circle or metro service area	10,000	50,000 (25,000 for North East and Jammu and Kashmir)	20,000
5.		Long distance service authorisation	National service area	10,000	1 crore	1 crore
6.	Principal Telecommunication Service (virtual network operator)	Unified service authorisation	National service area	1 lakh	3 crores	4.4 crores
7.		Access service authorisation	Telecom circle or metro service area	10,000	12.5 lakh (6.25 lakh for North East and Jammu and Kashmir)	20 lakh
8.		Wireline access service authorisation	Telecom circle or metro service area	10,000	50,000 (25,000 for North East and Jammu and Kashmir)	10,000
9.		Internet service authorisation	National service area	10,000	10 lakh	1 lakh

Sl. No.	Category of principal telecommunication service	Service Authorisation	Service area	Processing Fee (in Rs.) per Authorisation	Entry Fee (in Rs.) per Authorisation	Initial Guarantee (in Rs.) per Authorisation
10.		Internet service authorisation	Telecom circle or metro service area	10,000	50,000 (25,000 for North East and Jammu and Kashmir)	10,000
11.		Long distance service authorisation	National service area	10,000	25 lakh	50 lakh

**SCHEDULE B
SERVICE AREAS**

[See rules 2(1)(aaaf), 4(b), 4(c), 4(d) and 57(4)(c)]

Sl. no.	Service Area	Area covered
1.	West Bengal Service Area	Entire area falling within the Union territory of Andaman and Nicobar Islands and area falling within the State of West Bengal and the State of Sikkim, excluding the areas covered by Kolkata Service Area.
2.	Andhra Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and the State of Telangana.
3.	Assam Service Area	Entire area falling within the State of Assam.
4.	Bihar Service Area	Entire area falling within the State of Bihar and the State of Jharkhand.
5.	Gujarat Service Area	Entire area falling within the State of Gujarat and the Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
6.	Haryana Service Area	Entire area falling within the State of Haryana except Panchkula town and the local areas served by Faridabad and Gurgaon Telephone Exchanges.
7.	Himachal Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Himachal Pradesh.
8.	Jammu and Kashmir Service Area	Entire area falling within the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.
9.	Karnataka Service Area	Entire area falling within the State of Karnataka.
10.	Kerala Service Area	Entire area falling within the State of Kerala and the Union territory of Lakshadweep.
11.	Madhya Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Madhya Pradesh and the State of Chhattisgarh.
12.	Maharashtra Service Area	Entire area falling within the State of Maharashtra and State of Goa, excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13.	North East Service Area	Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14.	Orissa Service Area	Entire area falling within the State of Odisha.
15.	Punjab Service Area	Entire area falling within the State of Punjab, the Union territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16.	Rajasthan Service Area	Entire area falling within the State of Rajasthan.

Sl. no.	Service Area	Area covered
17.	Tamil Nadu Service Area	Entire area falling within the State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry.
18.	Uttar Pradesh (West) Service Area	Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Eastern Uttar Pradesh: Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj, Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida. Further, it will include the State of Uttarakhand.
19.	Uttar Pradesh (East) Service Area	Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Western Uttar Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur, Kanpur Rural and Jalaun.
20.	Delhi Service Area	Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida and Gurgaon Telephone Exchanges.
21.	Kolkata Service Area	Local Areas served by Calcutta Telephones Exchanges.
22.	Mumbai Service Area	Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan Telephone Exchanges.

SCHEDULE C

SERVICE AREA, MINIMUM EQUITY, MINIMUM NET WORTH FOR EACH AUTHORISATION FOR PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES

[See rules 5(a)(i) and 5(a)(ii)]

Sl. No.	Category of service	Service Authorisation	Service Area	Minimum Equity (in Rs.) per Authorisation	Minimum Net worth (in Rs.) per Authorisation
1.	Principal Telecommunication Services (network service operator)	Unified service authorisation	National service area	25 crores	25 crores
2.		Access service authorisation	Telecom circle or metro service area	2.5 crores	2.5 crores
3.		Internet service authorisation	National service area	10 lakh	Nil
4.		Internet service authorisation	Telecom circle or metro service area	1 lakh	Nil
5.		Long distance service authorisation	National service area	2.5 crores	2.5 crores
6.	Principal Telecommunication Service (virtual network operator)	Unified service authorisation	National service area	10 crores	10 crores
7.		Access service authorisation	Telecom circle or metro service area	1 crore	1 crore

Sl. No.	Category of service	Service Authorisation	Service Area	Minimum Equity (in Rs.) per Authorisation	Minimum Net worth (in Rs.) per Authorisation
8.		Wireline access service authorisation	Telecom circle or metro service area	1 lakh	Nil
9.		Internet service authorisation	National service area	10 lakh	Nil
10.		Internet service authorisation	Telecom circle or metro service area	1 lakh	Nil
11.		Long distance service authorisation	National service area	1 crore	1 crore

[F. No. 24-07/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.